2020 का विधेयक संख्यांक 26

वित्त विधेयक, 2020

(लोक सभा में पुर:स्थापित रूप में)

वित्त विधेयक, 2020

खंडों का क्रम

अध्याय 1

प्रारंभिक

खंड

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

2. आय-कर।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

3. धारा 2 का संशोधन।
4. धारा 6 का संशोधन।
5. धारा 9 का संशोधन।
6. धारा 9क का संशोधन।
7. धारा 10 का संशोधन।
8. धारा 10क का संशोधन।
9. धारा 11 का संशोधन।
10. धारा 12क का संशोधन।
11. धारा 12कक का संशोधन।
12. नई धारा 12कख का अंतःस्थापन।
13. धारा 17 का संशोधन।
14. धारा 32कख का संशोधन।
15. धारा 33कख का संशोधन।
16. धारा 33कखक का संशोधन।
17. धारा 35 का संशोधन।
18. धारा 35कघ का संशोधन।
19. धारा 35घ का संशोधन।
20. धारा 35ङ का संशोधन।
21. धारा 43 का संशोधन।

खंड

22. धारा 43गक का संशोधन।
23. धारा 44कख का संशोधन।
24. धारा 44घक का संशोधन।
25. धारा 49 का संशोधन।
26. धारा 50ख का संशोधन।
27. धारा 50ग का संशोधन।
28. धारा 55 का संशोधन।
29. धारा 56 का संशोधन।
30. धारा 57 का संशोधन।
31. धारा 72कक के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।
32. धारा 80ङङक का संशोधन।
33. धारा 80छ का संशोधन।
34. धारा 80छछक का संशोधन।
35. धारा 80झक का संशोधन।
36. धारा 80झकग का संशोधन।
37. धारा 80झख का संशोधन।
38. धारा 80झखक का संशोधन।
39. धारा 80ञञकक का संशोधन।
40. नई धारा 80ड का अंतःस्थापन।
41. धारा 90 का संशोधन।
42. धारा 90क का संशोधन।
43. धारा 92गख का संशोधन।
44. धारा 92गग का संशोधन।
45. धारा 92च का संशोधन।
46. धारा 94ख का संशोधन।
47. धारा 115क का संशोधन।
48. धारा 115कग का संशोधन।
49. धारा 115कगक का संशोधन।
50. धारा 115कघ का संशोधन।
51. धारा 115खकक का संशोधन।
52. धारा 115खकख का संशोधन।
53. नई धारा 115खकग और धारा 115खकघ का अंतःस्थापन।
54. धारा 115खखघक का संशोधन।
55. धारा 115ग का संशोधन।
56. धारा 115ञख का संशोधन।
57. धारा 115ञग का संशोधन।
58. धारा 115ञघ का संशोधन।
59. धारा 115ण का संशोधन।

खंड

60. धारा 115द का संशोधन।

61. धारा 115नघ का संशोधन।

62. धारा 115पक का संशोधन।

63. धारा 115फब का संशोधन।

64. नई धारा 119क का अंतःस्थापन।

65. धारा 133क का संशोधन।

66. धारा 139 का संशोधन।

67. धारा 140 का संशोधन।

68. धारा 140क का संशोधन।

69. धारा 143 का संशोधन।

70. धारा 144ग का संशोधन।

71. धारा 156 का संशोधन।

72. धारा 191 का संशोधन।

73. धारा 192 का संशोधन।

74. धारा 194 का संशोधन।

75. धारा 194क का संशोधन।

76. धारा 194ग का संशोधन।

77. धारा 194ज का संशोधन।

78. धारा 194झ का संशोधन।

79. धारा 194ञ का संशोधन।

80. नई धारा 194ट का अंतःस्थापन।

81. धारा 194ठखक का संशोधन।

82. धारा 194ठग का संशोधन।

83. धारा 194ठघ का संशोधन।

84. नई धारा 194ण का अंतःस्थापन।

85. धारा 195 का संशोधन।

86. धारा 196क का संशोधन।

87. धारा 196ग का संशोधन।

88. धारा 196घ का संशोधन।

89. धारा 197 का संशोधन।

90. धारा 203कक का लोप।

91. धारा 204 का संशोधन।

92. धारा 206कक का संशोधन।

93. धारा 206ग का संशोधन।

94. नई धारा 234छ का अंतःस्थापन।

95. धारा 250 का संशोधन।

96. धारा 253 का संशोधन।

खंड

97. धारा 254 का संशोधन।

98. नई धारा 271ककघ का अंतःस्थापन।

99. नई धारा 271ट का अंतःस्थापन।

100. धारा 274 का संशोधन।

101. नई धारा 285खख का अंतःस्थापन।

102. धारा 288 का संशोधन।

103. धारा 295 का संशोधन।

104. पहली अनुसूची का संशोधन।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

105. धारा 11 का संशोधन।

106. धारा 28 का संशोधन।

107. धारा 28ककक का संशोधन।

108. नए अध्याय 5कक का अंतःस्थापन।

109. अध्याय 7क के शीर्ष का संशोधन।

110. नई धारा 51ख का अंतःस्थापन।

111. धारा 111 का संशोधन।

112. धारा 156 का संशोधन।

113. धारा 157 का संशोधन।

सीमाशुल्क टैरिफ

114. धारा 8ख के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

115. पहली अनुसूची का संशोधन।

केंद्रीय माल और सेवा कर

116. धारा 2 का संशोधन।

117. धारा 10 का संशोधन।

118. धारा 16 का संशोधन।

119. धारा 29 का संशोधन।

120. धारा 30 का संशोधन।

121. धारा 31 का संशोधन।

122. धारा 51 का संशोधन।

123. धारा 109 का संशोधन।

124. धारा 122 का संशोधन।

125. धारा 132 का संशोधन।

126. धारा 140 का संशोधन।

127. धारा 168 का संशोधन।

खंड

128. धारा 172 का संशोधन।

129. अनुसूची 2 का संशोधन।

130. कतिपय मामलों में केंद्रीय कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी छूट।

131. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (ii) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव।

एकीकृत माल और सेवा कर

132. धारा 25 का संशोधन।

133. कतिपय मामलों में एकीकृत कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी छूट।

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर

134. धारा 1 का संशोधन।

135. धारा 2 का संशोधन।

136. धारा 26 का संशोधन।

137. कतिपय मामलों में संघ राज्यक्षेत्र कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी छूट।

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर)

138. धारा 14 का संशोधन।

अध्याय 5

स्वास्थ्य उपकर

139. आयातित चिकित्सा युक्तियों पर स्वास्थ्य उपकर।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

भाग 1

भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 का संशोधन

140. इस भाग का प्रारंभ।

141. धारा 9क का संशोधन।

142. नई धारा 73ख का अंतःस्थापन।

भाग 2

बेनामी संपत्ति संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 का संशोधन

143. 1988 के अधिनियम संख्यांक 45 का संशोधन।

भाग 3

निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त और कारबार का संव्यहार) अधिनियम, 1991 का संशोधन

144. 1991 के अधिनियम सं. 11 का संशोधन।

खंड

भाग 4

वित्त अधिनियम, 2001 का संशोधन

145. 2001 के अधिनियम संख्यांक 14 की सातवीं अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन।

भाग 5

वित्त अधिनियम, 2013 का संशोधन

146. धारा 116 का संशोधन।

147. धारा 117 का संशोधन।

148. धारा 118 का संशोधन।

149. धारा 119, धारा 120 और धारा 132क का संशोधन।

पहली अनुसूची।

दूसरी अनुसूची।

तीसरी अनुसूची।

चौथी अनुसूची।

पांचवीं अनुसूची।

लोक सभा में 1 फरवरी, 2020
को पुरःस्थापित रूप में

2020 का विधेयक संख्यांक 26

[दि फाइनेंस बिल, 2020 का हिंदी अनुवाद]

वित्त विधेयक, 2020

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए केन्द्रीय सरकार
की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के इकतहरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2020 है ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय,—

(क) धारा 2 से धारा 104 तक 1 अप्रैल, 2020 को प्रवृत्त होंगी ;

(ख) धारा 116 से धारा 129 और धारा 132, उस तारीख को प्रवृत्त होंगी, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

आय-कर ।

2. (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2020 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक हो जाती है वहां,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा, [अर्थात् मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो]; और

(ख) प्रभार्य आय-कर निम्नलिखित रीति से परिकलित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी :

परंतु पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (ii) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष का या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीन लाख रुपए" शब्द रखे गए हों :

परंतु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (iii) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए" शब्द रखे गए हों ।

(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण, उस अध्याय या उस धारा में यथाउपबंधित रीति से, और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रतिनिर्देश से किया जाएगा : 1961 का 43

परंतु आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ और पैरा ङ में यथाउपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा सिवाय उस देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115 खकख के अधीन कर से प्रभार्य है :

परंतु यह और कि किसी ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खक, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115खखघक, धारा 115खखच, धारा 115खखछ, धारा 115ङ, धारा 115ञख या धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन कोई आय नहीं है की दशा में, जहां,—

(i) कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ; और

(iv) जहां कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(कक) ऐसे व्यष्टि या प्रत्येक व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन आय है,—

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ; और

(v) जहां कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु जो उपखंड (iii) और खंड (iv) के अधीन नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उस दशा में, जहां कुल आय में, आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ग) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में सिवाय ऐसी देशी कंपनी के जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(घ) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि उपरोक्त (क) और (कक) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय,—

(i) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ii) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(iii) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह दो करोड़ रुपए से अधिक है ;

(iv) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह पांच करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि उपरोक्त (ख) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खखङ की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह और भी कि प्रत्येक ऐसी देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(4) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 92गङ की उपधारा (2क) या धारा 115ण या धारा 115थक या धारा 115द की उपधारा (2) या धारा 115नक या धारा 115नघ के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, कर उन धाराओं में यथाविनिर्दिष्ट दर से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा ।

(5) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के अधीन, प्रवृत्त दरों से काटा जाना है, उनमें कटौतियां पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और उन मामलों में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 192क, धारा 194, धारा 194ग, धारा 194घक, धारा 194ङ, धारा 194ङ ङ, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194झक, धारा 194झख, धारा 194झग, धारा 194ञ, धारा 194ठक, धारा 194ठख, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग, धारा 194ठग, धारा 194ठघ, धारा 194ड, धारा 194ढ, धारा 194ण, धारा 196क, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौतियां उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएगी और उसमें,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो अनिवासी है,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग, और कटौतियों के अधीन रहते हुए, दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग, और कटौतियों के अधीन रहते हुए, पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आय का योग और कटौतियों के अधीन रहते हुए दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परंतुक के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उन दशाओं में, जहां कहीं विहित किया गया हो, उसमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण, आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण, उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जहां,—

(i) संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) संगृहीत या संगृहीत किए जाने के संभाव्य और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां संगृहीत या संगृहीत किए जाने के संभाव्य और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रकम या ऐसी रकमों का योग दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से काटा जाना है, या उस पर संदत्त किया जाना है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर", पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, "अग्रिम कर" की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रतिनिर्देश से की जाएगी :

परंतु यह और कि किसी देशी कंपनी की दशा में, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, या किसी निवासी सहकारी सोसाइटी की दशा में जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ के अधीन कर से प्रभार्य है, के सिवाय, आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित "अग्रिम कर" की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 3 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ और पैरा ङ में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खक, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115खखघक, धारा 115खखच, धारा 115खखछ, धारा 115ङ, धारा 115ञख और धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में पहले परंतुक के अधीन संगणित "अग्रिम कर" में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के से अधिक कोई आय नहीं है, जहां,—

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है ऐसे "अग्रिम कर" के पंद्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां कुल आय दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है ऐसे "अग्रिम कर" के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां कुल आय पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(कक) ऐसे व्यष्टि या प्रत्येक व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ के अधीन आय है,—

(i) जहां कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(iii) जहां कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(iv) जहां कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय को छोड़कर) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(v) जहां कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय सम्मिलित) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु जो उपखंड (iii) और उपखंड (iv) के अधीन नहीं आती है, ऐसे "अग्रिम कर" के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उस दशा में, जहां कुल आय में, आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन प्रभार्य कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित अग्रिम कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी, ऐसी सहकारी सोसाइटी के सिवाय, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ के अधीन कर से प्रभार्य है, या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ग) प्रत्येक देशी कंपनी, ऐसी देशी कंपनी के सिवाय, जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के सात प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के बारह प्रतिशत की दर से ;

(घ) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के दो प्रतिशत की दर से ;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि उपरोक्त (क) और (कक) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय,—

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पचास लाख रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(ग) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दो करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दो करोड़ रुपए रुपए से अधिक है ;

(घ) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो पांच करोड़ रुपए रुपए से अधिक है :

परंतु उपरोक्त (ख) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम और उस पर अधिभार की रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम पर आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115खखङ की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन कर से प्रभार्य पहले परंतुक के अधीन संगणित "अग्रिम कर" को ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार संघ के प्रयोजनों के लिए बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी देशी कंपनी की दशा में,जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक या धारा 115खकख के अधीन कर से प्रभार्य है, पहले परंतुक के अधीन संगणित "अग्रिम कर" को ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह और भी कि प्रत्येक ऐसे व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में,जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग के अधीन कर से प्रभार्य है, पहले परंतुक के अधीन संगणित "अग्रिम कर" को पहली अनुसूची के भाग III के पैरा क में यथा उपबंधित संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी निवासी सहकारी सोसाइटी की दशा में,जिसकी आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115खकघ के अधीन कर से प्रभार्य है, पहले परंतुक के अधीन संगणित "अग्रिम कर" को ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा।

(10) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है, ऐसी अन्य अवधि में कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय भी है और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना करने में,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में, केवल यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा [अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो] ; और

(ख) ऐसा आय-कर या यथास्थिति, "अग्रिम कर" निम्नलिखित रीति से प्रभारित या संगणित किया जाएगा, अर्थात् :—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित किया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो ;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो ;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित, आय-कर या यथास्थिति, "अग्रिम कर" की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में, आय-कर या यथास्थिति, "अग्रिम कर" होगी :

परंतु ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीन लाख रुपए" शब्द रखे गए हों :

परंतु यह और कि ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक की आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए" शब्द रखे गए हों :

परंतु यह भी कि इस प्रकार संकलित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम पर, प्रत्येक दशा में परिकलित अधिभार, उसमें उपबंधित रीति में, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(11) उपधारा (1) से उपधारा (3) में यथाविनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, लागू अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर चार प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर स्वास्थ्य शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे क्वालिटी स्वास्थ्य सेवाएं सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके ।

(12) उपधारा (4) से उपधारा (10) में यथाविनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित, संघ के प्रयोजनों के लिए, अधिभार द्वारा बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर चार प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर शिक्षा और स्वास्थ्य उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की स्वास्थ्य सेवाओं और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके :

परंतु इस उपधारा की कोई बात उन दशाओं में लागू नहीं होगी जिनमें उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में उल्लिखित आय-कर अधिनियम की धाराओं के अधीन कर की कटौती या संग्रहण किया जाना है, यदि स्रोत पर कर की कटौती या स्रोत पर कर के संग्रहण के अधीन रहते हुए आय को देशी कंपनी और किसी अन्य व्यक्ति को, जो भारत में निवासी है, संदत्त किया जाता है ।

(13) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "देशी कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2018 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय के संबंध में ऐसी आय में से संदेय लाभांशों (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी हैं) की घोषणा और भारत में उनके संदाय के लिए इंतजाम कर लिए हैं ;

(ख) "बीमा कमीशन" से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, उनका नवीकरण या उन्हें पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार है) कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या इनाम अभिप्रेत है ;

(ग) किसी व्यक्ति के संबंध में, "शुद्ध कृषि-आय" से, पहली अनूसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है ;

(घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में या पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं, किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

धारा 2 का संशोधन।

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में,—

(i) खंड (13क) में 1 अप्रैल, 2021 से,—

(क) उपखंड (ii) के अन्त में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) दीर्घ पंक्ति का लोप किया जाएगा ;

(ii) खंड (42क) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (i) के उपखंड (जछ) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(जज) किसी ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो धारा 49 की उपधारा (2कछ) में निर्दिष्ट पृथक्कृत पोर्टफोलियो की कोई यूनिट या यूनिटें हैं, उस अवधि को सम्मिलित किया जाएगा, जिसके लिए मुख्य पोर्टफोलियो में मूल यूनिट या यूनिटों को निर्धारिती द्वारा धारित किया गया था ;"।

धारा 6 का संशोधन।

4. आय-कर अधिनियम की धारा 6 में, 1 अप्रैल, 2021 से,—

(क) खंड (1) के स्पष्टीकरण 1 के खंड (ख) में, "एक सौ बयासी दिन" शब्दों के स्थान पर, "एक सौ बीस दिन" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (1) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1क) खंड (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यष्टि को, जो भारत का नागरिक है, किसी पूर्ववर्ष में भारत में निवासी होना समझा जाएगा, यदि वह अधिवास या निवास या समान प्रकृति के किसी अन्य मानदंड के कारण किसी अन्य देश या राज्यक्षेत्र में कर का दायी नहीं है ।";

(ग) खंड (6) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(6) किसी व्यक्ति के बारे में यह बात कि वह किसी पूर्ववर्ष में भारत में "मामूली तौर पर निवासी नहीं है" तब कही जाती है, जब वह व्यक्ति,—

(क) ऐसा व्यष्टि है, जो उस वर्ष के पूर्ववर्ती दस पूर्ववर्षों में से सात वर्षों में भारत में अनिवासी रहा हो ; या

(ख) ऐसा हिंदू अविभक्त कुटुंब है, जिसका कर्ता उस वर्ष के पूर्ववर्ती दस पूर्ववर्षों में से सात वर्षों में भारत में अनिवासी रहा हो ;"।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) में,— धारा 9 का संशोधन।

(क) खंड (i) में, —

(i) स्पष्टीकरण 1 के खंड (क) में, "ऐसे कारबार की दशा में" शब्दों के पूर्व, "महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति के कारण भारत में कारबारी संपर्क रखने वाले कारबार से भिन्न" शब्द 1 अप्रैल, 2022 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण 2क का 1 अप्रैल, 2021 से लोप किया जाएगा और निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 अप्रैल, 2022 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण 2क —** शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि भारत में अनिवासी की महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति, भारत में "कारबारी संपर्क" गठित करेगी और इस प्रयोजन के लिए "महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति" से निम्नलिखित अभिप्रेत होगा—

(क) भारत में किसी अनिवासी द्वारा किसी माल, सेवाएं या संपत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति के साथ किया गया कोई संव्यवहार जिसके अंतर्गत भारत में डाटा या साफ्टवेयर को डाउनलोड करने की व्यवस्था भी है, यदि, पूर्ववर्ष के दौरान ऐसे संव्यवहार या संव्यवहारों से उत्पन्न कुल संदाय ऐसी रकम से अधिक है, जो विहित की जाए ; या

(ख) भारत में कारबार क्रियाकलापों का क्रमबद्ध और निरंतर निवेदन करना या उपयोक्ताओं की ऐसी संख्या के साथ इंटरएक्शन करवाना, जो विहित की जाए :

परंतु, संव्यवहार या क्रियाकलाप भारत में महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति गठित करेंगे, चाहे—

(i) ऐसे संव्यवहारों या क्रियाकलापों के लिए करार भारत में किया गया है, अथवा नहीं, या

(ii) अनिवासी के पास भारत में कोई निवास-स्थान या कारबार का स्थान है अथवा नहीं ; या

(iii) अनिवासी भारत में सेवाएं प्रदान करता है अथवा नहीं :

परंतु यह और कि केवल ऐसी आय का उतना भाग जितना खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट संव्यवहारों या क्रियाकलापों से हुआ माना जा सकता है, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुआ समझा जाएगा।';

(iii) स्पष्टीकरण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण 3क—**शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि, स्पष्टीकरण 1 में यथानिर्दिष्ट भारत में की गई संक्रियाओं से हुई मानी जा सकने वाली आय में, निम्नलिखित आय सम्मिलित होगी—

(i) ऐसे विज्ञापन से आय, जिसका लक्ष्य ऐसा ग्राहक है, जो भारत में निवास करता है या ऐसा ग्राहक है जिसकी भारत में अवस्थित इंटरनेट प्रोटोकॉल पते के माध्यम से विज्ञापन तक पहुंच है ;

(ii) ऐसे व्यक्ति से, जो भारत में निवास करता है या ऐसे व्यक्ति से जो भारत में अवस्थित इंटरनेट प्रोटोकॉल पते का उपयोग करता है, एकत्रित डाटा के विक्रय से आय ; और

(iii) ऐसे व्यक्ति से, जो भारत में निवास करता है या ऐसे व्यक्ति से, जो भारत में अवस्थित इंटरनेट प्रोटोकॉल पते का उपयोग करता है, एकत्रित डाटा का उपयोग करते हुए माल या सेवाओं के विक्रय से आय।";

(iv) इस प्रकार अंतःस्थापित स्पष्टीकरण 3क के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2022 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतर्विष्ट उपबंध स्पष्टीकरण 2क में निर्दिष्ट संव्यवहारों या क्रियाकलापों से हुई मानी जा सकने वाली आय को भी लागू होंगे ।";

(v) स्पष्टीकरण 5 में,—

(I) दूसरे परंतुक में, "विनियम, 2014 के" शब्दों और अंकों के पश्चात् "निरसन से पूर्व इसके" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(II) दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि इस स्पष्टीकरण में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसी आस्ति या पूंजी आस्ति को लागू नहीं होगी जो किसी अनिवासी द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता) विनियम, 2019 के अधीन प्रवर्ग 1 के अधीन विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विनिधान के रूप में धारित की गई है ।";

1992 का 15

(ख) खंड (vi) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (v) में "किन्तु जिसके अंतर्गत सिनेमा फिल्मों के विक्रय, वितरण या प्रदर्शन के लिए प्रतिफल नहीं है" शब्दों का लोप 1 अप्रैल, 2021 से किया जाएगा ।

धारा 9क का संशोधन ।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (3) में,—

(क) खंड (ग) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु निधि में उक्त संकलित सहभागिता या विनिधान की संगणना के प्रयोजन के लिए, निधि के प्रचालन के पहले तीन वर्ष के दौरान पात्र निधि प्रबंधक द्वारा किए गए पच्चीस करोड़ रुपए से अनधिक के किसी अभिदाय को, निधि में उक्त हिसाब में नहीं लिया जाएगा"; और

(ख) खंड (ञ) के पहले परंतुक में, "इसके स्थापित या नियमित किए जाने के मास के अंत से छह मास की अवधि के अंत में या ऐसे पूर्ववर्ष के अंत में" शब्दों के स्थान पर, "इसके स्थापित या निगमित किए जाने के मास के अंत से बारह मास के अंत में" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 10 का संशोधन।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में,—

(I) खंड (23ग) में,—

(अ) 1 जून, 2020 से,—

(क) पहले और दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को, संबद्ध उपखंड के अधीन छूट तब तक प्राप्त नहीं होगी, जब तक कि ऐसी निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था, प्रधान आयुक्त या आयुक्त को विहित प्ररूप और रीति में अनुमोदन मंजूर करने के लिए,—

(i) जहां ऐसी निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को दूसरे परंतुक [जैसा कि वह वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा उसके संशोधन से ठीक पूर्व विद्यमान था] के अधीन अनुमोदन प्रदान किया जाता है, वहां उस तारीख से, जिसको यह खंड प्रवृत्त होता है, तीन मास के भीतर आवेदन नहीं करती है;

(ii) जहां ऐसी निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को अनुमोदन प्रदान किया जाता है और उक्त अनुमोदन की अवधि का अवसान होने वाला है, वहां उक्त अवधि के अवसान से कम से कम छह मास पूर्व आवेदन नहीं करती है ;

(iii) जहां ऐसी निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को अनंतिम रूप से अनुमोदन प्रदान किया जाता है, वहां अनंतिम अनुमोदन के अवसान से कम से कम छह मास पूर्व या उसके क्रियाकलाप आरंभ करने के छह मास के भीतर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो आवेदन नहीं करती है ;

(iv) किसी अन्य दशा में, उस निर्धारण वर्ष, जिसमें उक्त अनुमोदन की ईप्सा की गई है, से सुसंगत पूर्ववर्ष के प्रारंभ से कम से कम एक मास पूर्व आवेदन नहीं करती है,

और उक्त निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को दूसरे परंतुक के अधीन अनुमोदन प्रदान कर दिया जाता है :

परंतु यह और कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त पहले परंतुक के अधीन किए गए आवेदन के प्राप्त होने पर,—

(i) जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (i) के अधीन किया गया है, वहां पांच वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदन मंजूर करते हुए लिखित में आदेश पारित करेगा ;

(ii) जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन किया गया है, वहां,—

(क) स्वयं का निम्नलिखित के बारे में समाधान करने के लिए उससे ऐसे दस्तावेजों या जानकारी की मांग करेगा या ऐसी जांच करेगा, जिसे वह आवश्यक समझता है,—

(अ) ऐसी निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के क्रियाकलापों की वास्तविकता के बारे में ; और

(आ) उसके द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि की ऐसी अपेक्षाओं के अनुपालन के बारे में, जो उसके उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण हैं ; और

(ख) उपखंड (क) की मद (अ) के अधीन उसके उद्देश्यों और क्रियाकलापों की वास्तविकता के बारे में और मद (आ) के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन के बारे में स्वयं का समाधान करने के पश्चात्,—

(अ) पांच वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदन मंजूर करते हुए लिखित में आदेश पारित करेगा ;

(आ) यदि उसका इस प्रकार समाधान नहीं होता है तो वह उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसे आवेदन को नामंजूर करते हुए और साथ ही अपने अनुमोदन को रद्द करते हुए लिखित में आदेश पारित करेगा ;

(iii) जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (iv) के अधीन किया गया है, वहां उस निर्धारण वर्ष से, जिसमें रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा की गई है, तीन वर्ष की अवधि के लिए अनंतिम रूप से अनुमोदन मंजूर करते हुए लिखित में आदेश पारित करेगा,

और ऐसे आदेश की प्रति ऐसी निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को भेजेगा :";

(ख) आठवें और नौंवे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक के अधीन मंजूर किया गया कोई अनुमोदन, ऐसी निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की निम्नलिखित अवधि की आय के संबंध में लागू होगा,—

(i) जहां आवेदन पहले परंतुक के खंड (i) के अधीन किया जाता है, वहां उस निर्धारण वर्ष से, जिसमें उसे पूर्व में अनुमोदन मंजूर किया गया था ;

(ii) जहां आवेदन पहले परंतुक के खंड (ii) के अधीन किया जाता है, वहां उस निर्धारण वर्ष से, जिसके लिए उसे अनंतिम रूप से अनुमोदन मंजूर किया गया था ;

(iii) किसी अन्य दशा में, उस वित्तीय वर्ष से, जिसमें ऐसा आवेदन किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष से :

परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक के खंड (i), खंड (ii) के उपखंड (ख) और खंड (iii) के अधीन आदेश, क्रमशः तीन मास, छह मास और एक मास की अवधि के अवसान से पूर्व ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, पारित किया जाएगा, जिसकी संगणना उस मास के अंत से की जाएगी, जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ था :";

(आ) दसवें परंतुक में, "चिकित्सा संस्था उस वर्ष की बाबत अपने लेखाओं की संपरीक्षा धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किसी लेखा परीक्षक से कराएगी और सुसंगत निर्धारण वर्ष की विवरणी के साथ ऐसी" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "चिकित्सा संस्था धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व उस वर्ष की बाबत अपने लेखाओं की संपरीक्षा धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किसी लेखा परीक्षक से कराएगी और उस तारीख तक ऐसी" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ;

(इ) 1 जून, 2020 से,—

(क) सोलहवें परंतुक का लोप किया जाएगा ;

(ख) अठारहवें परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि पहले परंतुक, जैसा कि वह वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा उसके संशोधन से ठीक पूर्व विद्यमान था, के अधीन किए गए ऐसे सभी आवेदन, जो प्रधान आयुक्त या आयुक्त के समक्ष लंबित हैं और जिनके संबंध में पहले परंतुक के प्रभावी होने की तारीख से पूर्व कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, को उस तारीख को पहले परंतुक के खंड (iv) के अधीन किए गए आवेदनों के रूप में समझा जाएगा :"।

(II) 1 अप्रैल, 2021 से,—

(क) खंड (23घ) के आरंभिक भाग में "अध्याय 12ङ के उपबंधों के अधीन रहते हुए" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (23चग) के उपखण्ड (ख) में, "धारा 115ण की उपधारा (7) में निर्दिष्ट", शब्दों, अंकों, अक्षर और कोष्ठकों के स्थान पर, "किसी विशेष प्रयोजन एकक से प्राप्त या प्राप्य" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (23चघ) में, "के उपखंड (क)" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(घ) खंड (23चघ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(23चङ) किसी निर्दिष्ट व्यक्ति की भारत में उसके द्वारा किए गए विनिधान से उद्भूत होने वाले लाभांश, ब्याज या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों की प्रकृति की कोई आय, चाहे वह ऋण के रूप में हो या साम्या के रूप में हो, यदि विनिधान —

(i) 31 मार्च, 2024 को या उससे पहले किया गया है ;

(ii) कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए धारित किया गया है ; और

(iii) ऐसी कंपनी या उद्यम में किया गया है, जो धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (i) के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी अवसंरचना सुविधा को विकसित करने या उसे प्रचालित करने तथा उसे बनाए रखने का कारबार, या उसे विकसित करने, या उसे प्रचालित करने या बनाए रखने का कारबार या ऐसा अन्य कारबार, जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, चला रहा है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(क) आबू धाबी विनिधान प्राधिकरण की पूर्णतः स्वामित्वाधीन समनुषंगी, जो—

(i) संयुक्त अरब अमीरात का निवासी है ; और

(ii) जो संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के स्वामित्वाधीन निधि से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विनिधान करता है ;

(ख) ऐसी संप्रभु धन निधि, जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है, अर्थात् :—

(i) यह विदेशी सरकार के प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः पूर्णतः स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन है ;

(ii) इसे ऐसी विदेशी विधि के अधीन स्थापित किया गया है और विनियमित किया गया है ;

(iii) निधि के अर्जन या तो विदेशी सरकार के लेखे में या उस सरकार द्वारा पदाभिहित किसी अन्य लेखे में जमा किए जाते हैं की अर्जनों का कोई भाग किसी निजी व्यक्ति के फायदे को लागू नहीं होता है ;

(iv) उक्त निधि की आस्ति, विघटन पर विदेशी सरकार में निहित हो जाती है ;

(v) यह कोई वाणिज्यिक क्रियाकलाप, चाहे वह भारत के भीतर हो या भारत से बाहर, नहीं किया करता है ; और

(vi) इसे केंद्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है ;';

(ङ) खंड 34 में, पहले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि इस खंड की कोई बात, 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् लाभांश के रूप में प्राप्त किसी आय को लागू नहीं होगी ;";

(च) खंड (35) में परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि इस खंड की कोई बात, 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् यूनिटों के संबंध में प्राप्त किसी आय को लागू नहीं होगी ;";

(छ) खंड (45) का 1 अप्रैल, 2021 से लोप किया जाएगा।

(III) खंड (48ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(48ग) इस निमित्त केंद्रीय सरकार के निदेशों के अनुसरण में इसकी भंडारण प्रसुविधा में भंडारित कच्चे तेल की पुनः पूर्ति हेतु ठहराव के परिणामस्वरूप भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम निक्षेप लिमिटेड को प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली कोई आय, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन तेल उद्योग विकास बोर्ड के पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी है :

परंतु इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ठहराव को लागू नहीं होगी, यदि भंडारण प्रसुविधा में कच्चे तेल की पुनः पूर्ति उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष के भीतर, जिसमें कच्चा तेल पहली बार भंडारण प्रसुविधा से हटाया गया था, नहीं की जाती है ;"।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 10क की उपधारा (5) में,— धारा 10क का संशोधन।

(i) "आय-कर विवरणी के साथ" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) "निर्धारिती द्वारा धारा 288" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "निर्धारिती द्वारा धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व धारा 288" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 11 में, 1 जून, 2020 से, उपधारा (7) में,— धारा 11 का संशोधन।

(क) "धारा 12कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) "खंड (1) और खंड (23ग)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर "खंड (1), खंड (23ग) और खंड (46)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ग) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु ऐसा रजिस्ट्रीकरण उस तारीख से, जिसको, यथास्थिति, न्यास या संस्था, धारा 10 के खंड (23ग) के अधीन अनुमोदित किया जाता है या उक्त धारा के खंड (46) के अधीन अधिसूचित किया जाता है या वह तारीख जिसको यह परंतुक प्रवृत्त हुआ है, जो भी पश्चात्वर्ती हो, प्रवर्तित नहीं रहेगा :

परंतु यह और कि ऐसे न्यास या ऐसी संस्था जिसका रजिस्ट्रीकरण पहले परंतुक के अधीन प्रवर्तित नहीं हुआ है, धारा 12कख के अधीन अपने रजिस्ट्रीकरण को प्रवर्तित कराने के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए आवेदन कर सकेगा कि ऐसा करने पर, यथास्थिति, ऐसे न्यास या संस्था को धारा 10 के खंड (23ग) के अधीन अनुमोदन या उक्त धारा के खंड (46) के अधीन अधिसूचना उस तारीख से प्रभावहीन हो जाएगी जिसको उक्त रजिस्ट्रीकरण प्रवर्तित हो जाता है और तत्पश्चात् वह संबंधित खंड के अधीन छूट का हकदार नहीं होगा"।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 12क में,— धारा 12क का संशोधन।

(I) उपधारा (1) में,—

(अ) खंड (कख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड 1 जून, 2020 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(कग) खंड (क) से खंड (कख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आय को प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रधान आयुक्त या आयुक्त को विहित प्ररूप और रीति में कोई निम्नलिखित अवधि के भीतर आवेदन किया है,—

1996 का 3 (i) जहां न्यास या संस्था को धारा 12क [जैसी कि वह वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1996 द्वारा उसके संशोधन से ठीक पूर्व विद्यमान थी] या धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, वहां उस तारीख से, जिसको यह खंड प्रवृत्त होता है, तीन मास के भीतर ;

(ii) जहां न्यास या संस्था को धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाता है और उक्त रजिस्ट्रीकरण की अवधि का अवसान होने वाला है, वहां उक्त अवधि के अवसान से छह मास पूर्व ;

(iii) जहां न्यास या संस्था को धारा 12कख के अधीन अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, वहां अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की अवधि के अवसान से कम से कम छह मास पूर्व या उसके क्रियाकलाप आरंभ करने के छह मास के भीतर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ;

(iv) जहां किसी न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण धारा 11 की उपधारा (7) के पहले परंतुक के कारण प्रवर्तन में नहीं रह गया है, वहां उस निर्धारण वर्ष, जिसमें उक्त रजिस्ट्रीकरण को प्रवर्तन में लाने की ईप्सा की गई, के प्रारंभ से कम से कम छह मास पूर्व ;

(v) जहां न्यास या संस्था ने अपने उद्देश्यों को इस प्रकार अंगीकार किया है या उनमें उपांतरण किए हैं, जो रजिस्ट्रीकरण की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं, वहां उक्त अंगीकरण या उपांतरण की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर ;

(vi) किसी अन्य दशा में, उस निर्धारण वर्ष, जिसमें उक्त रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा की गई है, से सुसंगत पूर्ववर्ष के प्रारंभ से कम से कम एक मास पूर्व,

और ऐसा न्यास या संस्था धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई है ;";

(आ) खंड (ख) में, "उस वर्ष के लेखे धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित किए गए हैं और आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी के साथ ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट जो ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित है और जिसमें ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जाएं उपवर्णित हैं, प्रस्तुत की है" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "उस वर्ष के लेखे धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व, धारा 288 की

उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित किए गए हैं और आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी के साथ ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट जो ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित है और जिसमें ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जाएं उपवर्णित हैं, उस तारीख से पूर्व प्रस्तुत की है" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

(II) उपधारा (2) में, 1 जून, 2020 से,—

(अ) पहले परंतुक में, "परंतु" शब्द के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु किसी न्यास या संस्था को धारा 11 और धारा 12 के उपबंध, जहां आवेदन,—

(क) उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (i) के अधीन किया गया है, वहां उस निर्धारण वर्ष से लागू होंगे, जिसमें ऐसे न्यास या संस्था को पूर्व में रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया था ;

(ख) उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (iii) के अधीन, ऐसे निर्धारण वर्षों के प्रथम वर्ष से लागू होंगे, जिनके लिए वह अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया था :

परंतु यह और";

(आ) दूसरे परंतुक में, "परंतु और कि" शब्दों के स्थान पर, "परंतु यह भी कि" शब्द रखे जाएंगे ;

(इ) पहले और तीसरे परंतुक में, "धारा 12कक" शब्द, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, "या धारा 12कख" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 12कक का संशोधन।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 12कक की उपधारा (4) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा, 1 जून, 2020 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(5) इस धारा की कोई बात 1 जून, 2020 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होगी ।"।

नई धारा 12कख का अंतःस्थापन।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 12कक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 जून, 2020 से अंतःस्थापित की जाएगी ; अर्थात् —

नए रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया।

"12कख. (1) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के अधीन किए गए आवेदन की प्राप्ति पर,—

(क) जहां आवेदन, उक्त खंड के उपखंड (i) के अधीन किया गया है, पांच वर्षों की अवधि के लिए न्यास या संस्था को रजिस्ट्रीकृत करते हुए एक आदेश पारित करेगा ;

(ख) जहां आवेदन उक्त खंड के उपखंड (ii), उपखंड (iii), उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन किया गया है, —

(i) वहां ऐसे न्यास या संस्था से ऐसे दस्तावेज या जानकारी मंगाएगा, या स्वयं के समाधान हेतु ऐसी जांच करेगा जो वह आवश्यक समझे,—

(अ) न्यास या संस्था के क्रियाकलापों की वास्तविकता के बारे में, और

(आ) न्यास या संस्था द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि की ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन के बारे में, जो इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए महत्वपूर्ण हों, और

(ii) उपखंड (i) के मद (अ) के अधीन न्यास या संस्था के उद्देश्यों तथा उनके क्रियाकलापों की वास्तविकता, और मद (ख) के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन के बारे में स्वयं के समाधान के पश्चात् —

(अ) पूर्व पांच वर्षों की अवधि के लिए न्यास या संस्था को रजिस्ट्रीकृत करते हुए लिखित में एक आदेश पारित करेगा ;

(आ) यदि उसका इस प्रकार समाधान नहीं होता है, तो सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् आवेदन को नामंजूर करते हुए और साथ ही ऐसे रजिस्ट्रीकरण को रद्द भी करते हुए आदेश लिखित में पारित करेगा ;

(ग) जहां आवेदन उक्त खंड के उपखंड (vi) के अधीन किया जाता है, वहां उस निर्धारण वर्ष से, जिससे रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है, तीन वर्ष की अवधि के लिए न्यास या संस्था को अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत करने वाला आदेश लिखित में पारित करेगा,

और ऐसे आदेश की एक प्रति न्यास या संस्था को भेजेगा ।

(2) प्रधान आयुक्त या आयुक्त के समक्ष लंबित सभी आवेदन जिन पर धारा 12कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई आदेश उस तारीख के पूर्व पारित नहीं किया गया है, जिसको यह धारा प्रभावी हुई है, उस तारीख को ऐसे आवेदन धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (vi) के अधीन किया गया आवेदन समझे जाएंगे ।

(3) उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) के उपखंड (ii) और खंड (ग) के अधीन आदेश, उस मास की समाप्ति से संगणित, जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ था, क्रमशः तीन मास, छह मास और एक मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, पारित किया जाएगा।

(4) जहां उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन किसी न्यास या संस्था को रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है और तत्पश्चात् प्रधान आयुक्त या आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे न्यास या संस्था के क्रियाकलाप, यथास्थिति, वास्तविक नहीं है या न्यास या संस्था के उद्देश्यों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं, तो वह सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने के पश्चात्, ऐसे न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए, लिखित में आदेश पारित करेगा ।

(5) उपधारा (4) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन किसी न्यास या संस्था को रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है और तत्पश्चात्, यह देखने में आया है कि,—

(क) न्यास या संस्था के क्रियाकलाप ऐसी रीति में किए जा रहे हैं कि धारा 13 की उपधारा (1) के प्रचालन के कारण ऐसे न्यास या संस्था की संपूर्ण आय या उसके किसी भाग को अपवर्जित करते हुए धारा 11 या धारा 12 के उपबंध लागू नहीं होते ; या

(ख) न्यास या संस्था ने उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) की मद (आ) में यथानिर्दिष्ट, किसी अन्य विधि की अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया है और किसी भी नाम से ज्ञात, आदेश, निदेश या डिक्री में यह अभिनिर्धारित है कि ऐसा अननुपालन हुआ है, या तो विवादग्रस्त नहीं है या अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है,

तो, प्रधान आयुक्त या आयुक्त सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने के पश्चात् लिखित में आदेश द्वारा ऐसे न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा ।''।

धारा 17 का संशोधन ।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 17 के खंड (2) में उपखंड (vii) के स्थान पर 1 अप्रैल, 2021 से निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(vii) किसी निर्धारिती के संबंध में नियोजक द्वारा निर्धारिती के निम्नलिखित खातों में किए गए अभिदाय की रकम या रकमों का कुल योग,—

(क) किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि में ;

(ख) धारा 80गगघ की उपधारा (1) में निर्दिष्ट स्कीम में ; और

(ग) किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में,

उस सीमा तक, जहां वह किसी पूर्ववर्ष में सात लाख पचास हजार रुपए से अधिक है ;

(viiक) उपखंड (vii) में निर्दिष्ट निधि या स्कीम के अतिशेष में पूर्ववर्ष के दौरान ब्याज, लाभांश या समान प्रकृति की किसी अन्य रकम को जमा करके हुई वार्षिक अनुवृद्धि, उस सीमा तक, जहां तक वह ऐसे अभिदाय से संबद्ध है, जिसे उपधारा (vii) के अधीन किसी पूर्ववर्ष में, विहित की जाने वाली रीति में संगणित कुल आय में सम्मिलित किया गया है ; और" ।

धारा 32कख का संशोधन ।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 32कख की उपधारा (5) में, "संपरीक्षा नहीं की गई है और निर्धारिती अपनी आय की विवरणी के साथ" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 44कघ में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व, संपरीक्षा नहीं की गई है और निर्धारिती उस तारीख से पहले" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 33कख का संशोधन ।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 33कख की उपधारा (2) में "निर्धारिती, अपनी आय की विवरणी के साथ, ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक्तः" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "लेखाओं की, धारा 44कख में निर्दिष्ट किसी लेखापाल द्वारा और निर्धारिती, अपनी आय की विवरणी के साथ, उस तारीख तक ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक्तः" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 33कखक का संशोधन ।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 33कखक की उपधारा (2) में, "निर्धारिती, अपनी आय की विवरणी के साथ, ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक्तः" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "लेखाओं की धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व, और निर्धारिती, अपनी आय की विवरणी के साथ उस तारीख तक, ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक्तः" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे ।

धारा 35 का संशोधन ।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 35 में, 1 जून, 2020 से,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) स्पष्टीकरण में, उपखंड (iii) के पश्चात् स्पष्टीकरण में,—

(अ) "ऐसी संस्था को, जिसे खंड (ii) या खंड (iii) लागू होता है," शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "खंड (ii) या खंड (iii) या कोई कंपनी, जिसे खंड (iiक) लागू होता है," शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(आ) "खंड (ii) या खंड (iii)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "खंड (ii) या खंड (iii) या खंड (iiक) में निर्दिष्ट कोई कंपनी," शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (iv) के पश्चात् आने वाले, चौथे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था के संबंध में खंड (ii) या खंड (iii) अथवा खंड (iiक) के अधीन या कंपनी के संबंध में खंड (iiक) के अधीन उस तारीख, जिसको यह उपधारा प्रवृत्त हुई है, को या उसके पूर्व जारी प्रत्येक अधिसूचना तब तक वापस ली गई नहीं समझी जाएगी, जब तक खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट ऐसा अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था अथवा खंड (iiक) में निर्दिष्ट कंपनी उस तारीख से, जिसको यह परंतुक प्रवृत्त हुआ है, तीन मास के भीतर विहित आय-कर प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप और रीति में, जिसे विहित किया जाए सूचित नहीं कर देता है तथा ऐसी सूचना के अधीन रहते हुए, अधिसूचना 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले पांच क्रमवर्ती वर्षों की अवधि के लिए वैध होगी :

परंतु यह भी कि खंड (ii) या खंड (iiक) या खंड (iii) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कोई अधिसूचना उस तारीख जिसको वित्त विधेयक, 2020 राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करता है, के पश्चात्, किसी भी एक समय, पांच निर्धारण वर्षों से अनधिक ऐसे निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए प्रभावी होगा, जो अधिसूचना में विहित किया जाए।";

(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

'(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था अथवा खंड (iiक) में निर्दिष्ट कंपनी, उक्त उपधारा के संबंधित खंड के अधीन कटौती का हकदार तब तक नहीं होगा, जब तक ऐसा अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था अथवा कंपनी,—

(i) ऐसा विवरण, ऐसी अवधि के लिए तैयार नहीं करती है, जो विहित की जाए, और उक्त विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को, ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में सत्यापित, ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, उनका परिदान नहीं करता है या करवाता है :

परंतु ऐसा अनुसंधान, संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या कंपनी, विहित प्राधिकारी को, इस उपधारा के अधीन ऐसे प्ररूप में परिदत्त और ऐसी रीति में सत्यापित, जो विहित की जाए, विवरण में दी गई जानकारी में किसी गलती का सुधार करने या उसमें जोड़ने, हटाने या अद्यतन करने संबंधी एक संशोधन विवरण भी परिदत्त कर सकेगा ; और

(ii) ऐसी रीति में, ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए तथा राशि की प्राप्ति की तारीख से ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, दाता को दान की रकम विनिर्दिष्ट करने वाला एक प्रमाणपत्र नहीं भेजता है ।'।

धारा 35कघ का संशोधन ।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 35कघ में,—

(i) उपधारा (1) में "किसी निर्धारिती को" शब्दों के स्थान पर, "किसी निर्धारिती को, यदि वह विकल्प लेता है," शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (4) में, "निर्धारिती को किसी पूर्ववर्ष में," शब्दों के पश्चात्, "यदि निर्धारिती द्वारा कटौती का दावा किया गया है या उसका विकल्प लिया गया है और इस धारा के अधीन उसे अनुज्ञात किया गया है तो" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 35घ का संशोधन ।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 35घ की उपधारा (4) में, "उपगत किया गया है, लेखे धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित नहीं कर दिए गए हैं और निर्धारिती उस प्रथम वर्ष की, जिसमें इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया गया है, आय की विवरणी के साथ ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट जो ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित है और जिसमें ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, उपवर्णित हैं प्रस्तुत नहीं करता है" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "उपगत किया गया है, धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व लेखे धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापारिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित नहीं कर दिए गए हैं और निर्धारिती उस प्रथम वर्ष की, जिसमें इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया गया है, आय की विवरणी के साथ ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट जो ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित है और जिसमें ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, उपवर्णित हैं, उस तारीख तक प्रस्तुत नहीं करता है" शब्द रखे जाएंगे ।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 35ङ की उपधारा (6) में, "उपगत हुआ है, लेखे धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित नहीं कर दिए हैं और निर्धारिती उस प्रथम वर्ष की, जिसमें इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया गया है, आय की विवरणी के साथ ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट जो ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित है और जिसमें ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जाएं उपवर्णित हैं, प्रस्तुत नहीं करता है" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "उपगत हुआ है, लेखे धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित नहीं कर दिए हैं और निर्धारिती उस प्रथम वर्ष की, जिसमें इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया गया है, ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट जो ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित है और जिसमें ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जाएं उपवर्णित हैं, उस तारीख तक प्रस्तुत नहीं करता है" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे । धारा 35ङ का संशोधन ।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (5) में,— धारा 43 का संशोधन ।

(क) "मान्यताप्राप्त संगम" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं "मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) स्पष्टीकरण 2 में, खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1956 का 42 (iii) "मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" से प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में यथा निर्दिष्ट कोई मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज अभिप्रेत है और जो इस प्रयोजन के लिए ऐसी शर्तों को पूरा करता है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित और अधिसूचित की जाएं ।"।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 43गक की उपधारा (1) के परंतुक में, "पांच प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "दस प्रतिशत" शब्द, 1 अप्रैल, 2021 से रखे जाएंगे । धारा 43गक का संशोधन ।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 44कख में,— धारा 44कख का संशोधन ।

(क) खंड (क) में,—

(i) अंत में आने वाले "या" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ii) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु किसी व्यक्ति की दशा में, जिसका,—

(क) प्राप्त सभी रकमों का योग, जिसके अंतर्गत पूर्ववर्षों के दौरान विक्रय के लिए प्राप्त रकम, आवर्त या सकल प्राप्तियां, उक्त रकम के पांच प्रतिशत से अनधिक है ; और

(ख) किए गए सभी संदायों का योग, जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ष के दौरान नकद में उपगत व्यय की रकम, उक्त संदाय के पांच प्रतिशत से अनधिक है,

यह खंड ऐसे प्रभावी होगा, मानो, "एक करोड़ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच करोड़ रुपए" शब्द रख दिए गए थे ; या";

(ख) स्पष्टीकरण के खंड (ii) में, "नियत तारीख" शब्दों के पश्चात् "से एक मास पहले की तारीख" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 44घक की उपधारा (2) में, "और आय की विवरणी के साथ ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट विहित प्ररूप में देगा" शब्दों के स्थान पर, "धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पहले और उस तारीख तक ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट विहित प्ररूप में देगा" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे । धारा 44घक का संशोधन ।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 49 में, उपधारा (2कच) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 49 का संशोधन ।

'(2कछ) किसी पृथक्कृत पोर्टफोलियो में किसी यूनिट या यूनिटों के अर्जन की लागत वह रकम होगी, जो निर्धारिती द्वारा उसके सकल पोर्टफोलियो में धारित किसी यूनिट या यूनिटों के अर्जन की लागत के समान अनुपात में है, जैसा कि पोर्टफोलियो के पृथक्करण से ठीक पूर्व पृथक्कृत पोर्टफोलियो को अंतरित आस्ति के शुद्ध आस्ति मूल्य का वही अनुपात है जो सकल पोर्टफोलियो के शुद्ध आस्ति मूल्य का है ।

(2कज) मुख्य पोर्टफोलियो में यूनिट धारक द्वारा धारित मूल यूनिटों के अर्जन की लागत के बारे में यह समझा जाएगा कि उसमें से उपधारा (2कछ) के अधीन इस प्रकार प्राप्त रकम को घटा दिया गया है ।';

स्पष्टीकरण—उपधारा (2कछ) और उपधारा (2कज) के प्रयोजन के लिए "मुख्य पोर्टफोलियो", "प्रथक्कृत पोर्टफोलियो" और "सकल पोर्टफोलियो" पदों का क्रमशः वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा 1992 का 15 भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 11 के अधीन जारी परिपत्र संख्या एसईबीआई/एचओ/आईएमडी/डीएफ2/सीआईआर/पी/2018/160, तारीख 28 दिसंबर, 2018 में उनका है ।'।

धारा 50ख का संशोधन ।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 50ख की उपधारा (3) में, ''आय की विवरणी के साथ विहित प्ररूप में धारा 288 के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित'' शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, ''धारा 44कघ में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व, धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखाकार की रिपोर्ट'' शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे।

धारा 50ग का संशोधन ।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 50ग की उपधारा (1) के तीसरे परंतुक में, ''पांच प्रतिशत'' शब्दों के स्थान पर, ''दस प्रतिशत'' शब्द 1 अप्रैल, 2021 से रखे जाएंगे ।

धारा 55 का संशोधन ।

28. आय-कर अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (2) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'परंतु उपखंड (i) और उपखंड (ii) में निर्दिष्ट ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो भूमि या भवन या दोनों हैं, उक्त उपखंडों के प्रयोजनों के लिए, 1 अप्रैल, 2001 को ऐसी आस्ति का उचित बाजार मूल्य, 1 अप्रैल, 2001 को स्टांप शुल्क मूल्य से वहां अधिक नहीं होगा, जहां कहीं ऐसा स्टांप शुल्क मूल्य उपलब्ध है ।

स्पष्टीकरण—इस परंतुक के प्रयोजनों के लिए ''स्टांप शुल्क मूल्य'' से किसी स्थावर संपत्ति के संबंध में स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य अभिप्रेत है ।'।

धारा 56 का संशोधन ।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) में,—

(क) 1 जून, 2020 से,—

(i) खंड (v) के परंतुक के खंड (छ) में, ''धारा 12कक'' शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 12कक या धारा 12कख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (vi) के परंतुक के खंड (छ) में, ''धारा 12कक'' शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 12कक या धारा 12कख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(iii) खंड (vii) के दूसरे परंतुक के खंड (छ) में, ''धारा 12कक'' शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 12कक या धारा 12कख'' शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (x) में,—

(i) उपखंड (ख) की मद (आ) की उपमद (ii) में, ''पांच प्रतिशत'' शब्दों के स्थान पर, ''दस प्रतिशत'' शब्द, 1 अप्रैल, 2021 से रखे जाएंगे ;

(ii) परंतुक के खंड (vii) में, ''धारा 12क या धारा 12कक'' शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, ''धारा 12क या धारा 12कक या धारा 12कख'' शब्द, अंक और अक्षर, 1 जून, 2020 से रखे जाएंगे ।

धारा 57 का संशोधन ।

30. आय-कर अधिनियम की धारा 57 में, 1 अप्रैल, 2021 से,—

(क) खंड (i) में, ''धारा 115ण में निदिष्ट लाभांशों से भिन्न'' शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर ''लाभांश'' शब्द रखा जाएगा ;

(ख) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''परंतु किसी पूर्ववर्ष में ब्याज व्यय के मद्दे कटौती से भिन्न, लाभांश आय या धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि की यूनिटों के संबंध में आय, या धारा 10 के खंड (35) के स्पष्टीकरण में यथा-परिभाषित किसी विनिर्दिष्ट कंपनी से यूनिटों के संबंध में आय, और इस धारा के अधीन, ऐसी कटौती के बिना, उस वर्ष की कुल आय में सम्मिलित लाभांश, आय या ऐसी यूनिटों के संबंध में आय की बीस प्रतिशत से अधिक कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।''।

धारा 72कक के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन

31. आय-कर अधिनियम की धारा 72कक के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय मामलों में संचयित हानियों को अग्रनीत करने और उनका मुजरा करने तथा समामेलन की स्कीम में अनामेलित अवक्षयण का मोक।

'72कक. जब,—

(i) केंद्रीय सरकार द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (7) के अधीन मंजूर की गई और प्रवर्तन में लाई गई किसी स्कीम के अधीन किसी एक या अधिक बैंककारी कंपनी का किसी अन्य बैंककारी संस्था के साथ समामेलन हुआ है ; या 1949 का 10

(ii) केंद्रीय सरकार द्वारा, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 या दोनों के अधीन प्रवर्तन में लाई गई किसी स्कीम के अधीन एक या अधिक तत्स्थानी नए बैंक या बैंकों का किसी अन्य तत्स्थानी नए बैंक के साथ समामेलन हुआ है ; या 1970 का 5 1980 का 40

1972 का 57 (iii) केंद्रीय सरकार द्वारा साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 16 के अधीन मंजूर की गई और प्रवर्तन में लाई गई किसी स्कीम के अधीन एक या अधिक सरकारी कंपनी या कंपनियों का किसी अन्य सरकारी कंपनी के साथ समामेलन हुआ है,

तब धारा 2 के खंड (1ख) के उपखंड (i) से उपखंड (iii) या धारा 72क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी बैंककारी कंपनी या कंपनियों या समामेलित तत्स्थानी नए बैंक या नए बैंकों या समामेलित सरकारी कंपनी या कंपनियों की संचयित हानि और शेष अवक्षयण को, उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें समामेलन की स्कीम को प्रवर्तन में लाया गया था, यथास्थिति, ऐसी बैंककारी संस्था या समामेलित तत्स्थानी नए बैंक या समामेलित सरकारी कंपनी का मोक या अवक्षयण समझा जाएगा और हानि तथा अवक्षयण के लिए मोक को अग्रनीत किए जाने और मुजरा के संबंध में अधिनियम के अन्य उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(i) "संचयित हानि" से समामेलित बैंककारी कंपनी या कंपनियों या समामेलित तत्स्थानी नए बैंक या बैंकों या समामेलित सरकारी कंपनी या कंपनियों की "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन उतनी हानि (जो किसी सट्टा कारबार में हुई कोई हानि नहीं है) अभिप्रेत है, जितनी के लिए ऐसी समामेलित बैंककारी कंपनी या कंपनियां या समामेलित तत्स्थानी नया बैंक या नए बैंक या समामेलित सरकारी कंपनी या कंपनियां धारा 72 के उपबंधों के अधीन अग्रनीत और मुजरा किए जाने के लिए हकदार होती, यदि समामेलन नहीं हुआ होता ;

1949 का 10 (ii) "बैंककारी कंपनी" का वही अर्थ होगा जो उसका बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में है ;

1949 का 10 (iii) "बैंककारी संस्था" का वही अर्थ होगा जो उसका बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (15) में है ;

(iv) "तत्स्थानी नया बैंक" का वही अर्थ होगा, जो उसका बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण)
1970 का 5 अधिनियम, 1970 की धारा 2 के खंड (घ) या बैंककारी कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,
1980 का 40 1980 की धारा 2 के खंड (ख) में है ;

(v) "साधारण बीमा कारबार" का वही अर्थ होगा जो उसका साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम,
1972 का 57 1972 की धारा 3 के खंड (छ) में है ;

2013 का 18 (vi) "सरकारी कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (45) में यथापरिभाषित सरकारी कंपनी अभिप्रेत है, जो साधारण बीमा कारबार में लगी हुई है और जो साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम,
1972 का 57 1972 की धारा 4 या धारा 5 या धारा 16 के प्रवर्तन द्वारा अस्तित्व में आई है ;

(vii) "शेष अवक्षयण" से समामेलित बैंककारी कंपनी या कंपनियों या समामेलित तत्स्थानी नए बैंक या बैंकों या समामेलित सरकारी कंपनी या कंपनियों का अवक्षयण के लिए उतना मोक अभिप्रेत है, जो अनुज्ञात होने के लिए शेष रहता है और जिसे ऐसी बैंककारी कंपनी या कंपनियों या समामेलित तत्स्थानी नए बैंक या बैंकों या समामेलित सरकारी कंपनी या कंपनियों को अनुज्ञात किया गया होता, यदि समामेलन नहीं हुआ होता।'।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 80ङङक की उपधारा (3) के खंड (i) में, "2020" अंकों के स्थान पर, "2021" अंक 1 अप्रैल, 2021 से रखे जाएंगे । धारा 80ङङक का संशोधन ।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 80छ में, 1 जून, 2020 से— धारा 80छ का संशोधन ।

(i) उपधारा (5) में,—

(क) खंड (vi) में, "इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार आयुक्त द्वारा तत्समय अनुमोदित है ; और" शब्दों के स्थान पर, "प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा तत्समय अनुमोदित है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (vii) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(viii) संस्था या निधि ऐसे विवरण, ऐसी अवधि के लिए तैयार करती है, जो विहित की जाए और विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसे विवरण, ऐसे प्ररूप में परिदत्त ऐसी रीति में सत्यापित और ऐसी विशिष्टियां देते हुए, ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, परिदत्त करती है या करवाती है :

परंतु संस्था या निधि विहित प्राधिकारी को किसी त्रुटि का सुधार करने के लिए कोई सही किया हुआ विवरण भी परिदत्त कर सकेगा या इस उपधारा के अधीन प्रस्तुत विवरण में कोई वर्धन, लोप कर सकेगा या सूचना को ऐसे प्ररूप में अद्यतन कर सकेगा और ऐसी रीति में सत्यापित कर सकेगा, जो प्राधिकारी द्वारा विहित की जाए ; और

(ix) संस्था या निधि दानकर्ता को ऐसी रीति में दान की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, दान की प्राप्ति की तारीख से ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा :"

परंतु खंड (vi) में निर्दिष्ट संस्था या निधि अनुमोदन अनुदत्त करने के लिए प्रधान आयुक्त या आयुक्त को विहित प्ररूप और रीति में,—

(i) जहां संस्था या निधि को खंड (vi) के अधीन (जैसा कि वह वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा उसका संशोधन किए जाने के ठीक पूर्व था) इस परंतुक के प्रभावी होने की तारीख से तीन मास के भीतर, आवेदन करेगा ;

(ii) जहां संस्था या निधि का अनुमोदन किया जाता है और ऐसे अनुमोदन की अवधि अवसान होने को है, ऐसी अवधि के अवसान से कम से कम छह मास पूर्व, आवेदन करेगा ;

(iii) जहां संस्था या निधि का अनंतिम रूप से अनुमोदन किया गया है, अनंतिम अनुमोदन की अवधि के अवसान से कम से कम छह मास पूर्व या उसके कार्यकलाप प्रारंभ होने के छह मास के भीतर, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, आवेदन करेगा ;

(iv) किसी अन्य दशा में, उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के प्रारंभ होने से कम से कम एक मास पूर्व, जिससे उक्त अनुमोदन की ईप्सा की गई है, आवेदन करेगा :

परंतु यह और कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त पहले परंतुक के अधीन किए गए किसी आवेदन की प्राप्ति पर,—

(i) जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (i) के अधीन किया गया है, उसे पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदन अनुदत्त करते हुए एक लिखित आदेश पारित करेगा ;

(ii) जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन किया जाता है,—

(क) उससे ऐसे दस्तावेजों या सूचना की मांग करेगा या ऐसी जांच करेगा, जैसा वह निम्नलिखित के संबंध में स्वयं का समाधान करने के लिए आवश्यक समझे,—

(अ) ऐसी संस्था या निधि के कार्यकलापों की वास्तविकता ; और

(आ) खंड (i) से खंड (v) तक में अधिकथित सभी शर्तों का पूरा किया जाना ; और

(ख) मद (अ) के अधीन कार्यकलापों की वास्तविकता के संबंध में और उपखंड (क) की मद (आ) के अधीन सभी शर्तों को पूरा किए जाने के संबंध में स्वयं का समाधान करने के पश्चात्,—

(अ) पांच वर्ष की अवधि के लिए अपना अनुमोदन अनुदत्त करते हुए एक लिखित आदेश पारित करेगा ;

(आ) यदि उसका समाधान नहीं होता है तो उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, आवेदन को नामंजूर करते हुए और अपने अनुमोदन को भी रद्द करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा ;

(iii) जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (iv) के अधीन है, उसे निर्धारण वर्ष, जिससे रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा की गई है, से तीन वर्ष की अवधि के लिए अनंतिम रूप से अनुमोदन अनुदत्त करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा,

और ऐसे आदेश की प्रति संस्था या निधि को भेजेगा :

परंतु यह भी कि पहले परंतुक के खंड (i), खंड (ii) के उपखंड (ख) और खंड (iii) के अधीन आदेश ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में क्रमशः तीन मास, छह मास और एक मास की अवधि, जिसकी गणना उस मास के अंत से की जाएगी, जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ था, के अवसान से पूर्व पारित किया जाएगा :

पंरतु यह भी कि दूसरे परंतुक के अधीन अनुदत्त अनुमोदन किसी संस्था या निधि को लागू होगा, जहां आवेदन,—

(क) उस निर्धारण वर्ष से, जिससे ऐसे संस्था या निधि को पूर्व में अनुमोदन अनुदत्त किया गया था, पहले परंतुक के खंड (i) के अधीन किया जाता है ;

(ख) उन निर्धारण वर्षों, जिनके लिए ऐसी संस्था या निधि को अनंतिम रूप से अनुमोदित किया गया था, में से पहले निर्धारण वर्ष के लिए पहले परंतुक के खंड (iii) के अधीन किया जाता है ;

(ग) किसी अन्य दशा में, उस वित्तीय वर्ष से तुरंत पश्चात् निर्धारण वर्ष से, जिसमें ऐसा अनुमोदन किया जाता है ।";

(ii) उपधारा (5घ) में, स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण 2क**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी निधि या संस्था, जिसको उपधारा (5) लागू होती है, को किए गए किसी दान के संबंध में कटौती के लिए निर्धारिती द्वारा किसी निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी में उसके दावे को उक्त दान के संबंध में संस्था या निधि द्वारा आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत सूचना के आधार पर, बोर्ड द्वारा समय-समय पर विरचित जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुसार सत्यापन के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जाएगा ।";

(iii) उपधारा (5घ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(5ङ) आयुक्त के समक्ष लंबित सभी आवेदनों को, जिन पर उपधारा (5) के खंड (vi) के अधीन उस तारीख से पूर्व कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, जिसको यह उपधारा प्रभावी हुई है, उस तारीख को उपधारा (5) के पहले परंतुक के खंड (iv) के अधीन किए गए आवेदन समझा जाएगा ।"।

धारा 80छछक का संशोधन ।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 80छछक में, 1 जून, 2020 से,—

(i) उपधारा (2क) में "दस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि निर्धारिती द्वारा किसी निर्धारण वर्ष के लिए फाइल की गई आय की विवरणी में उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी धनराशि के संबंध में कटौती के लिए उसके दावे को, पाने वाले द्वारा विहित आय-कर प्राधिकारी को या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी धनराशि के संबंध में दी गई जानकारी के आधार पर, बोर्ड द्वारा समय-समय पर बनाई गई जोखिम प्रबंध रणनीति के अनुसार सत्यापन के अधीन रहते हुए, अनुज्ञात किया जाएगा ।"।

धारा 80झक का संशोधन ।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 80झक की उपधारा (7) में, "किए गए हैं और निर्धारिती अपनी आय की विवरणी के साथ" शब्दों के स्थान पर, "धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 80झकग का संशोधन ।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 80झकग में, 1 अप्रैल, 2021 से,—

(i) उपधारा (2) में, "सात" शब्द के स्थान पर "दस" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) स्पष्टीकरण के खंड (ii) के, उपखंड (ख) में, "पच्चीस करोड़" शब्दों के स्थान पर "एक सौ करोड़" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 80झख का संशोधन ।

37. आय-कर अधिनियम की धारा 80झख में,—

(क) उपधारा (7क) के खंड (ख) के उपखंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) निर्धारिती, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पहले धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित तथा सत्यापित लेखापरीक्षा की रिपोर्ट यह प्रमाणित करते हुए दे देता है कि कटौतियों का सही रूप से दावा किया गया है ।";

(ख) उपधारा (7ख) के खंड (ख) के उपखंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) निर्धारिती, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पहले धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित तथा सत्यापित लेखापरीक्षा की रिपोर्ट यह प्रमाणित करते हुए दे देता है कि कटौतियों का सही रूप से दावा किया गया है ।";

(ग) उपधारा (11ख) के खंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(iv) निर्धारिती, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पहले धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित तथा सत्यापित लेखापरीक्षा की रिपोर्ट यह प्रमाणित करते हुए दे देता है कि कटौतियों का सही रूप से दावा किया गया है ।";

(घ) उपधारा (11ग) के खंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(iv) निर्धारिती, ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पहले धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित तथा सत्यापित लेखापरीक्षा की रिपोर्ट यह प्रमाणित करते हुए दे देता है कि कटौतियों का सही रूप से दावा किया गया है ।"।

धारा 80झखक का संशोधन ।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 80झखक की उपधारा (2) के खंड (क) में, "2020" अंकों के स्थान पर, "2021" अंक, 1 अप्रैल, 2021 से रखे जाएंगे ।

धारा 80ञञकक का संशोधन ।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 80ञञकक की उपधारा (2) के खंड (ग) में, "निर्धारिती आय की विवरणी के साथ धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित लेखापाल की रिपोर्ट उसमें ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, देते हुए प्रस्तुत नहीं कर देता है" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "निर्धारिती धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल की रिपोर्ट उसमें ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, देते हुए धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व प्रस्तुत नहीं कर देता है" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

नई धारा 80ड का अंतःस्थापन।

40. आय-कर अधिनियम की धारा 80ठक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कतिपय अंतःनिगम लाभांशों के संबंध में कटौती ।

'80ड. (1) जहां किसी देशी कंपनी की सकल कुल आय में किसी पूर्ववर्ष में किसी अन्य देशी कंपनी से लाभांशों के रूप में प्राप्त हुई कोई आय सम्मिलित है, वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में और उसके अधीन रहते हुए, ऐसी अन्य देशी कंपनी से प्राप्त लाभांशों के रूप में प्राप्त उतनी आय की रकम के बराबर कर की कटौती की जाएगी, जो पहले उल्लिखित देशी कंपनी द्वारा नियत तारीख को या उससे पूर्व वितरित लाभांश की रकम से अधिक नहीं है ।

(2) जहां किसी देशी कंपनी द्वारा वितरित लाभांश की रकम के संबंध में, किसी पूर्ववर्ष में उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात की गई है, वहां किसी अन्य पूर्ववर्ष में ऐसी रकम के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "नियत तारीख" से धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख से एक मास पूर्व की तारीख अभिप्रेत है ।'।

धारा 90 का संशोधन ।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 90 की उपधारा (1) के खंड (ख) में "इस अधिनियम के अधीन" शब्दों के पश्चात्, "कर अपवंचन या परिवर्जन के माध्यम से अकराधान या अवनत कराधान के लिए अवसरों का सृजन किए बिना (जिसके अंतर्गत किसी अन्य देश या राज्यक्षेत्र के निवासियों के अप्रत्यक्ष फायदे के लिए इस करार में उपबंधित अनुतोषों को प्राप्त करने के उद्देश्य से संधि-खरीदारी ठहरावों के माध्यम से भी सम्मिलित है)," शब्द और कोष्ठक 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 90क का संशोधन ।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 90क की उपधारा (1) के खंड (ख) में "इस अधिनियम के अधीन" शब्दों के पश्चात् "कर अपवंचन या परिवर्जन के माध्यम से अकराधान या अवनत कराधान के लिए अवसरों का सृजन किए बिना (जिसके अंतर्गत किसी अन्य देश या राज्यक्षेत्र के निवासियों के अप्रत्यक्ष फायदों के लिए उक्त करार में उपबंधित अनुतोषों को प्राप्त करने के उद्देश्य से संधि-खरीदारी ठहरावों के माध्यम से, भी सम्मिलित है)," शब्द और कोष्ठक 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 92गख का संशोधन ।

43. आय-कर अधिनियम की धारा 92गख की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) (क) धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट आय ; या

(ख) धारा 92ग या धारा 92गक के अधीन सन्निकट कीमत,

का अवधारण, सुरक्षित बंदरगाह नियमों के अध्यधीन किया जाएगा ।"।

धारा 92गग का संशोधन ।

44. आय-कर अधिनियम की धारा 92गग में,—

(क) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

"(1) बोर्ड, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित को अवधारित करते हुए, किसी व्यक्ति के साथ अग्रिम मूल्यांकन करार कर सकेगा,—

(क) उस व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में सन्निकट कीमत या वह रीति विनिर्दिष्ट करते हुए, जिसके द्वारा सन्निकट कीमत अवधारित की जानी है ;

(ख) धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट आय या वह रीति विनिर्दिष्ट करते हुए, जिसमें ऐसी आय को अवधारित किया जाना है, जो युक्तियुक्त रूप से उस व्यक्ति, जो अनिवासी है, द्वारा या उसकी ओर से भारत में किए जाने वाले प्रचालनों के कारण उद्भूत हुई है ।

(2) उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट सन्निकट कीमत या खंड (ख) में निर्दिष्ट आय को अवधारित करने की रीति में, धारा 92ग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पद्धतियां इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा उपबंधित ऐसी पद्धतियां, ऐसे समायोजनों या अंतरणों सहित, जिन्हें किया जाना आवश्यक या समीचीन हो, सम्मिलित हो सकेगी ।

(3) धारा 92ग या धारा 92गक या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित ऐसी पद्धतियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार की ऐसी सन्निकट कीमत या उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट किसी ऐसी आय को, जिसके संबंध में अग्रिम मूल्यांकन करार किया गया है, इस प्रकार किए गए अग्रिम मूल्यांकन करार के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।'';

(ख) उपधारा (9क) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

''(9क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार, ऐसी शर्तों, प्रक्रिया और रीति, जो विहित की जाए, के अधीन रहते हुए, उपधारा (4) में निर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्षों के प्रथम वर्ष के पहले के चार पूर्ववर्षों से अनधिक किसी अवधि के दौरान निम्नलिखित के अवधारण के लिए उपबंध कर सकेगा,—

(क) सन्निकट कीमत या ऐसी रीति को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में सन्निकट कीमत को अवधारित किया जाएगा ;

(ख) धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट आय या ऐसी रीति को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसमें ऐसी आय का अवधारण किया जाना है, जो युक्तियुक्त रूप से उस व्यक्ति, जो अनिवासी है, द्वारा या उसकी ओर से भारत में किए जाने वाले प्रचालनों के कारण उद्‌भूत हुई है,

और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार की सन्निकट कीमत या ऐसे व्यक्ति की आय का अवधारण उक्त करार के अनुसार किया जाएगा ।''।

धारा 92च का संशोधन ।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 92च में, खंड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(iv) ''विनिर्दिष्ट तारीख'' से धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी देने की नियत तारीख से एक मास पहले की तारीख अभिप्रेत है ;'।

धारा 94ख का संशोधन ।

46. आय-कर अधिनियम की धारा 94ख की उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

''(1क) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी उधार देने वाले, जो किसी अनिवासी का, जो बैंककारी कारबार में लगा हुआ व्यक्ति है, स्थायी स्थापन है, द्वारा जारी उधार के संबंध में संदत्त ब्याज को लागू नहीं होगी ।''।

धारा 115क का संशोधन ।

47. आय-कर अधिनियम की धारा 115क में,—

(I) उपधारा (1) के खंड (क) में, ''धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न'' शब्दों, अंकों और अक्षर का, दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं, 1 अप्रैल, 2021 से लोप किया जाएगा ;

(II) उपधारा (5) में,—

(i) खंड (क) में ''खंड (क)'' शब्द, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, ''खंड (क) या खंड (ख)'' शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

''(ख) अध्याय 17 के भाग ख के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कटौती योग्य कर की ऐसी आय में से कटौती कर ली गई है और ऐसी कटौती की दर उपधारा (1) की, यथास्थिति, उपखंड (क) या उपखंड (ख) में उपबंधित दर से कम नहीं है ।'' ।

धारा 115कग का संशोधन ।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 115कग में, ''धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न'' शब्दों, अंकों और अक्षर का, जहां-जहां वे आते हैं, 1 अप्रैल, 2021 से लोप किया जाएगा ।

धारा 115कगक का संशोधन ।

49. आय-कर अधिनियम की धारा 115कगक में, ''धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न लाभांश'' शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, ''लाभांश'' शब्द 1 अप्रैल, 2021 से रखा जाएगा ।

धारा 115कघ का संशोधन ।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में, ''धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों के रूप में आय से भिन्न आय'' शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, ''प्रतिभूतियों (धारा 115कख में निर्दिष्ट यूनिटों से भिन्न) के संबंध में प्राप्त आय'' शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर 1 अप्रैल, 2021 से रखे जाएंगे ।

धारा 115खकक का संशोधन ।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक की उपधारा (2) के खंड (i) में, "धारा 80ञञकक के उपबंधों से भिन्न शी-र् "ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियां" के अधीन अध्याय 6क के उपबंधों के अधीन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 80ञञकक या धारा 80ड के उपबंधों से भिन्न अध्याय 6क के उपबंधों के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर, रखे जाएंगे ।

धारा 115खकख का संशोधन ।

52. आय-कर अधिनियम की धारा 115खकख की उपधारा (2) में,—

(i) खंड ग के उपखंड (i) में, "धारा 80ञञकक के उपबंधों से भिन्न शी-र् "ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियां" के अधीन अध्याय 6क के उपबंधों के अधीन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 80ञञकक या धारा 80ड के उपबंधों से भिन्न अध्याय 6क के उपबंधों के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर,रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित स्प-टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्प-टीकरण**—खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए "किसी वस्तु या चीज को विद्युत उत्पादन के कारबार में सम्मिलित किया जाएगा" में विद्युत उत्पादन का कारबार सम्मिलित होगा ।"।

नई धारा 115खकग और धारा 115खकघ का अंतःस्थापन ।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 115खकख के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

व्य-िटयों और हिंदू अविभक्त कुटुंब की आय पर कर ।

'115खकग. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण व-र् से सुसंगत किसी पूर्वव-र् के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति की, जो व्य-िट या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, कुल आय की बाबत संदेय आय-कर, ऐसे व्यक्ति के विकल्प पर, नीचे सारणी में दी गई दर पर संगणित किया जाएगा, यदि उपधारा (2) में अंतर्वि-ट शर्तों का समाधान हो जाता है :

सारणी

कुल आय	दर
2,50,000 रुपए तक	शून्य
2,50,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 7,50,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
7,50,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	15 प्रतिशत
10,00,001 रुपए से 12,50,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
12,50,001 रुपए से 15,00,000 रुपए तक	25 प्रतिशत
15,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशतः

परंतु जहां व्यक्ति, किसी पूर्वव-र् में उपधारा (2) में अंतर्वि-ट शर्तों का समाधान करने में असफल हो जाता है, वहां उस पूर्वव-र् से सुसंगत निर्धारण व-र् की बाबत विकल्प अविधिमान्य हो जाएगा और अधिनियम के अन्य उपबंध इस प्रकार लागू होंगे, मानो उस पूर्वव-र् से सुसंगत निर्धारण व-र् के लिए विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था :

परंतु यह और कि जहां उपधारा (5) के खंड (i) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया जाता है, वहां उपधारा (2) में अंतर्वि-ट शर्तों के समाधान में असफलता की दशा में, यह पश्चात्वर्ती निर्धारण व-र्ों के लिए भी अविधिमान्य हो जाएगा और उन व-र्ों के लिए अधिनियम के अन्य उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, व्य-िट या हिंदू अविभक्त कुटुंब की कुल आय की संगणना,—

(i) धारा 10 के खंड (5) या खंड (13क) के अधीन या खंड (14) के अधीन विहित (उनसे भिन्न, जो इस प्रयोजन के लिए विहित किए जाएं), या खंड (17) या खंड (32) या धारा 10कक या धारा 16 या धारा 24 के खंड (क) या धारा 24 के खंड (ख) [धारा 23 की उपधारा (2) में निर्दि-ट संपत्ति की बाबत] या धारा 25क की उपधारा (2) या धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) या धारा 32कघ या धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 35 की उपधारा (1) के उपखंड (ii) या उपखंड (iiक) या उपखंड (iii) या उपधारा (2कक) या धारा 35कघ या धारा 35गगग या धारा 57 के खंड (iiक) के अधीन या धारा 80गगघ की उपधारा (2) या धारा 80ञञकक के उपबंधों से भिन्न अध्याय 6क के किसी उपबंध के अधीन किसी छूट या कटौती के बिना की जाएगी ;

(ii) किसी हानि का,—

(क) जिसे किसी पूर्वतर निर्धारण व-र् से अग्रनीत किया गया है या अवक्षयण का, यदि ऐसी हानि या अवक्षयण खंड (i) में निर्दि-ट किसी कटौती के कारण हुआ माना गया है ;

(ख) जो "गृह संपत्ति से आय" शी-र् के अधीन हुई है, आय के किसी अन्य शी-र् से,

मुजरा किए बिना, की जाएगी ;

(iii) धारा 32 के किसी उपबंध के अधीन, उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (iiक) के सिवाय, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अवधारित अवक्षयण, यदि कोई हो, का दावा करके की जाएगी ; और

(iv) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधित भत्ते या परिलब्धि, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, के लिए किसी छूट या कटौती के बिना की जाएगी ।

(3) उपधारा (2) के खंड (ii) में निर्दि-ट हानि और अवक्षयण को पूर्ण प्रभाव दिया गया समझा जाएगा और ऐसी हानि या अवक्षयण के लिए किसी पश्चातवर्ती व-र्ा के लिए किसी और कटौती को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु जहां आस्ति के ऐसे ब्लॉक की बाबत किसी अवक्षयण मोक को, जिसे 1 अप्रैल, 2021 को आरंभ होने वाले निर्धारण व-र्ा के पहले पूर्ण प्रभाव नहीं दिया गया है, वहां तत्स्थानी समायोजन, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, 1 अप्रैल, 2020 को आस्तियों के ऐसे ब्लॉक के अवलिखित मूल्य पर किया जाएगा, यदि उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग 1 अप्रैल, 2021 को आरंभ होने वाले निर्धारण व-र्ा से सुसंगत पूर्वव-र्ा के लिए किया गया है ।

(4) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसकी धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दि-ट अंतर्रा-ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कोई यूनिट है, जिसने उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, उपधारा (2) में अंतर्वि-ट शर्तें उस सीमा तक उपांतरित की जाएंगी, जहां तक ऐसी यूनिट को धारा 80ठक के अधीन कटौती, उक्त धारा में अंतर्वि-ट शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन रहते हुए उपलब्ध है ।

स्प-टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "यूनिट" पद का वही अर्थ होगा, जो विशे-ा आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यग) में उसका है ।

2005 का 28

(5) इस धारा में अंतर्वि-ट कोई बात तभी लागू होगी, जब ऐसे व्यक्ति द्वारा,—

(i) जिसकी कारबार से आय है, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण व-र्ा से सुसंगत किसी पूर्वव-र्ा के लिए, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने हेतु विनिर्दि-ट नियत तारीख को या उससे पहले विकल्प का प्रयोग विहित रीति में कर दिया गया है और एक बार प्रयोग किए जाने पर ऐसा विकल्प पश्चात्वर्ती निर्धारण व-र्ाों को लागू होगा ;

(ii) जिसकी कारबार से कोई आय नहीं है, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन किसी निर्धारण व-र्ा के पूर्व सुसंगत व-र्ा के लिए प्रस्तुत की जाने वाली आय की विवरणी के साथ विकल्प का प्रयोग विहित रीति में कर दिया गया है :

परंतु खंड (i) के अधीन विकल्प, यदि किसी पूर्वव-र्ा के लिए एक बार प्रयोग कर लिया गया है, तो उस व-र्ा से, जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया गया है, भिन्न किसी पूर्वव-र्ा के लिए केवल एक बार वापस लिया जा सकेगा और उसके पश्चात्, वह व्यक्ति इस धारा के अधीन विकल्प का प्रयोग करने के लिए तब के सिवाय कभी पात्र नहीं होगा, जब उस व्यक्ति की कोई कारबार आय नहीं रह जाती है, उस दशा में खंड (ii) के अधीन विकल्प उपलब्ध होगा ।

कतिपय निवासी सहकारी सोसाइटियों की आय पर कर ।

115खकघ. (1) इस अधिनियम में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी किंतु इस अध्याय के उपबंधों के अध्यधीन किसी व्यक्ति की, जो भारत में निवासी सहकारी सोसाइटी है, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण व-र्ा के सुसंगत किसी पूर्वव-र्ा के लिए कुल आय की बाबत संदेय आय-कर, ऐसे व्यक्ति के विकल्प पर बाईस प्रतिशत की दर से संगणित किया जाएगा, यदि उपधारा (2) में अंतर्वि-ट शर्तों का समाधान हो जाता है :

परंतु जहां व्यक्ति किसी पूर्वव-र्ा में अपनी आय की संगणना करने में उपधारा (2) में अंतर्वि-ट शर्तों का समाधान करने में असफल हो जाता है वहां विकल्प उस पूर्वव-र्ा और पश्चात्वर्ती निर्धारण व-र्ाों के सुसंगत निर्धारण व-र्ा की बाबत अविधिमान्य हो जाएगा और अधिनियम के अन्य उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उस पूर्वव-र्ा और पश्चात्वर्ती निर्धारण व-र्ाों के सुसंगत निर्धारण व-र्ा के लिए विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए सहकारी सोसाइटी की कुल आय की संगणना,—

(i) धारा 80ञञकक के उपबंधों से भिन्न धारा 10कक या धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) या धारा 32कघ या धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) या खंड (iiक) या खंड (iii) या उपधारा (2कक) या धारा 35कघ या धारा 35गगग या अध्याय 6क के किसी उपबंध के अधीन कोई कटौती किए बिना ;

(ii) किसी पूर्ववर्ती निर्धारण व-र्ा से अग्रनीत किसी हानि या अवक्षयण का मुजरा किए बिना, यदि ऐसी हानि या अवक्षयण खंड (i) में निर्दि-ट किसी कटौती के कारण हुआ माना गया है ; और

(iii) उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (iiक) के सिवाय धारा 32 के किसी उपबंध के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अवधारित अवक्षयण, यदि कोई हो, का दावा करके,

की जाएगी ।

(3) उपधारा (2) के खंड (ii) में निर्दि-ट हानि और अवक्षयण को पूर्ण प्रभाव दिया गया समझा जाएगा और ऐसी हानि या अवक्षयण के लिए किसी पश्चात्वर्ती व-र्ा के लिए किसी और कटौती को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परंतु जहां आस्ति के ऐसे ब्लॉक की बाबत किसी अवक्षयण मोक को, जिसे 1 अप्रैल, 2021 को आरंभ होने वाले निर्धारण व-र् के पहले पूर्ण प्रभाव नहीं दिया गया है, वहां तत्स्थानी समायोजन, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, 1 अप्रैल, 2020 को आस्तियों के ऐसे ब्लॉक के लिखित मूल्य में किया जाएगा यदि उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग 1 अप्रैल, 2021 को आरंभ होने वाले निर्धारण व-र् के सुसंगत पूर्वव-र् के लिए किया गया है ।

(4) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दि-ट अंतर्रा-ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कोई यूनिट रखता है, जिसने उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, उपधारा (2) में अंतर्वि-ट शर्तें उस सीमा तक उपांतरित की जाएंगी, जहां तक उक्त धारा के अधीन कटौती उस धारा में अंतर्वि-ट शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन ऐसी यूनिट को उपलब्ध है ।

स्प-टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "यूनिट" पद का वही अर्थ होगा, जो विशे-ा आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यग) में उसका है । 2005 का 28

(5) इस धारा की कोई बात तभी लागू होगी, जब व्यक्ति द्वारा विकल्प का प्रयोग 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण व-र् के सुसंगत किसी पूर्वव-र् के लिए आय की विवरणी देने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दि-ट देय तारीख को या उससे पहले ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कर लिया गया है और ऐसा विकल्प एक बार प्रयोग किए जाने पर पश्चात्वर्ती निर्धारण व-र्ों को लागू नहीं होगा :

परंतु किसी पूर्वव-र् में एक बार विकल्प का प्रयोग कर लिया गया है, तो उसे तत्पश्चात् उसी या किसी अन्य पूर्वव-र् में वापस नहीं लिया जा सकता ।

धारा 115खखघक का संशोधन ।

54. आय-कर अधिनियम की धारा 115खखघक में,—

(क) उपधारा (1) में, "निवासी है, की कुल आय में किसी देशी" शब्दों के स्थान पर, "निवासी है, की कुल आय में 31 मार्च, 2020 को या उससे पूर्व किसी देशी" शब्द और अंक 1 अप्रैल, 2021 से रखे जाएंगे ;

(ख) स्प-टीकरण के खंड (ख) के उपखंड (iii) में, "धारा 12क या 12कक के अधीन" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, "धारा 12क, धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन" शब्द, अक्षर और अंक 1 जून, 2020 से रखे जाएंगे ।

धारा 115ग का संशोधन ।

55. आय-कर अधिनियम की धारा 115ग के खंड (ग) में, "धारा 115ण में निर्दि-ट लाभांशों से भिन्न रूप में" शब्दों, अंकों और अक्षर का 1 अप्रैल, 2021 से लोप किया जाएगा ।

धारा 115ञख का संशोधन ।

56. आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख की उपधारा (4) में, "धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई आय की विवरणी के साथ" शब्दों, अंकों और को-ठकों के स्थान पर "धारा 44कख में निर्दि-ट विनिर्दि-ट तारीख से पहले" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 115ञग का संशोधन ।

57. आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग में,—

(i) उपधारा (3) में, "किसी लेखाकार से, यह प्रमाणित किए जाने संबंधी कि समायोजित कुल आय और अनुकल्पी न्यूनतम कर की संगणना इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार की गई है, एक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, अभिप्राप्त करेगा और धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख को या उससे पूर्व ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा" शब्दों, अंकों और को-ठकों के स्थान पर, "धारा 44कख में निर्दि-ट विनिर्दि-ट तारीख से पूर्व, धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे के स्प-टीकरण में निर्दि-ट किसी लेखाकार से, यह प्रमाणित किए जाने संबंधी कि समायोजित कुल आय और अनुकल्पी न्यूनतम कर की संगणना इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार की गई है, एक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, अभिप्राप्त करेगा और उस तारीख तक ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा" शब्द, अंक और अक्षर, रखे जाएंगे ;

(ii) उपधारा (4) के पश्चात् 1 अप्रैल, 2021 से निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(5) इस धारा के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जिसने धारा 115खकग या धारा 115खकघ के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है ।"।

धारा 115ञघ का संशोधन ।

58. आय-कर अधिनियम की धारा 115ञघ में, उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा, 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(7) इस धारा के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे जिसने धारा 115खकग या धारा 115खकघ के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है ।"।

धारा 115ण का संशोधन ।

59. आय-कर अधिनियम की धारा 115ण की उपधारा (1) में, "1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात्" अंकों और शब्दों के पश्चात्, "किंतु 31 मार्च, 2020 को या उससे पहले" शब्द और अंक, 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 115द का संशोधन ।

60. आय-कर अधिनियम की धारा 115द की उपधारा (2) में, "निधि द्वारा अपने यूनिट धारकों को" शब्दों के पश्चात्, "31 मार्च, 2020 को या उससे पहले" अंक और शब्द, 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

61. आय-कर अधिनियम की धारा 115नघ में, "धारा 12कक के अधीन" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन" शब्द, अंक और अक्षर, 1 जून, 2020 से रखे जाएंगे ।

धारा 115नघ का संशोधन ।

62. आय-कर अधिनियम की धारा 115पक की उपधारा (3) में, "के उपखंड (क)" शब्दों, को-ठकों और अक्षर का 1 अप्रैल, 2021 से लोप किया जाएगा ।

धारा 115पक का संशोधन ।

63. आय-कर अधिनियम की धारा 115फब के खंड (ii) में, "उस पूर्वव-र्ा की आय की विवरणी के साथ" शब्दों के स्थान पर, "धारा 44कख में निर्दि-ट विनिर्दि-ट तारीख से पहले" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 115फब का संशोधन ।

64. आय-कर अधिनियम की धारा 119 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

नई धारा 119क का अंतःस्थापन।

"119क. बोर्ड, करदाता के किसी चार्टर को अंगीकृत और घो-ित करेगा और अन्य आय-कर प्राधिकारियों को ऐसे आदेश, अनुदेश, निदेश या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करेगा, जो वह ऐसे चार्टर के प्रशासन के लिए ठीक समझे ।"।

करदाता का चार्टर।

65. धारा 133क की उपधारा (6) में परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

धारा 133क का संशोधन ।

"परंतु—

(क) उस दशा में जहां सूचना यथा विहित ऐसे प्राधिकारी से प्राप्त की गई है वहां, यथास्थिति, संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त का अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना उपधारा (1) के अधीन सहायक निदेशक या उप निदेशक या निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी या आय-कर निरीक्षक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ;

(ख) किसी अन्य दशा में यथास्थिति, निदेशक या आयुक्त का अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना उपधारा (1) के अधीन संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त या सहायक निदेशक या उपनिदेशक या निर्धारण अधिकारी या कर वसूली अधिकारी या आय-कर निरीक्षक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ।"।

66. आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के स्प-टीकरण 2 के खंड (क) में,—

धारा 139 का संशोधन ।

(क) उपखंड (iii) में कार्यरत शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) दीर्घ पंक्ति में, "30 सितंबर" शब्द और अंकों के स्थान पर, "31 अक्तूबर" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

67. आय-कर अधिनियम की धारा 140 में,—

धारा 140 का संशोधन ।

(i) खंड (ग) में, "उसके किसी निदेशक द्वारा" शब्दों के पश्चात्, "या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे इस प्रयोजन के लिए विहित किया जाए," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) खंड (गघ) में, "उसके किसी भागीदार द्वारा" शब्दों के पश्चात्, "या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे इस प्रयोजन के लिए विहित किया जाए," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

68. आय-कर अधिनियम की धारा 140क की उपधारा (1) में,—

धारा 140क का संशोधन ।

(क) खंड (iv) में अंत में आने वाले "और" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(ख) खंड (v) में, "धारा 115ञघ" शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 115ञघ ; और" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (v) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(vi) धारा 191 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार संदेय कोई कर या ब्याज;"।

69. आय-कर अधिनियम की धारा 143 में,—

धारा 143 का संशोधन ।

(क) उपधारा (3क) में "उपधारा (3)" शब्द, को-ठकों और अंक के पश्चात्, "या धारा 144" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3ख) के परंतुक में, "31 मार्च, 2020" अंकों और शब्द के स्थान पर "31 मार्च, 2022" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

70. आय-कर अधिनियम की धारा 144ग में,—

धारा 144ग का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) में "आय या हानि विवरणी में" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (15) के खंड (ख) के उपखंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) कोई अनिवासी, जो कोई कंपनी या विदेशी कंपनी नहीं है ।"।

71. आय-कर अधिनियम की धारा 156 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

धारा 156 का संशोधन ।

"(2) जहां निर्धारिती की 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण व-र्ा की आय, जिसके अंतर्गत धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (vi) में निर्दि-ट प्रकृति की आय भी है और उक्त खंड में निर्दि-ट ऐसी विनिर्दि-ट प्रतिभूति या श्रम साध्य साधारण शेयर, ऐसे वर्तमान नियोजक, जो धारा 80झकग में निर्दि-ट एक पात्र स्टार्ट-अप है, द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः आबंटित या अंतरित किए जाते हैं, वहां उपधारा (1) में निर्दि-ट मांग की सूचना में सम्मिलित ऐसी आय पर कर या ब्याज —

(i) सुसंगत निर्धारण व-र्ा के अंत से अड़तालीस मास की समाप्ति के पश्चात् ; या

(ii) निर्धारिती द्वारा ऐसी विनिर्दि-ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयर के विक्रय की तारीख से ; या

(iii) निर्धारिती की उस तारीख से, जिसको वह उस नियोजक का कर्मचारी नहीं रह जाता है, जिसने उसे ऐसी विनिर्दि-ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयर आबंटित किए थे या अंतरित किए थे,

इनमें जो भी पूर्वतम हो, से चौदह दिन के भीतर निर्धारिती द्वारा संदेय होगा ।"।

धारा 191 का संशोधन ।

72. आय-कर अधिनियम की धारा 191 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती द्वारा प्रत्यक्ष रूप से आय-कर का संदाय करने के प्रयोजनों के लिए, यदि 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण व-र्ा में निर्धारिती की आय में धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (vi) में विनिर्दि-ट प्रकृति की आय सम्मिलित है और वर्तमान नियोजक, जो धारा 80झकग में निर्दि-ट पात्र स्टार्ट-अप है, द्वारा उक्त खंड में निर्दि-ट ऐसी विनिर्दि-ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयर प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः आबंटित या अंतरित किए जाते हैं, तो निर्धारिती द्वारा ऐसी आय पर आय-कर —

(i) सुसंगत निर्धारण व-र्ा की समाप्ति से अड़तालीस मास की समाप्ति के पश्चात् ; या

(ii) निर्धारिती द्वारा इस प्रकार विनिर्दि-ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयर के विक्रय की तारीख से ; या

(iii) उस तारीख से जब निर्धारिती, ऐसे नियोजक, जिसने ऐसी विनिर्दि-ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयर आबंटित या अंतरित किया है, का कर्मचारी नहीं रह जाता है,

जो भी पूर्वतम हो, चौदह दिन के भीतर, संदेय होगा ।"।

धारा 192 का संशोधन ।

73. आय-कर अधिनियम की धारा 192 में, उपधारा (1ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1ग) यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (1क) के अधीन कर की कटौती या संदाय के प्रयोजन के लिए, कोई व्यक्ति, जो धारा 80झकग में निर्दि-ट पात्र स्टार्ट-अप है, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण व-र्ा से सुसंगत किसी पूर्वव-र्ा में धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (vi) में विनिर्दि-ट प्रकृति की परिलब्धि के रूप में निर्धारिती को किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, यथास्थिति,—

(i) सुसंगत निर्धारण व-र्ा के अंत से अड़तालीस मास की समाप्ति के पश्चात् ; या

(ii) निर्धारिती द्वारा ऐसी विनिर्दि-ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयर के विक्रय की तारीख से ; या

(iii) निर्धारिती को, उस तारीख से, जिसको वह उस व्यक्ति का कर्मचारी नहीं रह जाता है,

जो भी पूर्वतम हो, चौदह दिन के भीतर उस वित्तीय व-र्ा जिसमें उक्त विनिर्दि-ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयर का आबंटन किया गया है या उसे अंतरित किया गया है, के लिए प्रवृत्त दरों के आधार पर, ऐसी आय पर कर की कटौती या उसका संदाय करेगा ।"।

धारा 194 का संशोधन ।

74. आय-कर अधिनियम की धारा 194 में,—

(क) "कोई नकद संदाय करने के पूर्व या किसी लाभांश की बाबत कोई चैक काटने या अधिपत्र देने के पूर्व" शब्दों के स्थान पर, "किसी भी पद्धति द्वारा कोई संदाय करने से पूर्व" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) "प्रवृत्त दरों" शब्दों के स्थान पर, "दस प्रतिशत की दर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) पहले परंतुक में,—

(i) खंड (क) में, "संदाय पाने वाले के खाते में देय चैक" शब्दों के स्थान पर, "संदाय नकद से भिन्न किसी अन्य पद्धति" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में, "दो हजार पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) तीसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ।

75. आय-कर अधिनियम की धारा 194क में,— धारा 194क का संशोधन ।

(I) उपधारा (1) के परंतुक में, "धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दि-ट धनीय सीमाओं" शब्दों, अकों, अक्षरों और को-ठकों के स्थान पर, "कारबार की दशा में एक करोड़ रुपए या वृत्ति की दशा में पचास लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(II) उपधारा (3) में,—

(अ) खंड (i) में स्प-टीकरण का लोप किया जाएगा ;

(आ) खंड (xi) के पश्चात् तथा स्प-टीकरण 1 से पहले, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु खंड (v) या खंड (viiक) में निर्दि-ट सहकारी सोसाइटी, उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, आय-कर की कटौती की दायी होगी, यदि,—

(क) उस वित्तीय व-र्ा के ठीक पहले के वित्तीय व-र्ा के दौरान, जिसमें उपधारा (1) में निर्दि-ट ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, सहकारी सोसाइटी का कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त पचास करोड़ रुपए से अधिक है ; और

(ख) वित्तीय व-र्ा के दौरान जमा किया गया या ऐसे ब्याज की कुल संदत्त, जमा या संदाय के लिए संभाव्य ब्याज की रकम पाने वाले के वरि-ठ नागरिक होने की दशा में पचास हजार रुपए तथा किसी अन्य दशा में चालीस हजार रुपए से अधिक है ।";

(इ) स्प-टीकरण (1) के पश्चात्, निम्नलिखित स्प-टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

स्प-टीकरण 2—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "वरि-ठ नागरिक" से भारत में निवासी व्य-ि‍ट अभिप्रेत है, जो सुसंगत पूर्वव-र्ा के दौरान किसी भी समय साठ व-र्ा या अधिक आयु का है ।'।

76. आय-कर अधिनियम की धारा 194ग के स्प-टीकरण में,— धारा 194ग का संशोधन ।

(I) खंड (i) के उपखंड (ठ) की मद (आ) में, "धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए दायी है" शब्दों, को-ठकों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "उसके द्वारा चलाए गए कारबार या वृत्ति से उसका कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त कारबार की दशा में एक करोड़ रुपए से अधिक है या वृत्ति की दशा में पचास लाख रुपए से अधिक है", शब्द रखे जाएंगे ;

(II) खंड (iv) में,—

(i) उपखंड (ड) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ड) किसी ग्राहक की अपेक्षा या विनिर्देश के अनुसार ऐसे ग्राहक या उसके सहयुक्त, जो ऐसे ग्राहक के संबंध में वैसे ही रखा गया व्यक्ति है, जैसे धारा 40क की उपधारा (2) के खंड (ख) में अंतर्वि-ट उपबंधों के अधीन निर्धारिती के संबंध में रखा गया व्यक्ति है, से क्रय किए गए माल का उपयोग करके उत्पाद का विनिर्माण या प्रदाय करना ;";

(ii) दीर्घ पंक्ति में, "ऐसे ग्राहक" शब्दों के पश्चात्, "या ऐसे ग्राहक के सहयुक्त" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

77. आय-कर अधिनियम की धारा 194ज के दूसरे परंतुक में, "धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दि-ट धनीय सीमाओं" शब्दों, अंकों, अक्षरों और को-ठकों के स्थान पर, "कारबार की दशा में एक करोड़ रुपए या वृत्ति की दशा में पचास लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे । धारा 194ज का संशोधन ।

78. आय-कर अधिनियम की धारा 194झ के दूसरे परंतुक में, "धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दि-ट धनीय सीमाओं" शब्दों, अंकों, अक्षरों और को-ठकों के स्थान पर, "कारबार की दशा में एक करोड़ रुपए या वृत्ति की दशा में पचास लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे । धारा 194झ का संशोधन ।

79. आय-कर अधिनियम की धारा 194ञ की उपधारा (1) में,— धारा 194ञ का संशोधन ।

(क) दीर्घ पंक्ति में, "ऐसी राशि के दस प्रतिशत के बराबर रकम की, उसमें समावि-ट राशि पर" शब्दों के स्थान पर, "तकनीकी सेवाओं, जो कोई वृत्तिक सेवा नहीं हैं, के लिए फीस की दशा में, ऐसी राशि के दो प्रतिशत के बराबर रकम की तथा अन्य दशाओं में ऐसी राशि के दस प्रतिशत की, उसमें समावि-ट राशि पर" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) दूसरे परंतुक में, "धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दि-ट धनीय सीमाओं" शब्दों, अंकों, अक्षरों और को-ठकों के स्थान पर, "कारबार की दशा में एक करोड़ रुपए या वृत्ति की दशा में पचास लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

नई धारा 194ट का अंतःस्थापन।

80. आय-कर अधिनियम की धारा 194ञ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

यूनिटों के संबंध में आय ।

'194ट. कोई व्यक्ति, जो किसी निवासी को,—

(क) धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दि-ट परस्पर निधि की यूनिटों ; या

(ख) विनिर्दि-ट उपक्रम के प्रशासक से यूनिटों ; या

(ग) विनिर्दि-ट कंपनी से यूनिटों,

के संबंध में किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, पाने वाले के खाते में ऐसी आय जमा करते समय, किसी ढंग द्वारा उसका संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा:

परंतु इस धारा के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां, यथास्थिति, ऐसी आय की रकम या ऐसी राशियों की कुल रकम, जो पाने वाले के खाते में या पाने वाले को, उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा वित्तीय व-र्ा के दौरान जमा की गई है या उसको संदत्त की गई है या जमा की जानी या संदत्त की जानी संभाव्य है, पांच हजार रुपए से अधिक नहीं है।

स्प-टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, —

(क) "प्रशासक" से ऐसा प्रशासक अभिप्रेत है जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (क) में निर्दि-ट है ; 2002 का 58

(ख) "विनिर्दि-ट कंपनी" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (ज) में निर्दि-ट है ; 2002 का 58

(ग) "विनिर्दि-ट उपक्रम" का वही अर्थ होगा जो भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (झ) में उसका है। 2002 का 58

स्प-टीकरण 2—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्प-ट किया जाता है कि जहां इस धारा में निर्दि-ट ऐसी आय का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में किसी खाते में, चाहे वह "उचंत खाते" के नाम से या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, जमा की जाती है वहां ऐसा जमा किया जाना पाने वाले के खाते में ऐसा जमा किया जाना समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।'।

धारा 194ठखक का संशोधन ।

81. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठखक में,—

(क) "के उपखंड (क)" शब्दों, को-ठकों और अक्षर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (2) में, "उस पर पांच प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "उस पर उपखंड (क) में निर्दि-ट प्रकृति की आय की दशा में पांच प्रतिशत और उपखंड (ख) में निर्दि-ट प्रकृति की आय की दशा में दस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 194ठग का संशोधन ।

82. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठग में,—

(i) उपधारा (1) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु उपधारा (2) के खंड (iख) में निर्दि-ट ब्याज के रूप में आय की दशा में, आय-कर की कटौती चार प्रतिशत की दर से की जाएगी ।";

(ii) उपधारा (2) में, —

(क) खंड (i) के उपखंड (क) और उपखंड (ग) में, "2020" अंकों के स्थान पर, "2023" अंक रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (iक) में, "2020 और" अंकों और शब्द के स्थान पर, "2023 या" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) खंड (iक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iख) भारत से बाहर किसी स्रोत से 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जुलाई, 2023 के पूर्व किसी दीर्घकालिक बंधपत्र या रुपए में अंकित बंधपत्र, जो केवल किसी अंतर्रा-ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में अवस्थित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है, के निर्गमन द्वारा उसके द्वारा उधार ली गई धनराशियों की बाबत, और";

(iii) स्प-टीकरण में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2020 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(ग) "अंतर्रा-ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र" का वही अर्थ होगा, जो विशे-ा आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (थ) में उसका है ; 2005 का 28

(घ) "मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" का वही अर्थ होगा, जो धारा 43 के खंड (5) के स्प-टीकरण 1 के खंड (ii) में उसका है ।'।

83. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठघ में,— धारा 194ठघ का संशोधन ।

(i) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) उपधारा (1) में निर्दि-ट ब्याज द्वारा आय,—

(क) 1 जून, 2013 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 जुलाई, 2023 के पहले पाने वाले द्वारा—

(i) किसी भारतीय कंपनी के रुपए में अंकित मूल्य के बंधपत्र ; या

(ii) सरकारी प्रतिभूति में,

किए गए विनिधान के संबंध में संदेय ब्याज होगा ;

(ख) 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् किन्तु 1 जुलाई, 2023 के पहले पाने वाले द्वारा किसी नगरपालिक ऋण प्रतिभूतियों में किए गए विनिधान के संबंध में संदेय ब्याज :

परंतु खंड (क) के उपखंड (i) में निर्दि-ट बंधपत्र के संबंध में ब्याज की दर, ऐसी दर से अधिक नहीं होगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दि-ट की जाए ।";

(ii) स्प-टीकरण में खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(खक) "नगरपालिक ऋण प्रतिभूति" का वही अर्थ होगा, जो उसका भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (नगरपालिकाओं ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीकरण) विनियम, 2019 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (ड) में है;'। 1992 का 15

84. आय-कर अधिनियम की धारा 194ढ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 194ण का अंतःस्थापन ।

'194ण. (1) इस अध्याय के भाग ख में अंतर्वि-ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां मालों का विक्रय या किसी ई-वाणिज्य सहभागी द्वारा सेवाओं की पूर्ति को किसी ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा अपने डिजिटल या इलैक्ट्रानिक सुविधा या प्लेटफार्म (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) के द्वारा सुकर बनाया जाता है, तो ऐसा प्रचालक किसी ई-वाणिज्य सहभागी के खाते में विक्रय या सेवाओं या दोनों की रकम को जमा करते समय किसी अन्य ढंग से ऐसे ई-वाणिज्य सहभागी को उसके संदाय के समय, जो भी पहले हो, ऐसे विक्रय या सेवाओं या दोनों की कुल रकम के एक प्रतिशत की दर पर आय-कर की कटौती करेगा । ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा ई-वाणिज्य सहभागियों को कतिपय राशियों का संदाय ।

स्प-टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा सुकर बनाए गए मालों के विक्रय या सेवाओं की पूर्ति या दोनों के लिए सीधे किसी ई-वाणिज्य सहभागी को माल के क्रेता या सेवा के प्राप्तिकर्ता द्वारा किया गया कोई संदाय, ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा ई-वाणिज्य सहभागी को जमा या संदत्त की गई रकम समझी जाएगी और इस उपधारा के अधीन आय-कर की कटौती के प्रयोजन के लिए ऐसे विक्रय या सेवाओं की कुल रकम में सम्मिलित की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती ऐसे किसी ई-वाणिज्य सहभागी के खाते में, जो व्य-िट या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, पूर्ववर्-ा के दौरान जमा या संदत्त की गई अथवा जमा या संदत्त किए जाने के लिए संभाव्य किसी राशि से नहीं की जाएगी, जहां पूर्ववर्-ा के दौरान ऐसे विक्रय या सेवाओं या दोनों की कुल रकम पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है तथा ऐसे ई-वाणिज्य सहभागी ने ई-वाणिज्य प्रचालक को स्थायी लेखा संख्यांक या आधार संख्यांक प्रस्तुत कर दिया है ।

(3) इस अध्याय के भाग ख में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई संव्यवहार जिसके संबंध में ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा उपधारा (1) के अधीन कर की कटौती कर ली गई है, या जो उपधारा (2) के अधीन कटौती के लिए दायी नहीं है, इस अध्याय के किसी अन्य उपबंध के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का दायी नहीं होगा :

परंतु इस उपधारा का उपबंध किसी ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा विज्ञापन देने के लिए या ऐसी किन्हीं अन्य सेवाओं की पूर्ति के लिए, जो उपधारा (1) में निर्दि-ट माल या सेवाओं के विक्रय से संबंधित नहीं है, प्राप्त या प्राप्य किसी रकम या रकमों के योग को लागू नहीं होगा ।

स्प-टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

(क) "इलैक्ट्रानिक वाणिज्य" से मालों या सेवाओं अथवा दोनों का प्रदाय अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत डिजिटल या इलैक्ट्रानिक नेटवर्क पर डिजिटल उत्पाद भी हैं ;

(ख) "ई-वाणिज्य प्रचालक" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो इलैक्ट्रानिक वाणिज्य के लिए डिजिटल या इलैक्ट्रानिक सुविधा अथवा प्लेटफार्म का स्वामी है, प्रचालन करता है या प्रबंध करता है और ई-वाणिज्य सहभागी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी है ;

(ग) "ई-वाणिज्य सहभागी" से भारत में निवासी कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो माल का विक्रय करता है या सेवाओं की पूर्ति करता है अथवा दोनों करता है, और इसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक वाणिज्य के लिए डिजिटल या इलैक्ट्रानिक सुविधा या प्लेटफार्म के माध्यम से डिजिटल उत्पाद भी हैं ;

(घ) "सेवा" के अंतर्गत धारा 194ञ के स्प-टीकरण में यथापरिभा-ित 'तकनीकी सेवाओं' के लिए फीस तथा वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस है ।'।

धारा 195 का संशोधन ।

85. आय-कर अधिनियम की धारा 195 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 196क का संशोधन ।

86. आय-कर अधिनियम की धारा 196क की उपधारा (1) में,—

(क) "भारतीय यूनिट ट्रस्ट के" शब्दों के स्थान पर, "धारा 10 के खंड (35) के स्प-टीकरण में परिभा-ित विनिर्दि-ट कंपनी से" शब्द, अंक और को-ठक रखे जाएंगे ;

(ख) "नकद रूप में या चैक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से" शब्दों के स्थान पर, "किसी अन्य ढंग से" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 196ग का संशोधन ।

87. आय-कर अधिनियम की धारा 196ग में,—

(क) "नकद रूप में या चैक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से" शब्दों के स्थान पर, "किसी अन्य ढंग से" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 196घ का संशोधन ।

88. आय-कर अधिनियम की धारा 196घ की उपधारा (1) में,—

(क) "नकद रूप में या चैक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से" शब्दों के स्थान पर, "किसी अन्य ढंग से" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 197 का संशोधन ।

89. आय-कर अधिनियम की धारा 197 की उपधारा (1) में, "194ड" अंकों और अक्षर के स्थान पर ",194ड, 194ण" अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।

धारा 203कक का लोप ।

90. आय-कर अधिनियम की धारा 203कक का 1 जून, 2020 से लोप किया जाएगा ।

धारा 204 का संशोधन ।

91. आय-कर अधिनियम की धारा 204 के खंड (iv) के पश्चात् और स्प-टीकरण से पूर्व, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(v) किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी नहीं है, वह व्यक्ति स्वयं या ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या भारत में ऐसे व्यक्ति का कोई अभिकर्ता, जिसके अंतर्गत धारा 163 के अधीन अभिकर्ता के रूप में माना गया कोई व्यक्ति भी है ।"।

धारा 206कक का संशोधन ।

92. आय-कर अधिनियम की धारा 206कक की उपधारा (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां धारा 194ण के अधीन कर की कटौती किए जाने की अपेक्षा है, वहां खंड (iii) के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे, मानो "बीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "पांच प्रतिशत" शब्द रखे गए हों ।"।

धारा 206ग का संशोधन ।

93. आय-कर अधिनियम की धारा 206ग में,—

(I) उपधारा (1च) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

'(1छ) प्रत्येक व्यक्ति,—

(क) जो कोई ऐसा प्राधिकृत व्यौहारी है, जो किसी वित्तीय व-र्ा में किसी ऐसे क्रेता से, जो भारत के बाहर ऐसी रकम प्रेनित करने वाला व्यक्ति है, भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत प्रे-ाण स्कीम के अधीन भारत के बाहर प्रे-ाण के लिए सात लाख रुपए या उससे अधिक रकम या रकमों का योग प्राप्त करता है ;

(ख) जो विदेश भ्रमण कार्यक्रम पैकेज का ऐसा विक्रेता है, जो ऐसे क्रेता से, जो ऐसा पैकेज क्रय करने वाला व्यक्ति है, कोई रकम प्राप्त करता है,

किसी भी ढंग से क्रेता द्वारा संदेय रकम विकलित करते समय या उक्त क्रेता से ऐसी रकम प्राप्त करते समय, इसमें जो भी पूर्वतर है, क्रेता से आय-कर के रूप में ऐसी रकम के पांच प्रतिशत के बराबर रकम संगृहीत करेगा :

परंतु इस उपधारा के उपबंध तब लागू नहीं होंगे, यदि क्रेता,—

(i) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का उत्तरदायी है और उसने ऐसी रकम की कटौती कर ली है ;

(ii) केंद्रीय सरकार, कोई राज्य सरकार, कोई राज दूतावास, कोई उच्चायोग, कोई दूतावास आयोग, कौंसल कार्यालय, किसी विदेशी राज्य का व्यापार प्रतिनिधित्व, धारा 10 के खंड (20) के स्प-टीकरण में यथा परिभा-ित कोई स्थानीय प्राधिकारी या कोई अन्य ऐसा व्यक्ति है, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस प्रयोजन के लिए ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो उसमें विनिर्दि-ट की जाएं, विनिर्दि-ट करे।

स्प-टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए,—

1999 का 42

(i) "प्राधिकृत व्यौहारी" से विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति में व्यौहार करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ii) "विदेश भ्रमण कार्यक्रम पैकेज" से ऐसा कोई भी भ्रमण पैकेज अभिप्रेत है, जो भारत के बाहर किसी देश या देशों या राज्यक्षेत्र या राज्यक्षेत्रों में दौरा करने का प्रस्ताव करता है और इसके अंतर्गत यात्रा या होटल में ठहरने या बोर्डिंग या आवास का व्यय या उसके संबंध में उसी प्रकार का कोई अन्य व्यय भी है ।

(1ज) प्रत्येक व्यक्ति, जो विक्रेता है, जो किसी पूर्ववर्-ा में, उपधारा (1), उपधारा (1च) या उपधारा (1छ) के अंतर्गत आने वाले माल से भिन्न, किसी ऐसे माल के, जिसका मूल्य या ऐसे मूल्य का योग पचास लाख रुपए से अधिक के या कुल मुल्य के विक्रय के प्रतिफल के रूप में कोई रकम प्राप्त करता है, ऐसी रकम की प्राप्ति के समय, क्रेता से आय-कर के रूप में पचास लाख रुपए से अधिक के विक्रय प्रतिफल की 0.1 प्रतिशत के बराबर राशि संगृहीत करेगा :

परंतु यदि क्रेता ने विक्रेता को स्थायी लेखा संख्यांक या आधार संख्यांक नहीं दिया है, तो धारा 206गग की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपबंध इस प्रकार पढ़े जाएंगे, मानो "पांच प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "एक प्रतिशत" शब्द रख दिए गए हों :

परंतु यह और कि इस धारा के उपबंध तब लागू नहीं होंगे, यदि क्रेता, अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन स्रोत पर कटौती का दायी है और उसने ऐसी रकम की कटौती कर ली है ।

स्प-टीकरण—इस धारा के प्रयोजन के लिए,—

(क) "क्रेता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी माल का क्रय करता है, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं आते हैं,—

(अ) केंद्रीय सरकार, कोई राज्य सरकार, किसी विदेशी राज्य का कोई राज दूतावास, उच्चायोग, दूतावास, आयोग, कौंसल कार्यालय और व्यापार प्रतिनिधि ; या

(आ) धारा 10 के खंड (20) के स्प-टीकरण में यथा परिभा-ित कोई स्थानीय प्राधिकारी ; या

(इ) कोई अन्य व्यक्ति, जिसे केंद्रीय सरकार, इस प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दि-ट की जाएं;

(ख) "विक्रेता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका उसके द्वारा किए गए कारबार से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या व्यापार आवर्त, उस वित्तीय वर्-ा के, जिसमें माल का विक्रय किया गया है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्-ा के दौरान दस करोड़ रुपए से अधिक है, जो ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिसे केंद्रीय सरकार, इस प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, उसमें विनिर्दि-ट की जाए, विनिर्दि-ट करें ;

(II) उपधारा (2) में, "उपधारा (1) या उपधारा (1ग)" शब्दों, को-ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "इस धारा" शब्द रखे जाएंगे ;

(III) उपधारा (3) में, "उपधारा (1) या उपधारा (1ग)" शब्दों, को-ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "इस धारा" शब्द रखे जाएंगे ;

(IV) उपधारा (6क) के पहले परंतुक में, "इस धारा के उपबंधों के अनुसार" शब्दों के स्थान पर, "उपधारा (1) और उपधारा (1ग) के उपबंधों के अनुसार" शब्द, को-ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(V) स्प-टीकरण के खंड (ग) में,—

(i) "विक्रेता" शब्द के स्थान पर, "उपधारा (1) और उपधारा (1च) के संबंध में विक्रेता" शब्द, को-ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) "धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दि-ट धनीय सीमा" शब्दों, अंकों, अक्षरों और को-ठकों के स्थान पर, "कारबार की दशा में एक करोड़ रुपए या वृत्ति की दशा में पचास लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

94. आय-कर अधिनियम की धारा 234च के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2020 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 234छ का अंतःस्थापन।

विवरण या प्रमाणपत्र से संबंधित व्यतिक्रम के लिए फीस ।

"234छ. (1) इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां,—

(क) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दि-ट अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या खंड (iiक) में निर्दि-ट कंपनी, उस धारा की उपधारा (1क) के खंड (i) के अधीन विहित समय के भीतर कोई विवरण परिदत्त करने या कराए जाने में असफल रहती/रहता है या खंड (ii) के अधीन विहित प्रमाणपत्र देने में असफल रहती/रहता है ; या

(ख) संस्था या निधि द्वारा, यदि वह धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (viii) के अधीन विहित समय के भीतर विवरण परिदत्त करने या कराए जाने में असफल रहती है या उक्त उपधारा के खंड (ix) के अधीन विहित प्रमाणपत्र देने में असफल रहती है, तो वह फीस के रूप में ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, दो सौ रुपए की राशि का संदाय करने का/की दायी होगा/होगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दि-ट फीस की रकम,—

(क) उस रकम से अधिक नहीं होगी, जिसकी बाबत उसमें निर्दि-ट असफलता हुई है ;

(ख) उपधारा (1) में उल्लिखित विवरण के परिदत्त किए जाने या कराए जाने से पहले या निर्दि-ट प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से पहले संदत्त की जाएगी ।"।

धारा 250 का संशोधन ।

95. आय-कर अधिनियम की धारा 250 में, उपधारा (6क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(6ख) केन्द्रीय सरकार, आयुक्त अपील द्वारा अपील के निपटारे के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम बना सकेगी, जिससे—

(क) अपीलीय कार्यवाहियों के अनुक्रम में आयुक्त (अपील) और अपीलार्थी के बीच प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक अंतरापृ-ठ को समाप्त करके ;

(ख) पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं तथा कार्यात्मक विशि-टता के माध्यम से संसाधनों का ई-टतम उपयोग करके;

(ग) परिवर्तनशील अधिकारिता वाली अपीलीय प्रणाली का शुभारंभ करके, जिसमें, अपील का निपटारा एक या अधिक आयुक्त (अपील) द्वारा किया जाएगा,

बृहत्तर दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके ।

(6ग) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (6ख) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि आयुक्त (अपील) द्वारा अपीलों के निपटान के लिए अधिकारिता और प्रक्रिया से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में से कोई उपबंध लागू नहीं होगा या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित लागू होगा, जो अधिसूचना में विनिर्दि-ट किए जाएं :

परंतु 31 मार्च, 2022 के पश्चात् कोई निदेश जारी नहीं किया जाएगा ।

(6घ) उपधारा (6ख) और उपधारा (6ग) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, उसे जारी किए जाने के पश्चात् यथासंभवशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

धारा 253 का संशोधन ।

96. आय-कर अधिनियम की धारा 253 की उपधारा (1) के खंड (ग) में, ''धारा 12कक के अधीन'' शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर, ''धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन'' शब्द, अक्षर और अंक, 1 जून, 2020 से रखे जाएंगे ।

धारा 254 का संशोधन ।

97. आय-कर अधिनियम की धारा 254 की उपधारा (2क) में,—

(क) पहले परंतुक में "ऐसे आदेश की तारीख से" शब्दों के पश्चात्, ''इस शर्त के अधीन रहते हुए कि निर्धारिती इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदेय कर, ब्याज, फीस, शास्ति या किसी अन्य राशि की कम से कम बीस प्रतिशत जमा करता है या उसके संबंध में उसके समान रकम की प्रतिभूति देता है'' अंतःस्थापित किया जाएगा;

(ख) दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

''परंतु यह और कि अपील अधिकरण द्वारा रोक का विस्तार तब तक वहां मंजूर नहीं किया जाएगा, जहां ऐसी अपील का निपटारा, रोक आदेश में यथाविनिर्दि-ट रोक की अवधि के भीतर नहीं किया जाता है, जब तक निर्धारिती कोई आवेदन नहीं करता है और उसने पहले परंतुक में निर्दि-ट शर्त का अनुपालन न कर दिया हो और अपील अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि अपील का निपटारा करने में विलंब निर्धारिती के कारण हुआ नहीं माना जा सकता, किन्तु रोक की आरंभिक रूप से अनुज्ञात कुल अवधि और इस प्रकार विस्तारित रोक की अवधि तीन सौ पैंसठ दिन से अधिक नहीं होगी और अपील अधिकरण इस प्रकार विस्तारित या अनुज्ञात रोक की अवधि या अवधियों के भीतर अपील का निपटारा करेगा ।''।

नई धारा 271ककघ का अंतःस्थापन ।

98. आय-कर अधिनियम की धारा 271ककग के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"271ककघ. (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा बनाए रखी गई लेखा बहियों में :- लेखा बहियों में मिथ्या प्रवि-िट आदि के लिए शास्ति ।

(i) कोई मिथ्या प्रवि-िट है, या

(ii) किसी प्रवि-िट का, जो ऐसे व्यक्ति की कुल आय की संगणना के लिए सुसंगत है कर दायित्व के अपबंचन हेतु लोप किया गया है,

वहां निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में, ऐसी मिथ्या प्रवि-िट या लोप की गई प्रवि-िट की सकल रकम के बराबर धनराशि का संदाय करेगा ;

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि कोई अन्य व्यक्ति, जिसने उपधारा (1) में निर्दि-ट व्यक्ति से किसी रीति में कोई मिथ्या प्रवि-िट करवाई है या लोप करवाया है या उस उपधारा (1) में निर्दि-ट किसी प्रवि-िट का लोप किया है, भी शास्ति के माध्यम से ऐसी धनराशि का संदाय करेगा, जो ऐसी मिथ्या और लोप की गई प्रवि-िट की समग्र रकम के समतुल्य है ।

स्प-टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, मिथ्या प्रवि-िट में निम्नलिखित का उपयोग करने या उपयोग करने का आशय सम्मिलित है—

(क) कूटरचित या मिथ्याकृत दस्तावेज, जैसे कोई मिथ्या बीजक या साधारणतया मिथ्या दस्तावेजी साक्ष्य ; या

(ख) व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वास्तविक पूर्ति किए बिना माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति या प्राप्ति के संबंध में या ऐसे माल की प्राप्ति के लिए जारी बीजक ; या

(ग) माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति या प्राप्ति के संबंध में किसी व्यक्ति, जो विद्यमान नहीं है, से प्राप्त बीजक ।"।

99. आय-कर अधिनियम की धारा 271ञ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा 1 जून, 2020 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 271ट का अंतःस्थापन।

"271ट. इस अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि शास्ति के रूप में ऐसी राशि, जो दस हजार रुपए से कम की नहीं होगी, किन्तु जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, निम्नलिखित द्वारा संदत्त की जाएगी— विवरण, आदि दिए जाने में असफलता के लिए शास्ति ।

(i) धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दि-ट अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या खंड (iiक) में निर्दि-ट कंपनी द्वारा, यदि वह इस धारा की उपधारा (1क) के खंड (i) के अधीन विहित समय के भीतर कोई विवरण परिदत्त करने या कराए जाने में असफल रहती/रहता है या खंड (ii) के अधीन विहित प्रमाणपत्र देने में असफल रहती/रहता है ; या

(ii) संस्था या निधि द्वारा, यदि वह धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (viii) के अधीन विहित समय के भीतर विवरण परिदत्त करने या कराए जाने में असफल रहती है या उक्त उपधारा के खंड (ix) के अधीन विहित प्रमाणपत्र देने में असफल रहती है ।"।

100. आय-कर अधिनियम की धारा 274 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :— धारा 274 का संशोधन ।

"(2क) केंद्रीय सरकार, इस अध्याय के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्कीम बना सकेगी, जिससे निम्नलिखित द्वारा बेहतर दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके—

(क) तकनीकी रूप से संभाव्यता की सीमा तक कार्यवाहियों के अनुक्रम में निर्धारण अधिकारी और निर्धारिती के बीच अंतरापृ-ठ को दूर करके ;

(ख) माप और क्रियात्मक विशे-ीकरण की अर्थ नीति के माध्यम से संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके ;

(ग) परिवर्तनशील अधिकारिता सहित शास्ति अधिरोपित करने के लिए तंत्र आरंभ करके जिसमें एक या अधिक आय-कर प्राधिकारियों द्वारा शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

(2ख) केंद्रीय सरकार उपधारा (2क) के अधीन बनाई गई स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि शास्ति अधिरोपित करने से संबंधित इस अधिनियम का अधिकारिता और प्रक्रिया से संबंधी कोई भी उपबंध लागू नहीं होगा या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों के साथ लागू होगा, जो अधिसूचना में विनिर्दि-ट किए जाएं :

परंतु कोई भी निदेश 31 मार्च, 2022 के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा ।

(2ग) उपधारा (2क) और उपधारा (2ख) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।"।

101. आय-कर अधिनियम की धारा 285खक के पश्चात् निम्नलिखित धारा 1 जून, 2020 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— नई धारा 285खख का अंतःस्थापन ।

'285खख. विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, निर्धारिती के रजिस्ट्रीकृत लेखा में एक विवरणी ऐसे प्ररूप और रीति में अपलोड करेगा और ऐसी सूचना, जो आय-कर प्राधिकारी के कब्जे में है, ऐसी समयावधि के भीतर, जो विहित की जाए, घो-ित करेगा । वार्-िक सूचना विवरणी ।

स्प-टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "रजिस्ट्रीकृत लेखा" से अभिहित पोर्टल में, अर्थात् जो विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उस रूप में अभिहित वेब पोर्टल है, निर्धारिती द्वारा रजिस्ट्रीकृत इलैक्ट्रानिक फाइलिंग लेखा अभिप्रेत है ।'।

धारा 288 का संशोधन ।

102. आय-कर अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) के खंड (vii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(viii) कोई अन्य व्यक्ति, जो विहित किया जाए ।"।

धारा 295 का संशोधन ।

103. आय-कर अधिनियम की धारा 295 की उपधारा (2) के खंड (ख) में,—

(क) उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड, 1 अप्रैल, 2021 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iiक) किसी अनिवासी द्वारा भारत में की जा रही संक्रियाओं की दशा में ;";

(ख) इस प्रकार अंतःस्थापित उपखंड (iiक) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड, 1 अप्रैल, 2022 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(iiख) किसी अनिवासी के संव्यवहारों या क्रियाकलापों की दशा में ;"।

पहली अनुसूची का संशोधन ।

104. आय-कर अधिनियम की पहली अनुसूची में, नियम 5 में खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु निर्धारिती द्वारा धारा 43ख के अधीन संदेय कोई राशि, जिसे इस नियम के खंड (क) के अनुसार वापस जोड़ा गया है, उस पूर्वव-र्ा में, जिसमें ऐसी राशि वास्तव में संदत्त की गई है, इस नियम के अधीन आय की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।"।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

धारा 11 का संशोधन ।

105. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (च) में, "सोना या चांदी" शब्दों के स्थान पर, "सोना, चांदी या कोई अन्य माल" शब्द रखे जाएंगे । 1962 का 52

धारा 28 का संशोधन ।

106. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 के स्प-टीकरण 4 के स्थान पर निम्नलिखित स्प-टीकरण रखा जाएगा और 29 मार्च, 2018 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

"**स्प-टीकरण 4**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोपित किया जाता है कि किसी अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी ऐसे मामलों में, जहां अनुद्ग्रहण, कम उद्ग्रहण, असंदाय, कम संदाय या भूल से प्रतिदाय के लिए सूचना, 29 मार्च, 2018 के पहले, जो वित्त अधिनियम, 2018 के प्रारम्भ की तारीख है, जारी की गई है, वहां ऐसी सूचना धारा 28 के उपबंधों द्वारा वैसे ही शासित होती रहेगी जैसे वह उस तारीख से ठीक पूर्व विद्यमान थी ।"। 2018 का 13

धारा 28कककक का संशोधन ।

107. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28कककक की उपधारा (1) में,—

(क) "विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के" शब्दों के स्थान पर, "विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या केंद्रीय सरकार की किसी स्कीम के" शब्द रखे जाएंगे ; 1992 का 22

(ख) "नियमों" शब्द के पश्चात् "या विनियमों" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) स्प-टीकरण 1 में, "के संबंध में" शब्दों के स्थान पर "या धारा 51ख के अधीन जारी प्रत्यय शुल्क के संबंध में" शब्द रखे जाएंगे ।

नए अध्याय 5कक का अंतःस्थापन ।

108. सीमाशुल्क अधिनियम के अध्याय 5क के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'अध्याय 5कक

व्यापार करार के अधीन उद्भव नियम का प्रशासन

शुल्क की अधिमानी दर के दावे के संबंध में प्रक्रिया।

28घक. (1) किसी व्यापार करार के निबंधनानुसार शुल्क की अधिमानी दर का दावा करने वाला कोई आयातकर्ता,—

(i) ऐसी घो-णा करेगा कि ऐसे करार के अधीन शुल्क की अधिमानी दर के लिए माल उद्भूत होने वाले माल के रूप में अर्हित करते हैं ;

(ii) ऐसी पर्याप्त जानकारी रखेगा, जिसका संबंध ऐसी रीति से है, जिसमें व्यापार करार में उद्भव नियमों में यथा विनिर्दि-ट उद्भव देश का मानदंड, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय मूल्य अंतर्वस्तु और उत्पाद विनिर्दि-ट मानदंड भी है, पूरा किया जाता है ;

(iii) ऐसी जानकारी, जो नियमों द्वारा उपबंधित रीति में प्रस्तुत करेगा ;

(iv) दी गई जानकारी की यथार्थता और सत्यता के लिए युक्तियुक्त सावधानी बरतेगा ।

(2) यह तथ्य कि आयातकर्ता ने निर्गमन प्राधिकारी द्वारा जारी उद्भव प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया है, युक्तियुक्त सावधानी बरतने के दायित्व से आयातकर्ता को उन्मुक्त नहीं करेगा ।

(3) जहां उचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उद्भव देश द्वारा मानदंड को पूरा नहीं किया गया है, वहां वह आयातकर्ता से, ऐसी रीति में जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए व्यापार करार से संगत अतिरिक्त जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(4) जहां आयातकर्ता किसी कारण से अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराने में असफल रहता है वहां उचित अधिकारी,—

(i) ऐसी रीति में, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए व्यापार करार से संगत और सत्यापन करा सकेगा ;

(ii) सत्यापन लंबित रहने तक ऐसे माल के लिए अस्थायी रूप से अधिमानी टैरिफ उपचार को निलंबित कर सकेगा :

परंतु आयातकर्ता द्वारा दी गई जानकारी या उसके पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर या आयातकर्ता द्वारा शुल्क की अधिमानी दर के लिए उसके दावे के त्याग पर, सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, अतिरिक्त सत्यापन के बिना, शुल्क की अधिमानी दर के लिए दावे को अननुज्ञात कर सकेगा ।

(5) जहां शुल्क की अधिमानी दर उपधारा (4) के अधीन निलंबित कर दी जाती है, वहां उचित अधिकारी, आयातकर्ता के अनुरोध पर, धारा 18 के अधीन अनंतिम रूप से निर्धारित शुल्क और दावाकृत अधिमानी शुल्क के बीच के अंतर के बराबर, आयातकर्ता द्वारा प्रतिभूति रकम प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए माल निर्मुक्त कर सकेगा :

परंतु सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त प्रतिभूति के स्थान पर आयातकर्ता से धारा 51क के अधीन अनुरक्षित खाते में अंतरीय शुल्क की रकम जमा करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(6) उचित अधिकारी, अधिमानी टैरिफ उपचार के अस्थायी निलंबन पर अधिमानी टैरिफ उपचार के निलंबन के कारणों के बारे में निर्गमन प्राधिकारी को सूचित करेगा और ऐसी विनिर्दि-ट जानकारी, जो माल के उद्भव को अवधारित करने के लिए आवश्यक हो ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, मांगेगा ।

(7) जहां तत्पश्चात्, यथास्थिति, निर्गमन प्राधिकारी या निर्यातकर्ता या उत्पादक विनिर्दि-ट समय के भीतर विनिर्दि-ट जानकारी प्रस्तुत करता है, वहां उचित अधिकारी, दी गई जानकारी से संतु-ट हो जाने पर, अधिमानी टैरिफ उपचार प्रत्यावर्तित कर सकेगा ।

(8) जहां, यथास्थिति, निर्गमन प्राधिकारी या निर्यातकर्ता या उत्पादक विनिर्दि-ट समय के भीतर जानकारी प्रस्तुत नहीं करता है या उसके द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी समाधानप्रद नहीं पायी जाती है, वहां उचित अधिकारी, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, अधिमानी टैरिफ उपचार अननुज्ञात करेगा :

परंतु अपूर्ण या गैर-विनिर्दि-ट जानकारी की प्राप्ति की दशा में, उचित अधिकारी, निर्गमन प्राधिकारी को ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी रीति में, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, ऐसे प्राधिकारी द्वारा दी गई जानकारी में विनिर्दि-ट रूप से कमी का उल्लेख करते हुए एक अन्य अनुरोध भेज सकेगा ।

(9) जब तक किसी व्यापार करार में अन्यथा विनिर्दि-ट न हो, सत्यापन के लिए किया गया कोई अनुरोध आयातकर्ता द्वारा शुल्क की अधिमानी दर के दावे की तारीख से पांच व-र्ा की अवधि के भीतर भेजा जाएगा ।

(10) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, अधिमानी टैरिफ उपचार का निम्नलिखित परिस्थितियों में सत्यापन के बिना इनकार किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(i) टैरिफ मद जो अधिमानी टैरिफ उपचार के लिए उपयुक्त नहीं है ;

(ii) उद्भव प्रमाणपत्र में माल का पूर्ण वर्णन अंतर्वि-ट नहीं है ;

(iii) उद्भव प्रमाणपत्र में कोई परिवर्तन निर्गमन प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित नहीं किया गया है ;

(iv) उद्भव प्रमाणपत्र उसकी समाप्ति की अवधि के पश्चात् पेश किया जाता है,

और उद्भव प्रमाणपत्र को सभी मामलों में "लागू नहीं होता" के रूप में चिह्नित किया जाएगा ।

(11) जहां इस धारा के अधीन सत्यापन से उद्भव देश के साथ आयातित माल का अननुपालन साबित हो जाता है, वहां उचित अधिकारी, उसी उत्पादक या निर्यातकर्ता से समरूप माल के आयातों के लिए अधिमानी टैरिफ उपचार को तब तक स्वीकार नहीं कर सकेगा, जब तक यह दर्शाने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है कि समरूप माल उद्भव देश के मानदंड को पूरा करता है ।

स्प-टीकरण—इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,—

(क) ''उद्‌भव प्रमाणपत्र'' से ऐसा प्रमाणपत्र अभिप्रेत है जो यह प्रमाणित करते हुए व्यापार करार के अनुसार जारी किया गया है कि माल उक्त करार में विनिर्दि-ट मानदंड और अन्य अपेक्षाओं को पूरा करता है ;

(ख) ''समरूप माल'' से ऐसा माल अभिप्रेत है जो सभी प्रकार से व्यापार करार के अधीन उद्‌भव देश के मानदंड के प्रतिनिर्देश से एक समान है ;

(ग) ''निर्गमन प्राधिकारी'' से ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है, जिसे किसी व्यापार करार के अधीन उद्‌भव प्रमाणपत्र जारी करने के प्रयोजनों के लिए अभिहित किया गया है ;

(घ) ''व्यापार करार'' से भारत सरकार और किसी विदेशी या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार या आर्थिक संघ की सरकार के बीच माल के संबंध में व्यापार के लिए कोई करार अभिप्रेत है ।'।

अध्याय 7क के शी-र्त का संशोधन ।

109. सीमाशुल्क अधिनियम के अध्याय 7क के शी-र्क में, ''खाता'' शब्द के पश्चात् ''और इलैक्ट्रानिक शुल्क जमा खाता'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

नई धारा 51ख का अंतःस्थापन ।

110. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 51क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

जमा शुल्क के लिए खाता।

''51ख. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी रीति विनिर्दि-ट कर सकेगी, जिसमें, —

(क) माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में प्रयुक्त किसी सामग्री पर या ऐसे मालों के प्रचालन के कार्यान्वयन के लिए, जिनका निर्यात किया जाता है, प्रभार्य किसी शुल्क या कर या उद्‌ग्रहण के परिहार के बदले में ; या

(ख) ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दि-ट की जाएं, ऐसे अन्य वित्तीय फायदों के बदले में,

वह शुल्क प्रत्यय जारी करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी शुल्क प्रत्यय उस व्यक्ति के, जो ऐसे शुल्क प्रत्यय का प्राप्तकर्ता है, इलैक्ट्रानिक शुल्क जमा खाते के रूप में सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली में, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, अनुरक्षित किया जाएगा ।

(3) इलैक्ट्रानिक शुल्क जमा खाते में उपलब्ध जमा शुल्क, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों तथा निर्बंधनों के अधीन रहते हुए जो विहित किए जाएं, इस अधिनियम के अधीन या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन संदेय शुल्कों का संदाय करने के मद्दे उस व्यक्ति द्वारा जिसको इसे जारी किया जाता है या उस व्यक्ति द्वारा जिसको इसे अंतरित किया जाता है, उपयोग किया जा सकेगा ।''। 1975 का 51

धारा 111 का संशोधन ।

111. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 111 में, खंड (त) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(थ) शुल्क की अधिमानी दर के दावे पर आयातित कोई ऐसा माल, जो अध्याय 5कक या तद्‌धीन बनाए गए किसी नियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है ।''।

धारा 156 का संशोधन ।

112. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 156 की उपधारा (2) में, खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(झ) अध्याय 5कक के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए प्ररूप, समय सीमा, रीति, परिस्थितियां, शर्तें, निर्बंधन और ऐसे अन्य वि-य ।''।

धारा 157 का संशोधन ।

113. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 157 की उपधारा (2) के खंड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

''(ञक) इलैक्ट्रानिक शुल्क जमा खाते के अनुरक्षण, ऐसे खाते से संदाय करने, एक व्यक्ति के खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में जमा शुल्क के अंतरण की रीति तथा उससे संबंधित शर्तें, निर्बंधन और समय-सीमा ;''।

सीमाशुल्क टैरिफ

धारा 8ख के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

114. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की धारा 8ख के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :— 1975 का 51

केन्द्रीय सरकार को रक्षोपाय लागू करने की शक्ति ।

'8ख. (1) यदि केन्द्रीय सरकार का, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि किसी वस्तु का भारत में इतनी बढ़ी हुई मात्रा में और ऐसी दशाओं में आयात किया जाता है, जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित हो सकती है या कारित होने की आशंका है, वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस वस्तु पर ऐसे रक्षोपाय लागू कर सकेगी, जो वह उचित समझे ।

(2) उपधारा (1) में निर्दि-ट रक्षोपाय के अंतर्गत, रक्षोपाय शुल्क टैरिफ-दर कोटा को लागू करना या ऐसे अन्य उपाय जो केन्द्रीय सरकार घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित होने से निवारित करने के लिए किसी वस्तु की बढ़ी हुई मात्राओं के आयात को रोकने के लिए उचित समझे :

परंतु ऐसा कोई उपाय किसी विकासशील देश में उत्पन्न होने वाली किसी वस्तु पर तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक कि उस देश से उस वस्तु के आयातों का, शेयर तीन प्रतिशत से अधिक नहीं है या जहां वस्तु एक से अधिक विकासशील देश में उत्पन्न होती है, वहां जब तक कि एक साथ मिलाकर ऐसे विकासशील देशों, जिनमें प्रत्येक का आयात अंश तीन प्रतिशत से कम है, से आयातों का योग भारत में उस वस्तु के कुल आयातों के नौ प्रतिशत से अधिक नहीं होता है :

परंतु यह और कि केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी वस्तु की ऐसी मात्रा को, जो वह अधिसूचना में विनिर्दि-ट की जाए, किसी देश या राज्यक्षेत्र से भारत में आयात किए जाने के समय, उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण रक्षोपाय शुल्क या उसके किसी भाग के संदाय से छूट दे सकेगी ।

(3) जहां टैरिफ दर कोटा को रक्षोपाय के रूप में उपयोग किया जाता है, वहां केन्द्रीय सरकार पिछले तीन प्रतिनिधित्व व-र्ॉ में, जिसके लिए सांख्यिकीय आंकड़े उपलब्ध हैं, आयातों के औसत स्तर से कम ऐसा कोटा नियत नहीं करेगी, यदि गंभीर क्षति को निवारित करने या उसका उपचार करने के लिए भिन्न स्तर आवश्यक नहीं समझा जाता ।

(4) केन्द्रीय सरकार, संबंधित वस्तु के प्रदाय में सारवान् हित रखने वाले प्रदायकर्ता देशों को ऐसे टैरिफ दर कोटे का आबंटन ऐसी रीति में कर सकेगी, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए ।

(5) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन अवधारण लंबित रहने तक, इस प्रारंभिक अवधारण के आधार पर कि बढ़े हुए आयातों ने घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित की है या कारित होने की आशंका है, इस उपधारा के अधीन अनंतिम रक्षोपाय लागू कर सकेगी :

परंतु जहां, अंतिम अवधारण पर, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि वर्धित आयातों ने घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति कारित नहीं की है या कारित होने की आशंका नहीं है, तो वह इस प्रकार संगृहीत रक्षोपाय शुल्क का प्रतिदाय करेगी :

परंतु यह और कि कोई अनंतिम रक्षोपाय उस तारीख से, जिसको वह लागू हुआ था, दो सौ दिन से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेंगे ।

(6) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना या उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के अधीन लागू किए गए कोई रक्षोपाय शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम या विशे-ा आर्थिक क्षेत्र में भी किसी यूनिट द्वारा आयातित वस्तुओं को तब तक लागू नहीं होंगे, जब तक कि,—

(i) ऐसी अधिसूचना में या ऐसे उपक्रम या इकाई को विशि-टतया लागू नहीं किए गए हों ;

(ii) वस्तु की देशी टैरिफ क्षेत्र में उस रूप में निकासी की गई है या ऐसे किसी माल के, जिसकी देशी टैरिफ क्षेत्र में निकासी की गई हो, विनिर्माण में उपयोग में लाई गई है और उस मामले में रक्षोपाय उस वस्तु के, जिसकी इस प्रकार निकासी की गई है या जो इस प्रकार उपयोग में लाई गई है, उस भाग को वैसे ही लागू किया जाएगा, जैसे वह उस समय लागू था जब वह भारत में आयात की गई थी ।

स्प-टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम" और "विशे-ा आर्थिक क्षेत्र" पदों के वही
1944 का 1 अर्थ होंगे जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 3 की उपधारा (1) के स्प-टीकरण 2 में उनका है ।

(7) इस धारा के अधीन अधिरोपित रक्षोपाय शुल्क इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अधिरोपित किसी अन्य शुल्क के अतिरिक्त होगा ।

(8) इस धारा के अधीन लागू किए गए रक्षोपाय, जब तक कि वे पहले ही प्रतिसंहृत न किए गए हों, ये ऐसे लागू होने की तारीख से चार व-र् की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेंगे :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि घरेलू उद्योग ने ऐसी क्षति या उसकी आशंका को समायोजित करने के उपाय कर लिए हैं, और यह आवश्यक है कि रक्षोपाय लागू बने रहने चाहिए, तो वह ऐसे लागू होने की अवधि को बढ़ा सकेगी :

परंतु यह और कि किसी भी दशा में, रक्षोपाय उस तारीख से, जिसको ऐसे रक्षोपाय पहली बार लागू किए गए थे, दस व-र् की अवधि से परे की अवधि के लिए लागू नहीं रहेंगे ।

1962 का 52 (9) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और उसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम, जिसके अंतर्गत शुल्क की दर के निर्धारण, उद्ग्रहण न किए जाने, कम उद्ग्रहण, प्रतिदायों, ब्याज, अपीलों, अपराधों और शास्तियों के अवधारण के लिए तारीख से संबंधित नियम और विनियम भी हैं, जहां तक हो सके, इस धारा के अधीन प्रभार्य शुल्क के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे, जैसे वे उस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्कों के संबंध में लागू होते हैं ।

(10) केन्द्रीय सरकार, इस धारा के प्रयोजनों के लिए और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी, ऐसे नियम निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेंगे—

(i) वह रीति जिसमें रक्षोपायों के लिए दायी वस्तुओं को पहचाना जा सकेगा ;

(ii) वह रीति जिसमें पहचानी गई वस्तुओं के संबंध में गंभीर क्षति के कारण या गंभीर क्षति की आशंका के कारण अवधारित किए जा सकेंगे ;

(iii) रक्षोपाय शुल्क के निर्धारण और संग्रहण की रीति ;

(iv) वह रीति जिसमें पहचानी गई वस्तुओं पर टैरिफ दर कोटा प्रदायकर्ता देशों के बीच आबंटित किया जा सकेगा ;

(v) रक्षोपाय के रूप में टैरिफ दर कोटा के कार्यान्वयन की रीति ;

(vi) कोई अन्य रक्षोपाय और इसके लागू होने की रीति ।

(11) इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "विकासशील देश" से ऐसा देश अभिप्रेत है, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाए ;

(ख) "देशी उद्योग" से अभिप्रेत है—

(i) भारत में वैसी ही वस्तु के या सीधे प्रतियोगी वस्तु के संपूर्ण रूप में निर्माता ; या

(ii) ऐसे निर्माता, जिनका भारत में वैसी ही वस्तु या सीधे प्रतियोगी वस्तु का सामूहिक उत्पादन भारत में उक्त वस्तु के कुल उत्पादन का बड़ा अंश है ;

(ग) "गंभीर क्षति" से ऐसी क्षति अभिप्रेत है, जो देशी उद्योग की स्थिति में महत्वपूर्ण संपूर्ण ह्रास कारित करती है ;

(घ) "गंभीर क्षति की आशंका" से गंभीर क्षति का स्प-ट और आसन्न खतरा अभिप्रेत है ।

(12) इस धारा के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात्, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी, यह अवधि एक सत्र या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि पूर्वोक्त सत्र या आनुक्रमिक सत्रों से तुरंत पूर्व के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन अधिसूचना में कोई उपांतरण करने पर सहमत हो जाते हैं या दोनों सदन इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि ऐसी अधिसूचना जारी नहीं की जानी चाहिए तो ऐसी अधिसूचना, यथास्थिति, उसके पश्चात् केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगी या प्रभावी नहीं रहेगी ; तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या रद्दकरण, इस अधिसूचना के अधीन पूर्व में की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।'।

पहली अनुसूची का संशोधन ।

115. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(क) दूसरी अनुसूची में विनिर्दि-ट रीति से संशोधन किया जाएगा ; और

(ख) तीसरी अनुसूची में विनिर्दि-ट रीति से संशोधन किया जाएगा ।

केंद्रीय माल और सेवा कर

धारा 2 का संशोधन ।

116. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड 114 में, खंड (ग) और खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :— 2017 का 12

"(ग) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव ;

(घ) लद्दाख ;"।

धारा 10 का संशोधन ।

117. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) में, "किसी माल" शब्दों के पश्चात् "या सेवाओं" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 16 का संशोधन ।

118. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) में, "से संबंधित बीजक" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 29 का संशोधन ।

119. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) कराधेय व्यक्ति, धारा 22 या धारा 24 के अधीन अब रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी नहीं रहा है या उसका धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वेच्छया रजिस्ट्रीकरण का आशय रहा हो ;"।

धारा 30 का संशोधन ।

120. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) में, परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु ऐसी अवधि दर्शित किए गए पर्याप्त कारण के आधार पर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से,—

(क) यथास्थिति, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त द्वारा तीस दिन से अनधिक की अवधि के लिए ; और

(ख) आयुक्त द्वारा खंड (क) में विनिर्दि-ट अवधि से परे तीस दिन से अनधिक की और अवधि के लिए, बढ़ाई जा सकेगी ।"।

धारा 31 का संशोधन ।

121. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) में परंतुक शब्द के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु सरकार, परि-ाद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा,—

(क) ऐसी सेवाओं या पूर्तियों के प्रवर्ग विनिर्दि-ट कर सकेगी, जिनके संबंध में ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कर बीजक जारी किया जा सकेगा ;

(ख) इसमें उल्लिखित ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, सेवाओं के ऐसे प्रवर्ग विनिर्दि-ट कर सकेगी, जिनके संबंध में—

(i) पूर्ति के संबंध में जारी किसी अन्य दस्तावेज को कर बीजक समझा जाएगा ; या

(ii) कर बीजक जारी नहीं किया जा सकेगा ।"।

धारा 51 का संशोधन ।

122. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 51 में,-

(क) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(3) स्रोत पर कर की कटौती का प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में जारी किया जाएगा, जो विहित की जाए ।"।

(ख) उपधारा (4) का लोप किया जाएगा ।"।

धारा 109 का संशोधन ।

123. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 109 की उपधारा (6) में,—

(क) "जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 122 का संशोधन ।

124. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 122 की उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के खंड (i) या खंड (ii) या खंड (vii) या खंड (ix) के अंतर्गत आने वाले संव्यवहार के फायदे का प्रतिधारण करता है और जिसके अनुरोध पर ऐसा संव्यवहार किया जाता है, अपवंचित कर या उपभोग किए गए या संक्रांत इनपुट कर प्रत्यय के बराबर रकम की शास्ति का दायी होगा ।"।

धारा 132 का संशोधन ।

125. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 132 की उपधारा (1) में,—

(i) "जो कोई निम्नलिखित में से किसी अपराध को करता है" शब्दों के स्थान पर, "जो कोई निम्नलिखित अपराधों में से किसी अपराध को करेगा या किसी अपराध को करवाएगा और उससे उद्भूत फायदों का प्रतिधारण करेगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) खंड (ख) में निर्दि-ट ऐसे बीजक या बिल का उपयोग करके इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करता है या किसी बीजक या बिल के बिना कपट से इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग करता है ;";

(iii) उपखंड (ङ) में, "कपट से इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेता है या" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

धारा 140 का संशोधन ।

126. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 140 में 1 जुलाई, 2017 से,—

(क) उपधारा (1) में, "विहित की जाने वाली रीति में" शब्दों के स्थान पर "ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "विहित की जाने वाली रीति में" शब्दों के स्थान पर "ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (3) में, "नियत दिन पर स्टॉक में धारित" शब्दों के स्थान पर "नियत दिन पर, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, स्टॉक में धारित" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (5) में, "विद्यमान विधि के अधीन पूर्तिकार द्वारा" शब्दों के स्थान पर "विद्यमान विधि के अधीन ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, पूर्तिकार द्वारा" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(ङ) उपधारा (6) में, "नियत दिन को" शब्दों के पश्चात् "ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे और अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे ;

(च) उपधारा (7) में, "इस अधिनियम के अधीन प्रत्यय के रूप में" शब्दों के स्थान पर "इस अधिनियम के अधीन ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रत्यय के रूप में" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(छ) उपधारा (8) में, "ऐसी रीति में" शब्दों के स्थान पर "ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ;

(ज) उपधारा (9) में, "ऐसे प्रत्यय का इस शर्त के अधीन" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्रत्यय का, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, इस शर्त के अधीन" शब्द रखे जाएंगे और रखे गए समझे जाएंगे ।

धारा 168 का संशोधन ।

127. केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 168 की उपधारा (2) में, "धारा 66 की उपधारा (5), धारा 143 की उपधारा (1)" शब्दों, को-ठकों और अंकों के स्थान पर, "धारा 143 की उपधारा (1), उसके दूसरे परंतुक के सिवाय" शब्द, को-ठक और अंक रखे जाएंगे ।

धारा 172 का संशोधन ।

128. मूल अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (1) के परंतुक में, "तीन व-र्ा" शब्दों के स्थान पर, "पांच व-र्ा" शब्द रखे जाएंगे ।

अनुसूची 2 का संशोधन ।

129. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 2 की प्रवि-ि4 में, "जो किसी प्रतिफल के लिए है या नहीं है" दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, शब्दों का लोप किया जाएगा और 1 जुलाई, 2017 से लोप किया गया समझा जाएगा ।

कतिपय मामलों में केंद्रीय कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी छूट ।

2117 का 12

130. (1) केंद्रीय सरकार द्वारा, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परि-ाद् की सिफारिशों पर जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 673(अ), तारीख 28 जून, 2017 में किसी बात के होते हुए भी,—

(i) 1 जुलाई, 2017 से आरंभ होने वाली और 30 सितंबर, 2019 को समाप्त होने वाली (दोनों दिन सम्मिलित) अवधि के दौरान (शी-र्ा 2301 के अंतर्गत आने वाले) मत्स्य आहार के प्रदाय के संबंध में कोई केंद्रीय कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा ;

(ii) 1 जुलाई, 2017 से आरंभ होने वाली और 31 दिसंबर, 2018 को समाप्त होने वाली (दोनों दिन सम्मिलित) अवधि के दौरान (शी-र्ा 8483 के अंतर्गत आने वाली) घिर्नी, पहिए और अन्य पुर्जों के संबंध में और (शी-र्ा 8432, 8433 और 8436 के अंतर्गत आने वाली) कृ-ि संबंधी मशीनरी के पुर्जो के उपयोग के संबंध में छह प्रतिशत की दर पर केंद्रीय कर उद्गृहीत या संगृहीत किया जाएगा ।

(2) ऐसे सभी करों का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिन्हें संगृहीत किया गया है किन्तु जो इस प्रकार संगृहीत नहीं किए गए होते, यदि उपधारा (1) सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती ।

केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (ii) के अधीन जारी अधिसूचना का भूतलक्षी प्रभाव।

2017 का 15

2017 का 12

131. केंद्रीय सरकार द्वारा माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (ii) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परि-ाद् की सिफारिशों पर जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 708(अ), तारीख 30 सितंबर, 2019 सभी प्रयोजनों के लिए, 1 जुलाई, 2017 से ही प्रवृत्त समझी जाएगी और सदैव प्रवृत्त हुई समझी जाएगी ।

एकीकृत माल और सेवा कर

धारा 25 का संशोधन ।

2017 का 13

132. एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 25 की उपधारा (1) के परंतुक में, "तीन व-र्ा" शब्दों के स्थान पर, "पांच व-र्ा" शब्द रखे जाएंगे ।

कतिपय मामलों में एकीकृत कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी छूट ।

2017 का 13

133. (1) केंद्रीय सरकार द्वारा, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए, परि-ाद् की सिफारिशों पर जारी, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 666(अ), तारीख 28 जून, 2017 में किसी बात के होते हुए भी,—

(i) 1 जुलाई, 2017 से आरंभ होने वाली और 30 सितंबर, 2019 को समाप्त होने वाली (दोनों दिन सम्मिलित) अवधि के दौरान (शी-र्ा 2301 के अंतर्गत आने वाले) मत्स्य आहार के प्रदाय के संबंध में कोई एकीकृत कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा ;

(ii) 1 जुलाई, 2017 से आरंभ होने वाली और 31 दिसंबर, 2018 को समाप्त होने वाली (दोनों दिन सम्मिलित) अवधि के दौरान (शी-र्ा 8483 के अंतर्गत आने वाली) घिर्नी, पहिए और अन्य पुर्जों के संबंध में और (शी-र्ा 8432, 8433 और 8436 के अंतर्गत आने वाली) कृ-ि संबंधी मशीनरी के पुर्जो के उपयोग के संबंध में बारह प्रतिशत की दर पर एकीकृत कर उद्गृहीत या संगृहीत किया जाएगा ।

(2) ऐसे सभी करों का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिन्हें संगृहीत किया गया है किन्तु जो इस प्रकार संगृहीत नहीं किए गए होते, यदि उपधारा (1) सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती ।

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर

धारा 1 का संशोधन ।

2017 का 14

134. संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 1 की उपधारा (2) में, "दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव" शब्दों के स्थान पर "दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव, लद्दाख" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 2 का संशोधन ।

135. संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (8) में, उपखंड (iii) और उपखंड (iv) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात् :—

"(iii) दादरा और नागर हवेली तथा दमण और दीव ;

(iv) लद्दाख ;"।

136. संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) के परंतुक में, "तीन व-र्ा" शब्दों के स्थान पर, "पांच व-र्ा" शब्द रखे जाएंगे । धारा 26 का संशोधन ।

2017 का 14 **137.** (1) केंद्रीय सरकार द्वारा, संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परि-ाद् की सिफारिशों पर जारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 710(अ), तारीख 28 जून, 2017 में किसी बात के होते हुए भी,— कतिपय मामलों में संघ राज्यक्षेत्र कर के उद्ग्रहण या संग्रहण से भूतलक्षी छूट ।

(i) 1 जुलाई, 2017 से आरंभ होने वाली और 30 सितंबर, 2019 को समाप्त होने वाली (दोनों दिन सम्मिलित) अवधि के दौरान (शी-र्ा 2301 के अंतर्गत आने वाले) मत्स्य आहार के प्रदाय के संबंध में कोई संघ राज्यक्षेत्र कर उद्गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा ;

(ii) 1 जुलाई, 2017 से आरंभ होने वाली और 31 दिसंबर, 2018 को समाप्त होने वाली (दोनों दिन सम्मिलित) अवधि के दौरान (शी-र्ा 8483 के अंतर्गत आने वाले) घिर्नी, पहिए और अन्य पुर्जो के संबंध में और (शी-र्ा 8432, 8433 और 8436 के अंतर्गत आने वाले) कृनि संबंधी मशीनरी के पुर्जो के उपयोग के संबंध में छह प्रतिशत की दर पर संघ राज्यक्षेत्र कर उद्गृहीत या संगृहीत किया जाएगा ।

(2) ऐसे सभी करों का कोई प्रतिदाय नहीं किया जाएगा, जिन्हें संगृहीत किया गया है किन्तु जो इस प्रकार संगृहीत नहीं किए गए होते, यदि उपधारा (1) सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त हुई होती ।

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर)

2017 का 15 **138.** माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 की धारा 14 की उपधारा (1) के परंतुक में, "तीन व-र्ा" शब्दों के स्थान पर, "पांच व-र्ा" शब्द रखे जाएंगे । धारा 14 का संशोधन ।

अध्याय 5

स्वास्थ्य उपकर

139. (1) चौथी अनुसूची में विनिर्दि-ट ऐसे माल की दशा में, जिसका भारत में आयात किया गया है, संघ के प्रयोजनों के लिए, स्वाथ्स्य उपकर नामक सीमाशुल्क का, स्वास्थ्य अवसंरचना और सेवाओं के वित्तपो-ाण के प्रयोजनों के लिए उक्त अनुसूची में विनिर्दि-ट दरों पर उद्ग्रहण और संग्रहण किया जाएगा । आयातित चिकित्सा युक्तियों पर स्वास्थ्य उपकर ।

(2) केंद्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई विधि द्वारा सम्यक् विनियोग के पश्चात्, उपधारा (1) में विनिर्दि-ट प्रयोजनों के लिए इस अध्याय के अधीन उद्गृहीत स्वास्थ्य उपकर की ऐसी धनराशि का, जो वह आवश्यक समझे, उपयोग कर सकेगी ।

(3) चौथी अनुसूची में विनिर्दि-ट माल पर इस धारा के अधीन स्वास्थ्य उपकर का परिकलन करने के प्रयोजनों के लिए, जहां ऐसा शुल्क इसके मूल्य के किसी प्रतिशतता पर उद्ग्रहणीय है, वहां ऐसे माल के मूल्य का उसी रीति में परिकलित किया जाएगा जैसे माल का परिकलन, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) की धारा 14 के उपबंधों के अधीन सीमाशुल्क के प्रयोजन के लिए किया जाता है । 1962 का 52

(4) चौथी अनुसूची में विनिर्दि-ट माल पर प्रभार्य उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय स्वास्थ्य उपकर सीमाशुल्क अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे माल प्रभार्य किन्हीं अन्य सीमाशुल्कों के अतिरिक्त होगा ।

(5) सीमाशुल्क अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के उपबंध, जिनके अंतर्गत प्रतिदाय और शुल्कों, अपराधों तथा शास्ति के अधिरोपण से छूट से संबंधित उपबंध भी हैं, यथाशक्य, पांचवीं अनुसूची में विनिर्दि-ट माल की बाबत इस अध्याय के अधीन उद्ग्रहणीय स्वास्थ्य उपकर के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे, यथास्थिति, उक्त अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन ऐसे माल पर सीमाशुल्कों के उद्ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

भाग 1

भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 का संशोधन

140. इस भाग के उपबंध 1 अप्रैल, 2020 को प्रवृत्त होंगे । इस भाग का प्रारंभ ।

1899 का 2 **141.** भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् स्टांप अधिनियम कहा गया है) की धारा 9क की उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 9क का संशोधन ।

"परंतु विशे-ा आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अधीन स्थापित किसी अंतररा-ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित स्टॉक एक्सचेंज और निक्षेपागारों में संव्यवहार की लिखतों के संबंध में कोई स्टांप शुल्क प्रभार्य नहीं होगा ।"। 2005 का 23

नई धारा 73ख का अंतःस्थापन ।

142. स्टांप अधिनियम की धारा 73क के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

निदेश जारी करने और केंद्रीय सरकार की कतिपय प्राधिकारियों को अनुदेश, आदि जारी करने हेतु प्राधिकृत करने की शक्ति ।

"73ख. केंद्रीय सरकार अध्याय 2 के भाग कक और इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए,—

(क) ऐसे वि-ायों से संबंधित और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह ठीक समझे, निदेश जारी कर सकेंगे;

(ख) लिखित रूप में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक को अनुदेश, परिपत्र या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी ।"। 1992 का 15 1934 का 2

भाग 2

बेनामी संपत्ति संव्यवहार (प्रति-ोध) अधिनियम, 1988 का संशोधन

1988 के अधिनियम संख्यांक 45 का संशोधन ।

143. बेनामी संपत्ति संव्यवहार (प्रति-ोध) अधिनियम, 1988 की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड 1 अप्रैल, 2020 से रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) (i) भारतीय विधिक सेवा का सदस्य रहा है और वह उस सेवा में संयुक्त सचिव का पद या समतुल्य पद धारण कर चुका हो ;

(ii) जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए अर्हित हो ।"।

भाग 3

निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 का संशोधन

1991 के अधिनियम सं. 11का संशोधन।

144. निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 की धारा 8 में, "भत्ते, किरायामुक्त आवास का उपबंध, किराया मुक्त आवास, प्रवहण सुविधाओं, सत्कार भत्ते, चिकित्सा सुविधाओं के मूल्य पर आय-कर के संदाय से छूट और अन्य सेवा शर्तें" शब्दों के स्थान पर, "भत्ते और किराया मुक्त आवास का उपबंध" शब्द 1 अप्रैल, 2021 से रखे जाएंगे ।

भाग 4

वित्त अधिनियम, 2001 का संशोधन

2001 के अधिनियम संख्यांक 14 की सातवीं अनुसूची के स्थान पर नई अनुसूची का प्रतिस्थापन ।

145. वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची के स्थान पर पांचवीं अनुसूची में विनिर्दि-ट अनुसूची रखी जाएगी।

भाग 5

वित्त अधिनियम, 2013 का संशोधन

धारा 116 का संशोधन।

146. वित्त अधिनियम, 2013 (जिसे इस भाग में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 116 में, 1 अप्रैल, 2020 से,— 2013 का 17

(क) खंड (7) में, "कृ-ि वस्तुओं से भिन्न ऐसी वस्तुओं की बाबत, जिनका व्यापार मान्यताप्राप्त संगमों द्वारा किया जाता है, वस्तु व्युत्पन्नियों के विकल्प के विक्रय" शब्दों के स्थान पर, ''कृ-ि वस्तुओं से भिन्न ऐसी वस्तुओं की बाबत, जिनका व्यापार मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में किया जाता है, वस्तु व्युत्पन्नियों के विक्रय या कीमतों या वस्तु व्युत्पन्नियों की कीमतों के सूचकों पर आधारित वस्तु व्युत्पन्नियों के विक्रय या माल का विकल्प'' शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (8) में,—

(अ) "अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952" शब्दों, को-ठकों और अंकों के स्थान पर, "प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 शब्द, को-ठक और अंक रखे जाएंगे ; 1952 का 74 1956 का 42

(आ) ''बनाए गए नियमों'' शब्द के पश्चात् ''या जारी की गई अधिसूचनाओं'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

147. मूल अधिनियम की धारा 117 में, सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी, 1 अप्रैल, 2020 से रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 117 का संशोधन ।

"सारणी

क्र.सं.	कराधेय वस्तु संव्यवहार	दर	द्वारा संदेय
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	वस्तु व्युत्पन्नी का विक्रय	0.01 प्रतिशत	विक्रेता
2.	वस्तु व्युत्पन्नी का विक्रय, जो वस्तु व्युत्पन्नियों की कीमत या कीमत के सूचकों पर आधारित हो	0.01 प्रतिशत	विक्रेता
3.	वस्तु व्युत्पन्नी पर विकल्प का विक्रय	0.05 प्रतिशत	विक्रेता
4.	माल के विकल्प का विक्रय	0.05 प्रतिशत	विक्रेता
5.	वस्तु व्युत्पन्नी पर विकल्प का विक्रय, जहां विकल्प का प्रयोग कर लिया गया है	0.0001 प्रतिशत	क्रेता
6.	माल के विकल्प का विक्रय, जहां माल के वास्तविक परिदान के परिणामस्वरूप विकल्प का प्रयोग कर लिया गया है	0.0001 प्रतिशत	क्रेता
7.	माल के विकल्प का विक्रय, जहां माल के वास्तविक परिदान से अन्यथा किसी परिनिर्धारण के परिणामस्वरूप विकल्प का प्रयोग कर लिया गया है	0.125 प्रतिशत	क्रेता।"।

148. मूल अधिनियम की धारा 118 में, 1 अप्रैल, 2020 से — धारा 118 का संशोधन ।

(i) खंड (क) में, "वस्तु व्युत्पन्नियों" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "वस्तु व्युत्पन्नियों या कीमतों या वस्तु व्युत्पन्नियों की कीमतों के सूचकों पर आधारित वस्तु व्युत्पन्नियों", शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ख) में,—

(अ) "वस्तु व्युत्पन्नी पर विकल्प" शब्दों के पश्चात्, "या माल पर विकल्प", शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(आ) उपखंड (i) में "क्रम सं. 2" शब्दों और अंक के स्थान पर "क्रम सं. 3 और क्रम सं. 4", शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(इ) उपखंड (ii) में "क्रम सं. 3", शब्दों और अंक के स्थान पर, "क्रम सं. 5 और क्रम सं. 6", शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ई) उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा,—

"(iii) धारा 117 की सारणी के, क्रम सं. 7 पर संव्यवहार के संबंध में परिनिर्धारित कीमत और विकल्प कीमत के बीच अंतर ।"।

149. मूल अधिनियम की धारा 119, धारा 120 और धारा 132क में, "मान्यताप्राप्त संगम" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज" शब्द, 1 अप्रैल, 2020 से रखे जाएंगे । धारा 119, धारा 120 और धारा 132क का संशोधन ।

अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घो-ाणा

यह घो-ाणा की जाती है कि लोकहित में यह समीचीन है कि इस विधेयक के खंड 115(क), खंड 115(ख), खंड 139 और खंड 145 के उपबंध अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन तुरंत प्रवृत्त होंगे । 1931 का 16

पहली अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

भाग 1

आय-कर

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	12,500 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,12,500 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	10,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,10,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,00,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में,—

(क) जहां कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) जहां कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(ग) जहां कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय को छोडकर) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(घ) जहां कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय को छोडकर) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(ङ) जहां कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु जो खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उस दशा में, जहां कुल आय में, आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के अधीन प्रभार्य कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परंतु ऊपर वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय,—

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(ग) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह दो करोड़ रुपए से अधिक है ;

(घ) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह पांच करोड़ रुपए से अधिक है।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है	3,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर — 30 प्रतिशत।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी,जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर — 30 प्रतिशत।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा ङ

किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां पूर्ववर्ष 2017-2018 में इसका कुल आवर्त या कुल प्राप्तियां चार सौ करोड़ रुपए से अधिक न हो	कुल आय का 25 प्रतिशत ;
(ii) मद (i) में निर्दिष्ट के सिवाय	कुल आय का 30 प्रतिशत ;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या

(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए उस सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,

और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है	50 प्रतिशत ;
(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो	40 प्रतिशत।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परंतु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस रकम से, उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

भाग 2

कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ, धारा 194ठखक, धारा 194ठखख, धारा 194ठखग और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी :—

	आय-कर की दर
1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,—	
(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) बीमा कमीशन के रूप में आय पर	5 प्रतिशत ;
(v) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर—	10 प्रतिशत ;
(अ) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या प्रतिभूतियां ;	
(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं ;	
(इ) केंद्रीय या राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति	
(vi) किसी अन्य आय पर	10 प्रतिशत ;
(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,—	
(i) किसी अनिवासी भारतीय की दशा में,—	
(अ) विनिधान से किसी आय पर	20 प्रतिशत ;
(आ) धारा 115ङ या धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(इ) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ई) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में एक लाख रुपए से अधिक अन्य आय पर (जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है)	20 प्रतिशत ;
(उ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(ऊ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
(ऋ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	10 प्रतिशत ;
(ए) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(i)(ऊ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर	10 प्रतिशत ;
(ऐ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ओ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(औ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(अं) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;

	आय-कर की दर
(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,—	
(अ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
(आ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	10 प्रतिशत ;
(इ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां यह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(ii)(आ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है], आय पर	10 प्रतिशत ;
(ई) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा प्रत्येक तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(उ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऋ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(ए) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ऐ) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में एक लाख रुपए से अधिक की आय पर	10 प्रतिशत ;
(ओ) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	20 प्रतिशत ;
(औ) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;
2. किसी कंपनी की दशा में,—	
(क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) किसी अन्य आय पर	10 प्रतिशत ;
(ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,—	
(i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
(iv) उसके द्वारा 31 मार्च, 1976 के पश्चात् सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	10 प्रतिशत ;

	आय-कर की दर
(v) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर [जो उपमद (ख)(iv) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है]—	
(अ) जहां करार 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है अथवा जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, उस सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा, तकनीकी सेवाओं के लिए, संदेय फीस के रूप में आय पर,—	
(अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है	50 प्रतिशत ;
(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है	10 प्रतिशत ;
(vii) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(viii) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ix) धारा 112क में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में ऐसी आय पर, जो एक लाख रुपए से अधिक है	10 प्रतिशत ;
(x) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर [जो धारा 10 के खंड (33) और खंड (36) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं है]	20 प्रतिशत ;
(xi) किसी अन्य आय पर	40 प्रतिशत।

स्पष्टीकरण — इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजनों के लिए, ''विनिधान से आय'' और ''अनिवासी भारतीय'' के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में उनके हैं।

आय-कर पर अधिभार

निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में,—

(i) इस भाग की मद 1 के उपबंधों के अनुसार,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो अनिवासी है, की दशा में,—

I. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग (आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित) और कटौतियों के अधीन रहते हुए, पचास लाख रुपए से अधिक है, किन्तु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

II. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग (आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित) और कटौतियों के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

III. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग (आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय को छोड़कर) और कटौतियों के अधीन रहते हुए, दो करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

IV. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग (आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय को छोड़कर) और कटौतियों के अधीन रहते हुए, पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

V. जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग (आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित) और कटौतियों के अधीन रहते हुए, दो करोड़ रुपए से अधिक है ,किन्तु जो उपखंड III और उपखंड IV के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसे कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से :

परंतु उस दशा में, जहां कुल आय में, आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के अधीन प्रभार्य कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ;

(ख) प्रत्येक सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय या ऐसी आयों का योग, और कटौतियों के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है,ऐसे कर के बारह प्रतिशत की दर से ,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ;

(ii) इस भाग की मद 2 के उपबंधों के अनुसार, किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय अथवा ऐसी आय का योग, और कटौती के अधीन रहते हुए, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ;

(ख) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य आय अथवा ऐसी आय का योग दस करोड़ रुपए से अधिक है, और कटौती के अधीन रहते हुए, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा।

भाग 3

कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, ''वेतन'' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और "अग्रिम कर" की संगणना के लिए दरें

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा "वेतन'' शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर'' की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर'' [जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115ञख या धारा 115ञग या अध्याय 12चक या अध्याय 12चख या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में "अग्रिम कर'' नहीं है या धारा 115क या धारा 115कख या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खक या धारा 115खकक या धारा 115खकख या धारा 115खकघ या धारा 115खख या धारा 115खखक या धारा 115खखग या धारा 115खखघ या धारा 115खखघक या धारा 115खखङ या धारा 115खखच या धारा 115खखछ या धारा 115ङ या धारा 115ञख या धारा 115ञग के अधीन] कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ऐसे "अग्रिम कर'' पर, जहां कहीं लागू हो अधिभार नहीं है निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :—

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	12,500 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,12,500 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 5 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	10,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,10,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक है, किन्तु 10,00,000 रु0 से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक है	1,00,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु0 से अधिक हो जाती है।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 115खकग के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, —

(क) जहां कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित) पचास लाख रुपए से अधिक है, किंतु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ख) जहां कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से ;

(ग) जहां कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय को छोड़कर) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पच्चीस प्रतिशत की दर से ;

(घ) जहां कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय को छोड़कर) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के सैंतीस प्रतिशत की दर से ;

(ङ) जहां कुल आय (आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के उपबंधों के अधीन आय सम्मिलित) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु जो खंड (ग) और खंड (घ) के अधीन नहीं आती है, ऐसे आय-कर के पन्द्रह प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उस दशा में, जहां कुल आय में, आय-कर अधिनियम की धारा 111क और धारा 112क के अधीन प्रभार्य कोई आय सम्मिलित है, आय के उस भाग के संबंध में संगणित आय-कर की रकम पर अधिभार की दर पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि ऊपर वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय,—

(क) पचास लाख रुपए से अधिक है, किन्तु एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह पचास लाख रुपए से अधिक है ;

(ख) एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दो करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है ;

(ग) दो करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु पांच करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दो करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह दो करोड़ रुपए से अधिक है ;

(घ) पांच करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पांच करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह पांच करोड़ रुपए से अधिक है।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

	आय-कर की दरें
(1) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु0 से अधिक है, किंतु 20,000 रु0 से अधिक नहीं है	1,000 रु0 **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु0 से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु0 से अधिक है	3,000 रु0 **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु0 से अधिक हो जाती है।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर — 30 प्रतिशत।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर — 30 प्रतिशत।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा ङ

कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां पूर्ववर्ष 2018-2019 में उसका कुल आवर्त या सकल प्राप्तियां चार सौ करोड़ रुपए से अधिक नहीं है — कुल आय का 25 प्रतिशत ;

(ii) मद (i) में निर्दिष्ट से भिन्न — कुल आय का 30 प्रतिशत ;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,— 50 प्रतिशत ;

(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; या

(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से किए गए किसी करार के अनुसरण में तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त फीस,

और जहां, ऐसा करार दोनों में से प्रत्येक दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है — 50 प्रतिशत;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो — 40 प्रतिशत।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 या धारा 112क के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परंतु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

भाग 4

[धारा 2(13)(ग) देखिए]

शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

नियम 1—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे :

परंतु धारा 58 की उपधारा (2) इस उपांतरण के अधीन रहते हुए लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रतिनिर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3), (उपधारा 3क) और उपधारा (4) के प्रतिनिर्देश नहीं हैं।

नियम 2—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है, जो ऐसे किसी भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3), उपधारा (3क) और उपधारा (4) से भिन्न] धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे।

नियम 3—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे किसी भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "गृह-संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे।

नियम 4—इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में—

(क) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ख) जहां निर्धारिती को, भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक रबड़ के सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स या सिनेक्स या क्रेप्स पर आधारित लेटेक्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रेप) या ब्राउन क्रेप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, स्माक्ड ब्लेन्केट क्रेप या फ्लेट बार्क क्रेप) के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के पैंसठ प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ग) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के, यथास्थिति, साठ प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा।

नियम 5—जहां निर्धारिती किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिंदू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा।

नियम 6—जहां कृषि-आय के किसी स्रोत के संबंध में पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी :

परंतु जहां निर्धारिती किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी।

नियम 7—राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्गृहीत किसी कर मद्धे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी।

नियम 8—(1) जहां निर्धारिती की, 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम

दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2020 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी।

(2) जहां निर्धारिती की, 2021 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर, आय-कर उस पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में, कोई कृषि-आय है और 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iv) 2016 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2017 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2018 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2019 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2020 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2021 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी।

(3) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है, वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 2012 (2012 का 23) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2013 (2013 का 17) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 (2014 का 25) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2015 (2015 का 20) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2017 (2017 का 7) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2019 (2019 का 23) की पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी।

नियम 9—जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का अंतिम परिणाम हानि है, वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा।

नियम 10—आय-कर अधिनियम के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध भी हैं) आवश्यक उपांतरणों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं।

नियम 11—निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां होंगी, जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन हैं।

दूसरी अनुसूची

[धारा 115(क) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 8 में, टैरिफ मद 0802 32 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "100%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) अध्याय 38 में, टैरिफ मद 3824 99 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "17.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(3) अध्याय 64 में,—

(i) शीर्ष 6401, 6402, 6403, 6404 और 6405 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "35%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) शीर्ष 6406 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(4) अध्याय 67 में, शीर्ष 6702 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(5) अध्याय 69 में, टैरिफ मद 6911 10 11, 6911 10 19, 6911 10 21, 6911 10 29, 6911 90 20, 6911 90 90, 6912 00 10, 6912 00 20, 6912 00 40 और 6912 00 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी।

(6) अध्याय 70 में,—

(i) शीर्ष 7013 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 7018 10 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(7) अध्याय 71 में, शीर्ष 7118 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(8) अध्याय 73 में, शीर्ष 7323 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(9) अध्याय 74 में, उपशीर्ष 7418 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(10) अध्याय 76 में, उपशीर्ष 7615 10 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(11) अध्याय 83 में,—

(i) टैरिफ मद 8301 10 00, 8301 30 00, 8301 40 10, 8301 40 90, 8301 50 00, 8301 60 00 और 8301 70 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 8304 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) शीर्ष 8305, 8306 और 8310 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(12) अध्याय 84 में,—

(i) टैरिफ मद 8414 30 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 8414 51 10, 8414 51 20 और 8414 51 30 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 8414 51 40 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 8414 51 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 8414 59 10, 8414 59 30 और 8414 59 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) टैरिफ मद 8414 59 20 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vii) टैरिफ मद 8414 80 11 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "12.5%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(viii) टैरिफ मद 8418 10 10, 8418 30 10, 8418 30 90, 8418 40 10, 8418 40 90, 8418 50 00, 8418 61 00, 8418 69 10, 8418 69 20, 8418 69 30, 8418 69 40, 8418 69 50 और 8418 69 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) टैरिफ मद 8419 89 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) टैरिफ मद 8421 39 20 और 8421 39 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "15%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(13) अध्याय 85 में,—

(i) टैरिफ मद 8504 40 10, 8504 40 21, 8504 40 29, 8504 40 30, 8504 40 40 और 8504 40 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 8509 40 10, 8509 40 90 और 8509 80 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 8510 10 00, 8510 20 00 और 8510 30 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 8515 11 00, 8515 19 00, 8515 21 10, 8515 21 20, 8515 21 90, 8515 29 00, 8515 31 00, 8515 39 10, 8515 39 20, 8515 39 90, 8515 80 10 और 8515 80 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 8516 10 00, 8516 21 00, 8516 29 00, 8516 31 00, 8516 32 00, 8516 33 00, 8516 40 00, 8516 60 00, 8516 71 00, 8516 72 00, 8516 79 10, 8516 79 20, 8516 79 90 और 8516 80 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(vi) टैरिफ मद 8517 70 10 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(14) अध्याय 94 में, शीर्ष 9401, 9403, 9404 और 9405 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "25%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(15) अध्याय 95 में, शीर्ष 9503 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "60%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(16) अध्याय 96 में,—

(i) शीर्ष 9603 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 9604 00 00 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) शीर्ष 9615 और 9617 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "20%" प्रविष्टि रखी जाएगी।

तीसरी अनुसूची

[धारा 115(ख) देखिए]

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

टैरिफ मद	माल वर्णन		इकाई	शुल्क की दर	
				मानक	अधिमानी
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
(1) अध्याय 84 में, टैरिफ मद 8414 51 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—					
"8414 51 50	---	दीवार पंखें	इ.	20%	---
8414 51 90	---	अन्य	इ.	20%	----"।
(2) अध्याय 85 में,—					
(i) शीर्ष 8529 में, टैरिफ मद 8529 90 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—					
"8529 90 30	---	टेलिविजन सेट के लिए ओपन सेल	इ.	15%	-";
(ii) शीर्ष 8541 में, टैरिफ मद 8541 40 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, अर्थात् :—					
"8541 40 11	----	सोलर सेल, जो समुच्चयित नहीं है	इ.	20%	-
8541 40 12	----	सोलर सेल, जो माड्यूल्स में समुच्चयित या पैनल में बनाए गए हैं	इ.	20%	-"।

चौथी अनुसूची

(धारा 139 देखिए)

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के निर्वचन के लिए नियम, उक्त पहली अनुसूची के अनुभाग टिप्पण, अध्याय टिप्पण और साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण, इस अनुसूची के निर्वचन को लागू होंगे।

मद सं.	**माल का विवरण**	**कर की दर**
(1)	(2)	(3)
1.	सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष 9018, 9019, 9020, 9021 और 9022 के अधीन आने वाले सभी माल।	5%

पांचवीं अनुसूची

(धारा 145 देखिए)

‘सातवीं अनुसूची

(धारा 136 देखिए)

टिप्पण

1. इस अनुसूची में, "टैरिफ मद", "शीर्ष", "उपशीर्ष" और "अध्याय" के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची में टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष और अध्याय के हैं।

2. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की चौथी अनुसूची तथा चौथी अनुसूची के अनुभाग और अध्याय टिप्पण और साधारण स्पष्टीकारक टिप्पण के निर्वचन के लिए नियम इस अनुसूची के निर्वचन को लागू होंगे।

टैरिफ मद		माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)		(2)	(3)	(4)
2402 20 10	---	65 मि0मी0 से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेटों से भिन्न	संख्या हजार में	200 रु0 प्रति हजार
2402 20 20	---	65 मि0मी0 से अधिक, किंतु 70 मि0मी0 से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेटों से भिन्न	संख्या हजार में	250 रु0 प्रति हजार
2402 20 30	---	65 मि0मी0 से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसके अंतर्गत फिल्टर की लंबाई भी है, फिल्टर की लंबाई 11 मि0मी0 या उसकी वास्तविक लंबाई, इनमें से जो भी अधिक हो)	संख्या हजार में	440 रु0 प्रति हजार
2402 20 40	---	65 मि0मी0 से अधिक, किंतु 70 मि0मी0 से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसके अंतर्गत फिल्टर की लंबाई भी है, फिल्टर की लंबाई 11 मि0मी0 या उसकी वास्तविक लंबाई, इनमें से जो भी अधिक हो)	संख्या हजार में	440 रु0 प्रति हजार
2402 20 50	---	70 मि0मी0 से अधिक, किंतु 75 मि0मी0 से अनधिक लंबाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसके अंतर्गत फिल्टर की लंबाई भी है, फिल्टर की लंबाई 11 मि0मी0 या उसकी वास्तविक लंबाई, इनमें से जो भी अधिक हो)	संख्या हजार में	545 रु0 प्रति हजार
2402 20 90	---	अन्य	संख्या हजार में	735 रु0 प्रति हजार
2402 90 10	---	तम्बाकू अनुकल्प की सिगरेट	संख्या हजार में	600 रु0 प्रति हजार
2403 11 10	---	हुक्का या गुड़कू तंबाकू	कि0ग्रा0	25%
2403 19 10	---	पाइपों और सिगरेटों के लिए धूम्रपान मिश्रण	कि0ग्रा0	60%
2403 19 21	----	कागजवेल्लित बीड़ियों से भिन्न मशीन की सहायता के बिना अन्य विनिर्मिति	संख्या हजार में	1.00 रु0 प्रति हजार
2403 19 29	----	अन्य	संख्या हजार में	2.00 रु0 प्रति हजार
2403 19 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	25%
2403 91 00	--	"समांगीकृत" या "पुनर्रचित" तम्बाकू	कि0ग्रा0	25%
2403 99 10	---	चबाने वाला तंबाकू	कि0ग्रा0	25%
2403 99 20	---	चबाने वाले तंबाकू की विनिर्मितियां	कि0ग्रा0	25%
2403 99 30	---	जर्दा सुगंधित तंबाकू	कि0ग्रा0	25%
2403 99 40	---	नस्वार	कि0ग्रा0	25%
2403 99 50	---	नस्वार वाली विनिर्मितियां	कि0ग्रा0	25%
2403 99 60	---	तंबाकू निष्कर्ष और सत	कि0ग्रा0	25%
2403 99 90	---	अन्य	कि0ग्रा0	25%
2709 20 00		अपरिष्कृत पेट्रोलियम	कि0ग्रा0	50 रु0 प्रति टन ।’।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

इस विधेयक का उद्देश्य वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करना है। खंडों पर टिप्पण विधेयक के विभिन्न उपबंधों को स्पष्ट करते हैं ।

नई दिल्ली;
30 जनवरी, 2020 **निर्मला सीतारामन**

भारत के संविधान के अनुच्छेद 117 और अनुच्छेद 274 के अधीन राष्ट्रपति की सिफारिश

[वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारामन, के लोक सभा महासचिव को भेजे गए, तारीख 30 जनवरी, 2020 के पत्र सं० एफ. 2(4)-बी(डी)/2020 का हिंदी अनुवाद]

राष्ट्रपति, प्रस्तावित विधेयक की विषय-वस्तु से अवगत होने पर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 274 के खंड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 117 के खंड (1) और खंड (3) के अधीन, वित्त विधेयक, 2020 को लोक सभा में पुरःस्थापित किए जाने की सिफारिश करते हैं और साथ ही लोक सभा से विधेयक पर विचार करने की भी सिफारिश करते हैं।

2. यह विधेयक लोक सभा में 1 फरवरी, 2020 को बजट पेश किए जाने के तुरंत बाद पुरःस्थापित किया जाएगा।

आय-कर

विधेयक की पहली अनुसूची के साथ पठित खंड 2 वे दरें विनिर्दिष्ट करने के लिए है, जिन पर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए कर से प्रभार्य आय पर आय-कर उद्गृहीत किया जाना है। इसके अतिरिक्त, यह खंड उन दरों को, जिन पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान "वेतन" से भिन्न ऐसी आय से, जो आय-कर अधिनियम के अधीन ऐसी कटौतियों के अधीन रहते हुए है, स्रोत पर कर की कटौती की जानी है ; और उन दरों को भी, जिन पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए "अग्रिम कर" का संदाय किया जाना है, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से स्रोत पर कर की कटौती की जानी है या संदाय किया जाना है और विशेष दशाओं में कर का परिकलन और प्रभारण किया जाना है, अधिकथित करने के लिए है।

विधेयक का **खंड 3** आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है, जो परिभाषाओं से संबंधित है।

उक्त धारा का खंड (13क) "कारबार न्यास" को परिभाषित करता है, जिससे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना विनिधान न्यास) विनियम, 2014 के अधीन एक अवसंरचना विनिधान न्यास के रूप में या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भू-संपदा विनिधान न्यास) विनियम, 2014 के अधीन भू-संपदा विनिधान न्यास के रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई ऐसा न्यास अभिप्रेत है, जिसकी इकाइयों का पूर्वोक्त विनियमों के अनुसार मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना अपेक्षित है।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से कारबार न्यास को सूचीबद्ध करने संबंधी अपेक्षाओं से संबंधित दीर्घ पंक्ति का लोप किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा का खंड (42क) "अल्पकालीन पूंजी आस्ति" पद को परिभाषित करता है जिससे उसके अंतरण की तारीख से ठीक पहले छत्तीस मास से अनधिक के लिए निर्धारिती द्वारा धारित पूंजी आस्ति अभिप्रेत है। और, उक्त खंड का स्पष्टीकरण वह अवधि अवधारित करने का उपबंध करता है जिसके लिए निर्धारिती द्वारा पूंजी आस्ति धारित की जाती है।

उक्त स्पष्टीकरण के खंड (i) को संशोधित करके उसमें उपखंड (जज) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो धारा 49 की उपधारा (2कछ) में निर्दिष्ट पृथक्कृत पोर्टफोलियो की कोई यूनिट या यूनिटें हैं, उस अवधि को सम्मिलित किया जाएगा, जिसके दौरान मुख्य पोर्टफोलियो में मूल यूनिट या यूनिटों को निर्धारिती द्वारा धारित किया गया था।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 4** आय-कर अधिनियम की धारा 6 का संशोधन करने के लिए है, जो भारत में निवास से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1), उन परिस्थितियों का उपबंध करती है, जिसमें कोई व्यष्टि किसी पूर्ववर्ष में भारत में निवासी होगा। उसके उपखंड (ग) में यह उपबंधित है कि कोई व्यष्टि उस वर्ष में भारत में निवासी तब कहा जाएगा जब वह उसके पूर्ववर्ती चार वर्षों के भीतर कुल मिलाकर तीन सौ पैंसठ दिन या अधिक दिनों की कालावधि या कालावधियों तक भारत में होते हुए, उस वर्ष कुल मिलाकर साठ या अधिक दिनों की कालावधि या कालावधियों तक भारत में रहा है। उक्त स्पष्टीकरण 1 के उपखंड (ख) में यह उपबंधित है कि किसी ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत का नागरिक है, या धारा 115ग के खंड (ङ) के स्पष्टीकरण के अर्थ में भारतीय उद्भव का व्यक्ति है, जो भारत के बाहर रहते हुए किसी पूर्ववर्ष में भारत में आता है, उपखंड (ग) के उपबंध उस वर्ष के संबंध में इस प्रकार लागू होंगे, मानो उसमें आने वाले "साठ दिन" शब्दों के स्थान पर, "एक सौ बयासी दिन" शब्द रखे गए हों।

उक्त स्पष्टीकरण 1 के उपखंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे "एक सौ बयासी दिन" शब्दों के स्थान पर, "एक सौ बीस दिन" शब्द रखे जा सकें।

उक्त धारा में उसके खंड (1) के पश्चात् एक खंड (1क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त उपधारा में किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यष्टि को, जो भारत का नागरिक है, किसी भी पूर्ववर्ष में भारत में निवासी होना समझा जाएगा, यदि वह अधिवास या निवास या उसी प्रकार के किसी अन्य मानदंड के आधार पर किसी अन्य देश या राज्यक्षेत्र में कर का दायी नहीं है।

उक्त धारा का खंड (6) ऐसी परिस्थितियों का उपबंध करता है, जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में यह कहा जाता है कि वह किसी पूर्ववर्ष में भारत में "मामूली तौर पर निवासी नहीं है"। इसके उपखंड (क) में यह उपबंधित है कि यदि ऐसा व्यक्ति, व्यष्टि है, तो वह भारत में "मामूली तौर पर निवासी नहीं" होगा, यदि वह उस वर्ष के पूर्ववर्ती दस वर्षों में से नौ वर्षों में भारत में निवासी न रहा हो या उस वर्ष के पूर्ववर्ती सात वर्षों के दौरान ऐसी कालावधि या ऐसी कालावधियों तक, जो कुल मिलाकर सात सौ उनतीस या उससे कम की हो, भारत में न रहा हो। उसके उपखंड (ख) में हिंदू अविभक्त कुटुंब के कर्ता की दशा में, समान उपबंध अंतर्विष्ट है।

उक्त खंड (6) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंधित किया जा सके कि किसी व्यष्टि या किसी हिंदू अविभक्त कुटुंब के बारे में यह बात कि वह किसी पूर्ववर्ष में भारत में "मामूली तौर पर निवासी नहीं है" तब कही जाएगी, जब वह, यथास्थिति, व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब के कर्ता के बारे में यह बात कि वह उस वर्ष के पूर्ववर्ती दस पूर्ववर्षों में से सात वर्षों में भारत में निवासी न रहा हो।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का **खंड 5** आय-कर अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करने के लिए है, जो भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत होने के लिए समझी गई आय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का खंड (i) ऐसी परिस्थितियों का उपबंध करता है जिनमें प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली आय भारत में कराधेय है।

उक्त खंड का स्पष्टीकरण 1 का खंड (क) यह उपबंध करता है कि उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए ऐसी कारबार की दशा में, जिसकी सभी संक्रियाएं भारत में नहीं की जाती हैं, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाली इस खंड के अधीन समझी गई कारबार की आय, ऐसी आय का उतना भाग होगी, जितना भारत से बाहर की गई संक्रियाओं से युक्तियुक्त रूप से हो सकने वाली है।

उक्त खंड (क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इसमें अंतर्विष्ट उपबंध ऐसे कारबार को लागू नहीं होंगे, जिसका महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति के कारण भारत में कारबारी संपर्क है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-2023 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त खंड का स्पष्टीकरण 2क, अन्य बातों के साथ-साथ, यह स्पष्ट करता है कि भारत में अनिवासी "महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति" भारत में "कारबारी संपर्क" गठित करेगा।

उक्त स्पष्टीकरण का 1 अप्रैल, 2021 से लोप करने का प्रस्ताव है और वह तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 और पश्चात्वर्ती वर्षों के लिए लोप किया जाएगा।

एक नया स्पष्टीकरण 2क अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह घोषित किया जा सके कि उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (i) के प्रयोजनों के लिए, भारत में अनिवासी की महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति, भारत में "कारबारी संपर्क" गठित करेगा और इस प्रयोजन के लिए "महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति" का निम्नलिखित अभिप्राय होगा,—

(क) भारत में किसी अनिवासी द्वारा किसी माल, सेवाएं या संपत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति के साथ किया गया कोई संव्यवहार जिसके अंतर्गत भारत में डाटा या साफ्टवेयर को डाउनलोड करने की व्यवस्था भी है, यदि, ऐसे संव्यवहार या पूर्ववर्ष के दौरान संव्यवहारों से उत्पन्न कुल संदाय ऐसी रकम से अधिक हैं, जो विहित की जाए ; या

(ख) कारबार क्रियाकलापों का क्रमबद्ध और निरंतर निवेदन करना या भारत में उपयोगिताओं की ऐसी संख्या के साथ अन्योन्यक्रिया में लगना, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए।

यह उपबंध करने का और प्रस्ताव किया जाता है कि संव्यवहार या क्रियाकलाप भारत में "महत्वपूर्ण आर्थिक उपस्थिति" गठित करेंगे, चाहे,—

(i) ऐसे संव्यवहारों या क्रियाकलापों के लिए करार भारत में किया गया है, अथवा नहीं ; या

(ii) अनिवासी के पास भारत में कोई निवास-स्थान या कारबार का स्थान है अथवा नहीं ; या

(iii) अनिवासी भारत में सेवाएं प्रदान करता है अथवा नहीं।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि केवल ऐसी आय का उतना भाग जितना उक्त स्पष्टीकरण के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट संव्यवहारों या क्रियाकलापों से हुआ माना जा सकता है, भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुआ समझा जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-2023 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

एक नया स्पष्टीकरण 3क अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह घोषित किया जा सके कि भारत में की गई संक्रियाओं से हुई मानी जा सकने वाली आय, उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (i) में स्पष्टीकरण 1 में यथानिर्दिष्ट, निम्नलिखित आय सम्मिलित होगी,—

(i) ऐसे विज्ञापन से जिसका लक्ष्य ऐसा ग्राहक है जो भारत में निवास करता है या ऐसा ग्राहक है जिसकी भारत में अवस्थित इंटरनेट प्रोटोकॉल पते के माध्यम से विज्ञापन तक पहुंच है ;

(ii) ऐसे व्यक्ति से जो भारत में निवास करता है या जो भारत में अवस्थित इंटरनेट प्रोटोकॉल पते का उपयोग करता है, एकत्रित डाटा का विक्रय ; और

(iii) ऐसे व्यक्ति से जो भारत में निवास करता है या ऐसे व्यक्ति से जो भारत में अवस्थित इंटरनेट प्रोटोकॉल पते का उपयोग करता है, एकत्रित डाटा का उपयोग करते हुए माल और सेवाओं का विक्रय।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

स्पष्टीकरण 3क में एक नया परंतुक अंतःस्थापित किए जाने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त स्पष्टीकरण के उपबंध, उक्त स्पष्टीकरण 2क में निर्दिष्ट संव्यवहारों या क्रियाकलापों से हुई मानी जा सकने वाली आय को भी लागू होंगे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-2023 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त खंड का स्पष्टीकरण 5 यह उपबंध करता है कि ऐसी किसी आस्ति या पूंजी आस्ति के बारे में, जो भारत के बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी या अस्तित्व में किसी शेयर या हित के रूप में है, यह समझा जाएगा और सदैव से यह समझा जाएगा कि वह भारत में स्थित है, यदि उसे शेयर या हित का अपना मूल्य प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सारवान् रूप से भारत में अवस्थित आस्तियों से व्युत्पन्न होता है। उक्त स्पष्टीकरण का दूसरा परंतुक यह उपबंध करता है कि इसके उपबंध किसी ऐसी आस्ति या पूंजी आस्ति को लागू नहीं होगी जो किसी अनिवासी द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता) विनियम, 2014 के अधीन प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 2 के अधीन विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विनिधान के रूप में धारित की गई है।

उक्त परंतुक का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उसमें उपबंधित छूट सेबी (एफपीआई) विनियम, 2014 के निरसन से पूर्व ऐसे विनिधानों को लागू होती रहेगी।

उक्त स्पष्टीकरण में तीसरा परंतुक अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उसमें अंतर्विष्ट उपबंध भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता) विनियम, 2019 के अधीन प्रवर्ग 1 विदेशी पोर्टफोलियो विनिधानकर्ता में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विनिधान के रूप में अनिवासी द्वारा धारित आस्ति या किसी पूंजी आस्ति को लागू नहीं होंगे।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (vi) में स्वामिस्व के रूप में कतिपय आय को भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत आय समझा जाएगा। उक्त खंड के स्पष्टीकरण 2 के खंड (v) में "स्वामिस्व" पद को परिभाषित किया गया है, जिससे किसी प्रतिलिप्यधिकार, साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कृति के, जिसके अंतर्गत दूरदर्शन से संबंधित उपयोग के लिए फिल्म या वीडियो टैप अथवा रेडियो प्रसारण से संबंधित उपयोग के लिए टैप दी है, के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों का अंतरण (जिसके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना भी है) किंतु, जिसके अंतर्गत सिनेमा फिल्मों के विक्रय, वितरण या प्रदर्शन के लिए प्रतिफल नहीं है, अभिप्रेत है।

उक्त खंड के स्पष्टीकरण 2 के खंड (v) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सिनेमा फिल्मों के विक्रय, वितरण या प्रदर्शन के लिए प्रतिफल को स्वामित्व की परिभाषा से अपवर्जित किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 6** आय-कर अधिनियम की धारा 9क का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय क्रियाकलापों से भारत में कारबारी संपर्क गठित न होने से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (3) में किसी प्राप्त विनिधान निधि के होने के लिए पूरी की जाने वाली शर्तों के बारे में उपबंधित है।

उक्त उपधारा के खंड (ग) में यह उपबंधित है कि भारत के निवासी व्यक्तियों द्वारा निधि में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संकलित सहभागिता या विनिधान समग्र निधि के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

उक्त खंड (ग) को एक परंतुक अंतःस्थापित करके संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पच्चीस करोड़ रुपए से अनधिक किसी ऐसी रकम की, जो निधि के प्रचालन के पहले तीन वर्ष के दौरान प्राप्त निधि प्रबंधक द्वारा किया गया अभिदाय है, निधि में संकलित सहभागिता या विनिधान की संगणना के प्रयोजन के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा।

उक्त उपधारा के खंड (ञ) में यह उपबंधित है कि समग्र निधि का मासिक औसत एक अरब रुपए से कम नहीं होगा। उक्त खंड के पहले परंतुक में यह और उपबंधित है कि यदि निधि पूर्ववर्ष में स्थापित या निगमित की गई है तो समग्र निधि इसके स्थापित या निगमित किए जाने के मास के अंत से छह मास

की अवधि के अंत में या ऐसे पूर्ववर्ष के अंत में, जो भी पश्चात्वर्ती हो, एक अरब रुपए से कम की नहीं होगी।

उक्त उपधारा के उक्त खंड (ञ) के पहले परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि निधि पूर्ववर्ष में स्थापित या निगमित की गई है तो समग्र निधि से इसके स्थापित या निगमित किए जाने के मास के अंत से बारह मास की अवधि के भीतर समग्र एक अरब रुपए को बनाए रखने की शर्त पूरी करने की अपेक्षा होगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का **खंड 7** आय-कर अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है, जो आय, जो कुल आय के अंतर्गत नहीं आती है, से संबंधित है।

उक्त धारा के खंड (23ग) का पहला परंतुक यह उपबंध करता है कि उक्त खंड के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की आय के संबंध में, उस दशा में, जहां ऐसी आय सुसंगत उपबंधों के अनुसार कतिपय प्रयोजनों के लिए पूर्ववर्ष के दौरान उपयोजित या संचयित की जाती है, छूट के लिए विहित प्राधिकारी को विहित प्ररूप और रीति में आवेदन किया जाएगा।

उक्त परंतुक को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को तब तक छूट उपलब्ध नहीं होगी, जब तक कि वह निम्नलिखित समय के भीतर प्रधान आयुक्त या आयुक्त को विहित प्ररूप और रीति में अनुमोदन मंजूर करने के लिए आवेदन नहीं करती है, जहां ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को दूसरे परंतुक [जैसा वह वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा उसके संशोधन से पूर्व विद्यमान था] के अधीन अनुमोदन प्रदान किया जाता है, वहां उस तारीख से, जिसको यह खंड प्रभावी होता है, तीन मास के भीतर ; जहां ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को अनुमोदन प्रदान किया जाता है और उक्त अनुमोदन की अवधि का अवसान होने वाला है, वहां उक्त अवधि के अवसान से कम से कम छह मास पूर्व ; जहां ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को अनंतिम रूप से अनुमोदन प्रदान किया जाता है, वहां अनंतिम अनुमोदन के अवसान से कम से कम छह मास पूर्व या उसके क्रियाकलाप आरंभ करने के छह मास के भीतर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; किसी अन्य दशा में, उस निर्धारण वर्ष, से सुसंगत पूर्ववर्ष के प्रारंभ से कम से कम एक मास पूर्व जिसमें उक्त अनुमोदन की ईप्सा की गई है।

उक्त धारा का खंड (23ग) का दूसरा परंतुक विहित प्राधिकारी द्वारा उक्त खंड के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व उसके द्वारा जांच किए जाने के लिए उपबंध करता है।

दूसरे परंतुक को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त प्रस्तावित पहले परंतुक के अधीन किए गए आवेदन के प्राप्त होने पर, जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (i) के अधीन किया गया है, वहां पांच वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदन मंजूर करते हुए लिखित में आदेश पारित करेगा ; जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन किया गया है, स्वयं का निम्नलिखित के बारे में समाधान करने के लिए उससे ऐसे दस्तावेजों या जानकारी की मांग कर सकेगा या ऐसी जांच कर सकेगा, जिसे वह आवश्यक समझता है, ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था के क्रियाकलापों की वास्तविकता ; और उसके द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि की ऐसी अपेक्षाओं के अनुपालन के बारे में, जो उसके उद्देश्यों की पूर्ति के प्रयोजन के लिए सारवान् हैं ; और उपखंड (क) की मद (अ) के अधीन उसके उद्देश्यों और क्रियाकलापों की वास्तविकता के बारे में और मद (आ) के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन के बारे में स्वयं का समाधान करने के पश्चात्, पांच वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदन मंजूर करते हुए लिखित में आदेश पारित करेगा ; यदि उसका समाधान नहीं हो पाता है तो वह उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् आवेदन को नामंजूर करने और अपने अनुमोदन को करने के लिए लिखित में आदेश पारित करेगा; जहां उक्त परंतुक के खंड (iv) के अधीन कोई आवेदन किया गया है, अनंतिम रूप से उस निर्धारण वर्ष से, जिसमें रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा की गई, तीन वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदन मंजूर करते हुए लिखित में आदेश पारित करेगा, और ऐसे आदेश की प्रति ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को भेजेगा।

खंड (23ग) का आठवां परंतुक अन्य बातों के साथ, उस अवधि के लिए उपबंध करता है, जिसके लिए केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त खंड के उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन जारी की गई अधिसूचना प्रभावी होगी।

आठवें परंतुक को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रस्तावित दूसरे परंतुक के अधीन प्रदान किया गया कोई अनुमोदन ऐसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की आय के संबंध में लागू होगा, जहां आवेदन पहले परंतुक के खंड (i) के अधीन किया जाता है, वहां उस निर्धारण वर्ष से, जिसमें उसे पूर्व में अनुमोदन प्रदान किया गया था ; जहां आवेदन पहले परंतुक के खंड (iii) के अधीन किया जाता है, वहां उस निर्धारण वर्ष से, जिसके लिए उसे अनंतिम रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया था ; किसी अन्य दशा में, उस वित्तीय वर्ष से, तुरंत पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष से जिसमें ऐसा आवेदन किया जाता है।

उक्त खंड (23ग) का नौवां परंतुक अन्य बातों के साथ, उस अवधि के लिए उपबंध करता है, जिसके भीतर उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाएगी या उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन अनुमोदन प्रदान किया जाएगा या आवेदन को नामंजूर करते हुए इस निमित्त कोई आदेश पारित किया जाएगा।

नौवें परंतुक को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रस्तावित दूसरे परंतुक के खंड (i), खंड (ii) के उपखंड (ख) और खंड (iii) के अधीन कोई आदेश, क्रमशः छह मास, तीन मास और एक मास की अवधि के अवसान से पूर्व ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, पारित किया जाएगा, जिसकी संगणना उस मास के अंत से की जाएगी, जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ था।

ये संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होंगे।

उक्त खंड के दसवें परंतुक में यह उपबंध है कि जहां उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था की कुल आय, उक्त खंडों के उपबंधों को प्रभावी किए बिना, उस अधिकतम रकम से अधिक है, जो किसी पूर्ववर्ष में कर से प्रभार्य नहीं है, वहां ऐसा न्यास या संस्था या कोई विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या कोई अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था उस वर्ष की बाबत अपने लेखाओं की संपरीक्षा धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखापरीक्षक से कराएगी और सुसंगत निर्धारण वर्ष की आय की विवरणी के साथ ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट देगा।

उक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था को धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व (अर्थात् धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख से एक मास पूर्व) अपने लेखाओं की संपरीक्षा कराएगी

और उस तारीख तक संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त खंड (23ग) का सोलहवां परंतुक अन्य बातों के साथ उस अवधि के लिए उपबंध करता है, जिसके भीतर किसी निधि या न्यास या संस्था या किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सा संस्था द्वारा पहले परंतुक के अधीन छूट के लिए आवेदन किया जाना है।

उक्त परंतुक का लोप किए जाने का प्रस्ताव है।

विद्यमान अठारहवें परंतुक के पश्चात् एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विद्यमान पहले परंतुक के अधीन किए गए ऐसे सभी आवेदन, जो प्रधान आयुक्त या आयुक्त के समक्ष लंबित हैं और जिनके संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, को उस तारीख को पहले परंतुक के खंड (iv) के अधीन किए गए आवदेनों के रूप में समझा जाएगा।

ये संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होंगे।

उक्त धारा का खंड (23घ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी पारस्परिक निधि की आय या ऐसी अन्य पारस्परिक निधियों की आय को छूट प्रदान करता है। यह छूट वितरित आय पर कर से संबंधित विशेष उपबंधों से संबंधित अध्याय 12ङ के उपबंधों के अधीन है। उक्त खंड में उक्त अध्याय के प्रतिनिर्देश का लोप करने का प्रस्ताव है जिससे उस अध्याय के अधीन परस्पर निधियों से अतिरिक्त कर का संदाय करना अपेक्षित नहीं हो।

उक्त धारा का खंड (23चग) कारबार न्यास की कतिपय आय को छूट प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत धारा 115ण की उपधारा (7) में निर्दिष्ट लाभांश के माध्यम से आय भी है। उक्त खंड के अधीन किसी विशेष प्रयोजन यान से कारबार न्यास द्वारा प्राप्त या प्राप्य सभी लाभांश को छूट प्रदान करने के लिए उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

उक्त धारा का खंड (23चघ), कारबार न्यास द्वारा किसी यूनिट धारक को वितरित आय, जिसमें ब्याज और किराया संबंधी आय सम्मिलित नहीं है, को छूट प्रदान करता है। उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे किसी यूनिट धारक द्वारा किसी कारबार न्यास से प्राप्त लाभांश आय को ऐसी छूट से अपवर्जित किया जा सके।

उक्त धारा में एक नया खंड (23चङ) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे किसी निर्दिष्ट व्यक्ति की भारत में उसके द्वारा किए गए विनिधान, चाहे वह ऋण या साम्या के रूप में हो, से उद्‌भूत होने वाले लाभांश, हित या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों की प्रकृति की विनिर्दिष्ट व्यक्ति की किसी आय के संबंध में छूट का उपबंध किया जा सके, यदि विनिधान,—

(i) 31 मार्च, 2024 को या उससे पहले किया गया है ;

(ii) कम से कम तीन वर्ष की अवधि के लिए धारित किया गया है ; और

(iii) ऐसी कंपनी या उद्यम में किया गया है, जो धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (i) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी अवसंरचना सुविधा को विकसित करने या उसे प्रचालित करने तथा उसे बनाए रखने का कारबार, या उसे विकसित करने, या उसे प्रचालित करने या बनाए रखने का कारबार या ऐसा अन्य कारबार, जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए, चला रहा है।

इस खंड के प्रयोजनों के लिए "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" को परिभाषित करने के लिए उक्त खंड में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह अर्थ लगाया जा सके कि,—

(क) आबू धाबी विनिधान प्राधिकरण की पूर्णतः स्वामित्वाधीन समनुषंगी, जो—

(i) संयुक्त अरब अमीरात का निवासी है ; और

(ii) जो संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के स्वामित्वाधीन निधि में से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विनिधान करता है ;

(ख) ऐसी संप्रभु धन निधि, जो उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती है।

उक्त धारा के खंड (45) उक्त खंड का लोप किए जाने का भी प्रस्ताव है जिसमें यह उपबंध है कि संघ लोक सेवा आयोग के सेवारत/सेवानिवृत्त अध्यक्ष या सदस्यों को, संदत्त किए जाने वाले ऐसे भत्तों और परिलब्धियों, जिन्हें केंद्रीय सरकार अधिसूचित करे, को आय-कर से छूट प्राप्त होंगी।

उक्त धारा का खंड (34) धारा 115खखघक के उपबंधों के अनुसार कर से प्रभार्य लाभांश के रूप में किसी आय के सिवाय, धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों के रूप में आय को छूट प्रदान करता है। उक्त खंड को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त खंड के उपबंध 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् लाभांश के रूप में प्राप्त किसी आय को लागू नहीं होंगे।

उक्त धारा का खंड (35) पारस्परिक निधि की यूनिटों, विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक से यूनिटों और विनिर्दिष्ट कंपनी से यूनिटों के संबंध में प्राप्त आय को छूट प्रदान करता है। इस खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त खंड के उपबंध 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् यूनिटों के संबंध में प्राप्त किसी आय को लागू नहीं होंगे।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

उक्त धारा में एक नया खंड (48ग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे इस निमित्त केंद्रीय सरकार के निदेशों के अनुसरण में इसकी भंडारण प्रसुविधा में भंडारित कच्चे तेल की पुनःपूर्ति हेतु ठहराव के परिणामस्वरूप भारतीय रणनीतिक पेट्रोलियम निक्षेप लिमिटेड को प्रोद्‌भूत या उद्‌भूत होने वाली कोई आय, जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन तेल उद्योग विकास बोर्ड के पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी है, का उपबंध किया जा सके।

इस नए अंतःस्थापित खंड में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस खंड में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ठहराव को लागू नहीं होगी, यदि भंडारण प्रसुविधा में कच्चे तेल की पुनःपूर्ति उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से तीन वर्ष के भीतर, जिसमें कच्चा तेल पहली बार भंडारण प्रसुविधा से हटाया गया था, नहीं की जाती है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 8** आय-कर अधिनियम की धारा 10क का संशोधन करने के लिए है, जो मुक्त व्यापार क्षेत्र, आदि में स्थापित नए उपक्रमों की बाबत विशेष उपबंध से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसे लाभों और अभिलाभों की कटौती, जो किसी उपक्रम द्वारा उस पूर्ववर्ष से, जिसमें ऐसा उपक्रम, यथास्थिति, ऐसी वस्तुओं या चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर का विनिर्माण या उत्पादन आरंभ करता है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले दस क्रमवर्ती निधारण वर्षों की अवधि के लिए उन वस्तुओं, चीजों या कंप्यूटर साफ्टवेयर के निर्यात से व्युत्पन्न हो तो निर्धारिती की कुल आय में से अनुज्ञात की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (5) यह उपबंध करती है कि इस धारा के अधीन कटौती 1 अप्रैल, 2001 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक निर्धारिती द्वारा धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखाकार की रिपोर्ट, आय-कर विवरणी के साथ, यह प्रमाणित करते हुए विहित प्ररूप में प्रस्तुत नहीं कर दी जाती कि इस धारा के उपबंधों के अनुसार कटौती का दावा सही रूप से किया गया है।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के अधीन कटौती 1 अप्रैल, 2001 को या उसके

पश्चात् आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक निर्धारिती द्वारा धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखाकार की रिपोर्ट यह प्रमाणित करते हुए विहित प्ररूप में प्रस्तुत नहीं कर दी जाती कि इस धारा के उपबंधों के अनुसार कटौती का दावा सही रूप से किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 9** आय-कर अधिनियम की धारा 11 का संशोधन करने के लिए है जो पूर्त या धार्मिक प्रयोजनों के लिए धारित संपत्ति से आय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (7) यह उपबंध करती है कि जहां किसी न्यास या संस्था को धारा 12कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है या उस धारा 12क [जैसी वह वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 द्वारा उसके संशोधन के पूर्व विद्यमान थी] के अधीन किसी समय रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है और उक्त रजिस्ट्रीकरण किसी पूर्ववर्ष के लिए प्रवृत्त है, वहां धारा 10 [उसके खंड (1) और खंड (23ग) से भिन्न] में अंतर्विष्ट कोई बात न्यास के अधीन धारित संपत्ति से व्युत्पन्न किसी आय को उस पूर्ववर्ष के लिए उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति की कुल आय से अपवर्जित करने के लिए प्रवर्तित नहीं होगी।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे धारा 12कक की उपधारा (1) के खंड (ख) से "धारा 12कक और धारा 12कख" तक के प्रतिनिर्देश को प्रतिस्थापित किया जा सके।

उक्त उपधारा में एक परन्तुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे उपबंध किया जा सके कि उसमें निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण उस तारीख से जिसको, यथास्थिति, धारा 10 के खंड (23ग) के अधीन न्यास या संस्था अनुमोदित की जाती है या खंड (46) के अधीन अधिसूचित की जाती है या उस तारीख को जिसको यह परंतुक प्रवृत्त होता है, जो भी पश्चात्वर्ती हो, प्रवर्तित नहीं होगा।

उक्त उपधारा में एक दूसरा परंतुक अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा न्यास या संस्था, जिसका रजिस्ट्रीकरण प्रस्तावित प्रथम परंतुक के अधीन प्रवर्तित नहीं हुआ है, प्रस्तावित धारा 12कख के अधीन अपने रजिस्ट्रीकरण को प्रवर्तित कराने के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए आवेदन कर सकेगा कि ऐसा करने पर, यथास्थिति, ऐसे न्यास या संस्था को खंड (23ग) के अधीन अनुमोदन या धारा 10 के खंड (46) के अधीन अधिसूचना, उस तारीख से, जिसको उक्त रजिस्ट्रीकरण प्रवर्तित हुआ है, प्रभावहीन हो जाएगी और तत्पश्चात्, वह संबंधित खंड के अधीन छूट के लिए हकदार नहीं होगा।

ये संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का **खंड 10** आय-कर अधिनियम की धारा 12क का संशोधन करने के लिए है, जो धारा 11 और धारा 12 के लागू होने के लिए शर्तों से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) ऐसी शर्तों के लिए उपबंध करती है, जिन्हें किसी न्यास या संस्था द्वारा पूरा करना है जिनके अधीन रहते हुए उसको धारा 11 और धारा 12 के अधीन छूट उपलब्ध है।

उक्त उपधारा में एक नया खंड (कग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे, उक्त उपधारा के खंड (क), खंड (कक) और खंड (कख) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस शर्त के साथ उपबंध किया जा सके कि आय को प्राप्त करने वाले व्यक्ति ने न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए, प्रधान आयुक्त या आयुक्त को विहित प्ररूप और रीति में किए गए आवेदन पर ऐसे न्यास या संस्था प्रस्तावित धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई है, तो; जहां न्यास या संस्था को धारा 12क [जैसी कि वह वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1996 (1996 का 33) द्वारा उसके संशोधन से पूर्व विद्यमान थी] या धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाता है, वहां उस तारीख से, जिसको यह खंड प्रवृत्त होता है, तीन मास के भीतर ; जहां न्यास या संस्था को धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जाता है और उक्त रजिस्ट्रीकरण की अवधि का अवसान होने वाला है, वहां उक्त अवधि के अवसान से कम से कम छह मास पूर्व ; जहां न्यास या संस्था को अनंतिम रूप से धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है, वहां अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की अवधि के अवसान से कम से कम छह मास पूर्व या उसके क्रियाकलाप आरंभ करने के छह मास के भीतर, इनमें से जो भी पूर्वतर हो ; जहां किसी न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण धारा 11 की उपधारा (7) के परंतुक के कारण प्रवर्तन में नहीं रह गया है, वहां उस निर्धारण वर्ष, जिससे उक्त रजिस्ट्रीकरण को प्रवर्तन में लाने की ईप्सा की गई है, के प्रारंभ से कम से कम छह मास पूर्व ; जहां न्यास या संस्था ने अपने उद्देश्यों को इस प्रकार अंगीकार किया है या उनमें उपांतरण किए हैं, जो रजिस्ट्रीकरण की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं, वहां उक्त अंगीकरण या उपांतरण की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर ; किसी अन्य दशा में, उस निर्धारण वर्ष, जिससे उक्त रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा की गई है, से सुसंगत पूर्ववर्ष के प्रारंभ से कम से कम एक मास पूर्व।

ये संशोधन जून, 2020 से प्रभावी होगा।

उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) में परिणामिक के संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा न्यास या संस्था धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख (अर्थात् धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख से एक मास पहले), से पहले धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित लेखापाल द्वारा लेखाओं की संपरीक्षा कराए और उस तारीख तक, ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि यदि 1 जून, 2007 को या उसके पश्चात् कोई आवेदन किया गया है, तो ऐसे न्यास या संस्था की आय के संबंध में, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें आवेदन किया गया है, को ठीक पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्ष से धारा 11 और धारा 12 के उपबंध लागू होंगे।

उक्त उपधारा में पहला परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 11 और धारा 12 के उपबंध किसी न्यास या संस्था को उस समय लागू होंगे, जब उपधारा (1) के प्रस्तावित खंड (कग) के उपखंड (i), उस निर्धारण वर्ष से, जिससे ऐसे न्यास या संस्था को पूर्व में रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया था ; उपधारा (1) के प्रस्तावित खंड (कग) के उपखंड (iii), ऐसे निर्धारण वर्षों के प्रथम वर्ष से, जिसके लिए वह अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया था, के अधीन आवेदन किया गया है,

उसकी उपधारा (2) के विद्यमान पहले और तीसरे परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे प्रस्तावित नई धारा 12कख के प्रति निर्देश किया जा सके।

ये संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का **खंड 11** आय-कर अधिनियम की धारा 12कक का संशोधन करने के लिए है, जो रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया से संबंधित है।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (5) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा की कोई बात 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होगी।

यह संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 12** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 12कख अंतःस्थापित करने के लिए है, जो नए रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रक्रिया से संबंधित है।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त, धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के अधीन किए गए आवेदन की प्राप्ति पर, न्यास या संस्था को,जहां आवेदन, उक्त खंड के उपखंड (i) के अधीन पांच पूर्ववर्षों की अवधि के लिए न्यास या संस्था को रजिस्ट्रीकृत

करते हुए किया गया है ; जहां आवेदन उक्त खंड के उपखंड (ii), उपखंड (iii), उपखंड (iv) या उपखंड (v) के अधीन किया गया है,—

(i) वहां ऐसे न्यास या संस्था से ऐसे दस्तावेज या जानकारी मांगेगा, या स्वयं के समाधान हेतु ऐसी जांच करेगा जो वह आवश्यक समझे,—

(अ) न्यास या संस्था के क्रियाकलापों की वास्तविकता, और

(आ) न्यास या संस्था द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि की ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन, जो इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए सारवान हों, और

(ii) उपखंड (i) के मद (अ) के अधीन न्यास या संस्था के उद्देश्यों तथा उनके क्रियाकलापों की वास्तविकता, और मद (ख) के अधीन अपेक्षाओं के अनुपालन के बारे में स्वयं के समाधान के पश्चात्—

(अ) पूर्व पांच वर्षों की अवधि के लिए न्यास या संस्था को रजिस्ट्रीकृत करने वाले लिखित में पारित आदेश की प्रति भेजेगा ;

(आ) यदि उसका इस प्रकार समाधान नहीं होता है, तो सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात् ऐसे न्यास या संस्था का आवेदन नामंजूर करते हुए और उसके रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने वाले लिखित में पारित आदेश की प्रति भेजेगा ;

(इ) जहां उक्त खंड के उपखंड (vi) के अधीन आवेदन किया जाता है, उस निर्धारण वर्ष से जिससे रजिस्ट्रीकरण चाहा गया है, तीन, वर्ष की अवधि के लिए न्यास या संस्था को अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत करने वाले लिखित में पारित आदेश की प्रति भेजेगा।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त के समक्ष लंबित सभी आवेदन जिन पर धारा 12कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई आदेश उस तारीख के पूर्व पारित नहीं किया गया है, जिसको यह धारा प्रवृत्त हुई है, उस तारीख को यह आवेदन धारा 12क की उपधारा (1) के खंड (कग) के उपखंड (vi) के अधीन किया गया आवेदन समझा जाएगा।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (3) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) के खंड (क), खंड (ख) के उपखंड (ii) और खंड (ग) के अधीन आदेश, उस मास की समाप्ति से संगणित, जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ था, क्रमशः तीन मास, छह मास और एक मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए, पारित करेगा।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि जहां उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन किसी न्यास या संस्था को रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है और तत्पश्चात् प्रधान आयुक्त या आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे न्यास या संस्था के क्रियाकलाप, यथास्थिति वास्तविक नहीं है या न्यास या संस्था के उद्देश्यों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं, तो वह सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने के पश्चात्, ऐसे न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण रद्द करते हुए, लिखित में आदेश पारित करेगा।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (5) यह उपबंध करती है कि उपधारा (4) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन किसी न्यास या संस्था को रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है और तत्पश्चात्, यह देखने में आया है कि,—

(क) न्यास या संस्था के क्रियाकलाप ऐसे रीति में किए जा रहे हैं कि धारा 13 की उपधारा (1) के प्रवर्तन के कारण ऐसे न्यास या संस्था की संपूर्ण आय या उसके किसी भाग को अपवर्जित करते हुए धारा 11 और धारा 12 के उपबंध लागू नहीं होते हैं ; या

(ख) न्यास या संस्था ने उपधारा (1) के खंड (ख) के उपखंड (i) की मद (आ) में यथानिर्दिष्ट, किसी अन्य विधि की अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया है और आदेश, निदेश या डिक्री चाहे किसी भी नाम से ज्ञात अवधारित करते हुए में यह कि ऐसा अननुपालन हुआ है, या तो विवादग्रस्त नहीं रहा है या अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है, तो, प्रधान आयुक्त या आयुक्त सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने के पश्चात् लिखित में आदेश द्वारा, ऐसे न्यास या संस्था का रजिस्ट्रीकरण रद्द कर सकेगा।

यह संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 13** "वेतन", "परिलब्धि" और "वेतन के बदले में लाभ" की परिभाषा से संबंधित धारा 17 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा के खंड (2) के उपखंड (vii) में यह उपबंध है कि किसी निर्धारिती की बाबत नियोजक द्वारा किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में जमा की गई अभिदाय की किसी रकम को उस सीमा तक परिलब्धि के रूप में माना जाएगा, जहां तक वह एक लाख पचास हजार रुपए से अधिक है।

उक्त धारा के खंड (2) के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उक्त खंड के उपखंड (vii) को प्रतिस्थापित करने के लिए यह उपबंध किया जा सके कि नियोजक द्वारा किसी निर्धारिती के संबंध में किसी मान्यताप्राप्त भविष्य निधि ; धारा 80गगघ की उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी स्कीम ; और किसी अनुमोदित अधिवर्षिता निधि में किए गए अभिदाय की किसी रकम या रकमों के कुल योग को उस सीमा तक परिलब्धि माना जाएगा जहां तक वह किसी पूर्ववर्ष में सात लाख पचास हजार रुपए से अधिक है।

उक्त खंड (2) में एक नया उपखंड (viiक) अंतःस्थापित करने का यह और प्रस्ताव जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपखंड (vii) में निर्दिष्ट निधि या स्कीम के अतिशेष में पूर्ववर्ष के दौरान ब्याज, लाभांश या समान प्रकृति की किसी अन्य रकम को जमा करके हुई वार्षिक अनुवृद्धि को भी उस सीमा तक परिलब्धि समझा जाएगा, जहां तक वह उक्त नए उपखंड (vii) में निर्दिष्ट ऐसे अभिदाय से संबद्ध है, जिसे कुल आय में सम्मिलित किया गया है और उसे विहित रीति में संगणित किया जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का **खंड 14** आय-कर अधिनियम की धारा 32कख का संशोधन करने के लिए है, विनिधान निक्षेप लेखा से संबंधित है।

उक्त धारा 5 की उपधारा (5) यह उपबंध करती है कि उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कटौती, निर्धारिती को तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक उस निर्धारण वर्ष जिस के लिए कटौती का दावा किया जाता है, उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए उस निर्धारिती के कारबार या वृत्ति के लेखाओं की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में परिभाषित किसी लेखापाल द्वारा संपरीक्षा नहीं की गई है और निर्धारिती अपनी आय की विवरणी के साथ, ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट नहीं देता है।

उपधारा (5) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 32कख की उपधारा (1) के अधीन कटौती निर्धारिती को तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक उस निर्धारण वर्ष जिस के लिए कटौती का दावा किया जाता है उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए उस निर्धारिती के कारबार या वृत्ति के लेखाओं की धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व (अर्थात् धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख से एक मास पूर्व) धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखापाल द्वारा संपरीक्षा नहीं की जाती है और ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट उस तारीख तक प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 15** आय-कर अधिनियम की धारा 33कख का संशोधन करने के लिए है, जो चाय विकास खाते, कॉफी विकास खाते और रबड़ विकास खाते से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) भारत में चाय या कॉफी या रबड़ उगाने और

विनिर्मित करने का कारबार कर रहे किसी निर्धारिती की कटौती के लिए उपबंध करता है, जो पूर्ववर्ष की समाप्ति से छह मास के अवसान के पूर्व या अपनी आय की विवरणी देने की नियत तारीख के पूर्व, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से चाय बोर्ड या कॉफी बोर्ड या रबड़ बोर्ड द्वारा अनुमोदित या बनाई गई किसी स्कीम के अधीन निर्धारिती द्वारा रखे गए किसी खाते में कोई रकम जमा की है।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक कि उस निर्धारण वर्ष जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है उससे सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए उस निर्धारिती के कारबार या व्यवसाय के लेखाओं की, धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में वहां परिभाषित किसी लेखापाल द्वारा संपरीक्षा नहीं की गई है और निर्धारिती, अपनी आय की विवरणी के साथ, ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक्‌तः हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट नहीं देता है।

उक्त उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 33कख की उपधारा (1) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक कि उस निर्धारण वर्ष जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है उससे सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए उस निर्धारिती के कारबार या व्यवसाय के लेखाओं की धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व (अर्थात् धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख से एक मास पूर्व) धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखापाल द्वारा संपरीक्षा नहीं की गई है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 16** आय-कर अधिनियम की धारा 33कखक का संशोधन करने के लिए है, जो स्थल पुनःस्थापन निधि से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि जहां किसी ऐसे निर्धारिती ने, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए निर्धारिती द्वारा बनाए रखे गए विशेष खाते में कोई रकम जमा की है या वह, निर्धारिती द्वारा पैट्रोलियम या प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा विरचित स्कीम के अनुसार या उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए खोले गए स्थल पुनःस्थापन खाते में कोई रकम जमा करता है, वहां निर्धारिती को, उक्त धारा के अधीन कोई कटौती करने से पूर्व, निर्धारिती द्वारा इस प्रकार जमा की गई कुल रकम या "कारबार और वृत्ति से लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन संगणित ऐसे लाभों के बीस प्रतिशत, इनमें से जो भी कम हो, की कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि धारा क ख क की उपधारा (1) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक कि उस निर्धारण वर्ष जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है, उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए, उस निर्धारिती के कारबार या वृत्ति के लेखाओं की, धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में परिभाषित किसी लेखाकार द्वारा संपरीक्षा नहीं की गई है और निर्धारिती, अपनी आय की विवरणी के साथ, ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट नहीं देता है।

उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक कि उस निर्धारण वर्ष जिस के लिए कटौती का दावा किया गया है, उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए, उस निर्धारिती के कारबार के लेखाओं की धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व, धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे दिए गए स्पष्टीकरण में परिभाषित किसी लेखाकार द्वारा संपरीक्षा नहीं की गई है और निर्धारिती, उस तारीख तक (अर्थात्, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख से एक मास पूर्व) ऐसे लेखाकार द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट नहीं देता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 17** आय-कर अधिनियम की धारा 35 का संशोधन करने के लिए है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्ययों, प्रगणित करती है जिनके संबंध में कटौतियां अनुज्ञात की जाएंगी। उक्त उपधारा का खंड (ii) यह उपबंध करता है कि किसी ऐसे अनुसंधान संगम को, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान करना है या किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय या अन्य संस्था को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए संदत्त की गई किसी राशि की कटौती करना है, उक्त उपधारा का खंड (iiक) यह उपबंध करता है कि किसी कंपनी को उसके द्वारा किसी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयुक्त किए जाने हेतु संदत्त किसी राशि और उक्त उपधारा का खंड (iii) के नीचे स्पष्टीकरण उपबंध करता है कि किसी अनुसंधान संगम, जिसका उद्देश्य समाज विज्ञान के अनुसंधान या सांख्यिकी अनुसंधान करना है, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था, जो समाज विज्ञान के अनुसंधान या सांख्यिकी अनुसंधान के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए संदत्त किसी राशि के लिए कटौती, उक्त खंड का स्पष्टीकरण यह उपबंध करता है कि निर्धारिती, वैज्ञानिक अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या ऐसी संस्था को, जिसे खंड (ii) या खंड (iii) लागू होता है, संदत्त किसी धनराशि की कटौती का, मात्र इस आधार पर इंकार नहीं किया जाएगा कि निर्धारिती द्वारा ऐसी राशि के संदाय के पश्चात् खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को अनुदत्त अनुमोदन वापस ले लिया गया है।

उक्त स्पष्टीकरण का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि खंड (ii) में निर्दिष्ट कंपनी को संदत्त किसी राशि के संबंध में निर्धारिती को कटौती से इंकार नहीं किया जाएगा, जो ऐसी राशि के सदांय के पश्चात् केवल इस आधार पर हकदार है कि कंपनी को अनुदत्त अनुमोदन वापस ले लिया गया है।

उक्त उपधारा (1) में एक नया पांचवां परंतुक अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था के संबंध में खंड (ii) या खंड (iii) अथवा खंड (iiक) के अधीन कंपनी के संबंध में उस तारीख, जिसको यह परन्तुक प्रवृत्त हुई है, को या उसके पूर्व जारी प्रत्येक अधिसूचना वापस ली गई समझी जाएगी, यदि खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट ऐसा अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था अथवा खंड (iiक) में निर्दिष्ट कंपनी उस तारीख से, जिसको यह परंतुक प्रवृत्त हुआ है, तीन मास के भीतर विहित प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप और रीति में सूचित नहीं करता है तथा ऐसी सूचना के अधीन रहते हुए अधिसूचना 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से आरंभ होने वाले पांच क्रमवर्ती वर्षों की अवधि के लिए वैध होगी :

उक्त उपधारा (1) में एक नया छठा परंतुक अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि खंड (ii) या खंड (iiक) या खंड (iii) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कोई अधिसूचना उस तारीख के पश्चात्, जिसको वित्त विधेयक, 2020 राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करता है, किसी भी एक समय में पांच निर्धारण वर्षों से अनधिक ऐसे निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए प्रभावी होगा, जो अधिसूचना में विहित किया जाए।

उक्त उपधारा (1) के पश्चात् उक्त धारा में एक नई उपधारा (1क) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था अथवा खंड (iiक) में निर्दिष्ट कंपनी, उक्त उपधारा के संबंधित खंड के अधीन कटौती का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक ऐसा अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था अथवा कंपनी,—

(क) ऐसे विवरण, ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, तैयार नहीं करती है और विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत

व्यक्ति को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में सत्यापित तथा ऐसी विशिष्टियां उपवर्णित करते हुए और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, उनका परिदान नहीं करता है या करवाता है, और वह इस धारा के अधीन किसी भूल का सुधार करने या उसमें जोड़ने के लिए या हटाने के लिए कोई संशोधन विवरण ऐसे प्ररूप में फाइल कर सकेगा या परिदत्त की गई विवरणी में दी गई जानकारी को अद्यतन कर सकेगा और ऐसी रीति में सत्यापित कर सकेगा, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए,

(ख) ऐसी रीति में, ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए तथा राशि की प्राप्ति की तारीख से ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाएगा, दाता को एक प्रमाणपत्र नहीं भेजता है।

ये संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का **खंड 18** आय-कर अधिनियम की धारा 35कघ का संशोधन करने के लिए है, जो विनिर्दिष्ट कारबार पर व्यय की बाबत कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1), अन्य बातों के साथ, उस पूर्ववर्ष, जिसमें ऐसा व्यय उपगत किया गया है, के दौरान किसी विनिर्दिष्ट कारबार पर उपगत पूंजी व्यय की सौ प्रतिशत कटौती के लिए उपबंध करती है।

उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह अभिव्यक्त किया जा सके कि निर्धारिती द्वारा उस पूर्ववर्ष, जिसमें ऐसा पूंजी व्यय उपगत किया गया है, के दौरान विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में उपगत पूंजी व्यय के संबंध में ऐसी कटौती का लाभ लेने के विकल्प का प्रयोग कर सकेगा।

उक्त धारा की उपधारा (4), अन्य बातों के साथ, उपबंध करती है कि व्यय, जिस पर उपधारा (1) के अधीन कटौती अनुज्ञात की गई है, पर किसी पूर्व वर्ष में किसी अन्य धारा के अधीन या किसी अन्य पूर्ववर्ष में इस धारा के अधीन कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

उक्त उपधारा (4) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यदि निर्धारिती द्वारा कटौती का दावा किया गया है और इस धारा के अधीन उसे अनुज्ञात किया गया है, तो निर्धारिती को किसी पूर्ववर्ष में किसी अन्य धारा के अधीन या किसी अन्य पूर्ववर्ष में इस धारा के अधीन उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट व्यय की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का **खंड 19** आय-कर अधिनियम की धारा 35घ का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय प्रारंभिक व्ययों पर अपाकरण से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि जहां कोई निर्धारिती, जो कोई भारतीय कंपनी या कंपनी से भिन्न कोई व्यक्ति है और जो भारत में निवासी है, वहां उसे उसके कारबार या उपक्रम के विस्तारण के संबंध में या किसी विद्यमान कारबार की नई यूनिट की स्थापना के संबंध में उसके कारबार के प्रारंभ से पूर्व उपगत कतिपय विनिर्दिष्ट व्यय के संबंध में, उस पूर्ववर्ष से, जिसमें यथास्थिति, कारबार आरंभ होता है या उपक्रम का ऐसा विस्तारण या नई यूनिट की स्थापना की जाती है, आरंभ करते हुए, दस उत्तरवर्ती पूर्ववर्षों की अवधि के दौरान कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (2) ऐसे कतिपय व्ययों को विनिर्दिष्ट करती है, जो उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कटौती के लिए अनुज्ञात हैं।

उक्त धारा की उपधारा (4) यह उपबंध करती है कि जहां निर्धारिती कंपनी या सहकारी सोसाइटी से भिन्न व्यक्ति है, वहां उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञेय न होगी जब तक कि निर्धारिती के उस वर्ष या उन वर्षों के, जिसमें या जिनमें उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यय उपगत किया गया है, लेखे धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित नहीं कर दिए गए हैं और निर्धारिती उस प्रथम वर्ष की, जिसमें इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया गया है, आय की विवरणी के साथ ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट जो ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित है और जिसमें ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, उपवर्णित हैं प्रस्तुत नहीं करता है।

उक्त धारा की उपधारा (4) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां निर्धारिती को उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञेय न होगी जब तक कि निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है निर्धारिती के कारबार या वृत्ति से संबंधित, जिसमें या जिनमें उपधारा (2) में लेखे धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित नहीं कर दिए गए हैं और निर्धारिती धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व (अर्थात्, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने की अंतिम तारीख से एक मास पूर्व) उस प्रथम वर्ष की, जिसमें इस धारा के, ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में ऐसे लेखापाल द्वारा संपरीक्षित रिपोर्ट उस तारीख तक जो विहित की जाए प्रस्तुत नहीं करता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 20** आय-कर अधिनियम की धारा 35ङ का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय खनिजों के लिए पूर्वेक्षण आदि पर व्यय के लिए कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि जहां कोई निर्धारिती जो भारतीय कंपनी है या कंपनी से भिन्न कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत में निवास करता है, और खनिज के लिए, पूर्वेक्षण से संबंधित संक्रियाओं में या उस खनिज को निकालने या उसके उत्पादन से संबंधित संक्रियाओं में लगा हुआ है, और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट कोई व्यय 1970 के मार्च के इकतीसवें दिन के पश्चात् उपगत करता है, वहां उस निर्धारिती को सुसंगत पूर्ववर्षों में से हर एक के लिए ऐसे व्यय की रकम के दशमांश के बराबर रकम की कटौती इस धारा के उपबंधों के अनुसार और अधीन रहते हुए अनुज्ञात की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (6) यह उपबंध करती है कि जहां निर्धारिती, कंपनी या सहकारी सोसाइटी से भिन्न व्यक्ति है, वहां उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञेय न होगी जब तक कि निर्धारिती के उस वर्ष या उन वर्षों के, जिसमें या जिनमें उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यय उपगत हुआ है, लेखे धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित नहीं कर दिए हैं और निर्धारिती उस प्रथम वर्ष की, जिसमें इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया गया है, आय की विवरणी के साथ ऐसी संपरीक्षा की विहित प्ररूप में रिपोर्ट जो ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित है और जिसमें ऐसी विशिष्टियां जो विहित की जाएं उपवर्णित हैं, प्रस्तुत नहीं करता है।

उक्त धारा की उपधारा (6) को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 35ङ की उपधारा (1) के अधीन की गई कटौती निर्धारिती को तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक निर्धारिती के उस वर्ष या वर्षों के लिए लेखों, जिनमें उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट व्यय उपगत हुआ है की धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखापाल द्वारा धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व लेखापरीक्षा नहीं कर ली जाती है (अर्थात् धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने की सम्यक् तारीख से एक मास पूर्व) और ऐसी लेखापरीक्षा की उस तारीख तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर दी जाती है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 21** आय-कर अधिनियम की धारा 43 का संशोधन करने के लिए है जो कारबार और वृत्ति के लाभों और अभिलाभों से होने वाली आय से सुसंगत कतिपय पदों की परिभाषा से संबंधित है।

उक्त धारा के खंड (5) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "मान्यताप्राप्त संगम" शब्दों, जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर, "मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" शब्द रखे जा सकें "मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" पद की परिभाषा

से संबंधित स्पष्टीकरण 2 के खंड (iii) को प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 22** कतिपय मामलों में पूंजी आस्तियों से भिन्न आस्तियों के अंतरण के लिए प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के लिए विशेष उपबंध से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 43गक का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का परंतुक यह उपबंध करता है कि जहां स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य, अंतरण के परिणामस्वरूप इस प्रकार प्राप्त या प्रोद्‌भूत प्रतिफल के एक सौ पांच प्रतिशत से अधिक नहीं है, वहां ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप इस प्रकार प्राप्त या प्रोद्‌भूत प्रतिफल, ऐसी आस्ति के अंतरण से लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा।

उक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य, अंतरण के परिणामस्वरूप इस प्रकार प्राप्त या प्रोद्‌भूत प्रतिफल के एक सौ दस प्रतिशत से अधिक नहीं है, वहां ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप इस प्रकार प्राप्त या प्रोद्‌भूत प्रतिफल, ऐसी आस्ति के अंतरण से लाभों और अभिलाभों की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 23** आय-कर अधिनियम की धारा 44कख का संशोधन करने के लिए है, जो वृत्ति या कारबार चलाने वाले कतिपय व्यक्तियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा से संबंधित है।

उक्त धारा का खंड (क) यह उपबंध करता है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो कारबार करता है, यदि ऐसे कारबार में उसके, यथास्थिति, कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां किसी पूर्ववर्ष में एक करोड़ रुपए से अधिक है तो वह अपने उस पूर्ववर्ष के लेखाओं को विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व किसी लेखापाल से लेखापरीक्षा कराएगा और उस तारीख तक ऐसी लेखापरीक्षा की विहित प्ररूप में ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और सत्यापित रिपोर्ट देगा, जिसमें ऐसी विशिष्टियां दी गई हों, जो विहित की जाएं।

उक्त खंड में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी व्यक्ति की दशा में, जिसको नकद में प्राप्त सभी रकमों का योग, जिसके अंतर्गत पूर्ववर्षों के दौरान विक्रय के लिए प्राप्त रकम, आवर्त या सकल प्राप्तियां, उक्त रकम के पांच प्रतिशत से अनधिक है ; और किए गए सभी संदायों का योग, जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ष के दौरान नकद में उपगत व्यय की रकम, उक्त संदाय के पांच प्रतिशत से अनधिक है, यह खंड ऐसे प्रभावी होगा, मानो, ''एक करोड़ रुपए'' शब्दों के स्थान पर,''पांच करोड़ रुपए'' शब्द रख दिए गए थे।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण का खंड (ii) किसी निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के निर्धारिती के लेखाओं के संबंध में ''विनिर्दिष्ट तारीख'' को परिभाषित करता है, जिससे धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख अभिप्रेत है।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विनिर्दिष्ट तारीख से धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख से एक मास पूर्व अभिप्रेत होगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का **खंड 24** आय-कर अधिनियम की धारा 44घक का संशोधन करने के लिए है, जो अनिवासियों की दशा में स्वामिस्व, आदि के रूप में आय की संगणना करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि प्रत्येक अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी, धारा 44कक के उपबंधों के अनुसार लेखा बही तथा अन्य दस्तावेज रखेगा और उन्हें बनाए रखेगा और धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित किसी लेखाकार द्वारा अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा कराएगा और आय की विवरणी के साथ ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट विहित प्ररूप में देगा।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी, धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व (अर्थात् धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख से एक मास पूर्व) लेखाओं की संपरीक्षा कराएगा और उस तारीख तक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 25** आय-कर अधिनियम की धारा 49 का संशोधन करने के लिए है, जो अर्जन के कतिपय ढंगों के प्रतिनिर्देश से लागत से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ ऐसी पूंजी आस्ति के अर्जन की लागत के लिए उपबंध करती है, जो कतिपय परिस्थितियों में निर्धारिती की संपत्ति बन गई थी।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध करने के लिए उपधारा (2कछ) और उपधारा (2कज) अंतःस्थापित की जा सके कि किसी पृथक्कृत पोर्टफोलियो में किसी यूनिट या यूनिटों के अर्जन की लागत वह रकम होगी, जो निर्धारिती द्वारा उसके सकल पोर्टफोलियो में धारित किसी यूनिट या यूनिटों के अर्जन की लागत के समान अनुपात में है, जैसा कि पोर्टफोलियो के पृथक्करण से तुरंत पूर्व पृथक्कृत पोर्टफोलियो को अंतरित आस्ति के शुद्ध आस्ति मूल्य का अनुपात सकल पोर्टफोलियो के शुद्ध आस्ति मूल्य के साथ है ; तथा यह और प्रस्तावित है कि मुख्य पोर्टफोलियो में यूनिट धारक द्वारा धारित मूल यूनिटों के अर्जन की लागत को पृथक्कृत पोर्टफोलियो की यूनिटों से इस प्रकार प्राप्त रकम द्वारा घटा दिया जाएगा।

उक्त उपधाराओं के प्रयोजनों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय अधिनियम, 1992 की धारा 11 के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा इस निमित्त जारी परिपत्र में यथाउपबंधित ''मुख्य पोर्टफोलियो'', ''पृथक्कृत पोर्टफोलियो'' और ''सकल पोर्टफोलियो'' पदों की परिभाषाओं के प्रतिनिर्देश करने का भी प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 26** आय-कर अधिनियम की धारा 50ख का संशोधन करने के लिए है, जो मंदी विक्रय की दशा में पूंजी अभिलाभों की संगणना के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि पूर्ववर्ष में किए गए मंदी विक्रय से उद्‌भूत कोई लाभ या अभिलाभ, दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्‌भूत पूंजी अभिलाभ के रूप में आय-कर से प्रभार्य होगा और उस पूर्ववर्ष की, जिसमें अंतरण हुआ है, आय समझा जाएगा।

उक्त धारा की उपधारा (3) में यह उपबंध है कि प्रत्येक निर्धारिती, मंदी विक्रय की दशा में, आय की विवरणी के साथ, विहित प्ररूप में धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किसी लेखाकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें, यथास्थिति, उपक्रम या प्रभाग के शुद्ध मूल्य की संगणना उपदर्शित की जाएगी और यह प्रमाणित किया जाएगा कि, यथास्थिति, उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य इस धारा के उपबंधों के अनुसार सही रूप से निकाला गया है।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रत्येक निर्धारिती, मंदी विक्रय की दशा में, आय की विवरणी के साथ, विहित प्ररूप में धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व (अर्थात् धारा

139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख से एक मास पूर्व) धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित किसी लेखाकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें, यथास्थिति, उपक्रम या प्रभाग के शुद्ध मूल्य की संगणना उपदर्शित की जाएगी और यह प्रमाणित किया जाएगा कि, यथास्थिति, उपक्रम या प्रभाग का शुद्ध मूल्य इस धारा के उपबंधों के अनुसार सही रूप से निकाला गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 27** कतिपय दशाओं में प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के विशेष उपबंध से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 50ग का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का तीसरा परंतुक उपबंध करता है कि जहां स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य किसी अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भावी प्रतिफल के एक सौ पांच प्रतिशत से अनधिक है, वहां अंतरण के परिणामस्वरूप इस प्रकार प्राप्त या प्रोद्भावी प्रतिफल, धारा 48 के प्रयोजनों के लिए प्रतिफल का पूरा मूल्य समझा जाएगा।

उक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां स्टांप मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य किसी अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या प्रोद्भावी प्रतिफल के एक सौ दस प्रतिशत से अनधिक है, वहां अंतरण के परिणामस्वरूप इस प्रकार प्राप्त या प्रोदभावी प्रतिफल, धारा 48 के प्रयोजनों के लिए प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 28** आय-कर अधिनियम की धारा 55 का संशोधन करने के लिए है, जो ''समायोजित'', सुधार की लागत'' और "अर्जन की लागत के अर्थ" से संबंधित है।

उक्त धारा में अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध है कि 1 अप्रैल, 2001 से पहले अर्जित दीर्घकालीन पूंजी आस्ति की लागत को निर्धारिती के विकल्प पर, उस तारीख को निर्धारिती के अर्जन की लागत या आस्ति का उचित बाजार मूल्य होने के रूप में लिया जाता है।

उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (ख) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपखंड (i) और उपखंड (ii) में निर्दिष्ट किसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो भूमि या भवन या दोनों हैं 1 अप्रैल, 2001 को ऐसी आस्ति का उचित बाजार मूल्य उक्त उपखंडों के प्रयोजनों के लिए 1 अप्रैल 2001 को ऐसी आस्ति के स्टांप शुल्क मूल्य से वहां अधिक नहीं होगा जहां कहीं ऐसा स्टांप शुल्क मूल्य उपलब्ध है। यह और प्रस्ताव है कि उक्त परंतुक के प्रयोजनों के लिए "स्टाम्प शुल्क मूल्य" को परिभाषित किया जाए, जिससे किसी स्थावर संपत्ति के संबंध में स्टांप शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य अभिप्रेत है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 29** आय-कर अधिनियम की धारा 56 का संशोधन करने के लिए है, जो अन्य स्रोतों से आय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) में ऐसी आय के ब्यौरों का उपबंध है, जो "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य होगी।

उक्त उपधारा के खंड (v) में यह उपबंध है कि जहां पच्चीस हजार रुपए से अधिक धनराशि किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब द्वारा 1 सितंबर, 2004 या उसके पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 2006 से पूर्व किसी व्यक्ति से बिना प्रतिफल के प्राप्त की जाती है, ऐसी समस्त धनराशि आय-कर से प्रभार्य होगी। खंड (vii) के पहले परंतुक के खंड (छ) में यह उपबंध है कि उक्त उपधारा का खंड धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था से प्राप्त किसी धनराशि को लागू नहीं होगा।

उपधारा (2) के खंड (v), खंड (vi), खंड (vii) और खंड (x) में धारा 12कख का निर्देश करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त खंड आय-कर अधिनियम की धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था से प्राप्त किसी धनराशि को भी लागू नहीं होंगे।

ये संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होंगे।

उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (x) के उपखंड (ख) में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंधित है कि जहां कोई व्यक्ति पूर्व वर्ष में 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से प्रतिफल के लिए कोई स्थावर संपत्ति प्राप्त करता है और जहां ऐसी संपत्ति का स्टॉम्प शुल्क मूल्य प्रतिफल के पांच प्रतिशत से अधिक है, वहां आधिक्य, यदि यह पचास हजार रुपए से अधिक है, अन्य स्रोतों से आय शीर्ष के अधीन कर से प्रभारित होगा।

उक्त उपखंड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई व्यक्ति पूर्व वर्ष में 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् किसी व्यक्ति या व्यक्तियों से प्रतिफल के लिए कोई स्थावर संपत्ति प्राप्त करता है और जहां ऐसी संपत्ति का स्टॉम्प शुल्क मूल्य प्रतिफल के दस प्रतिशत से अधिक है, वहां आधिक्य, यदि यह पचास हजार रुपए से अधिक है, अन्य स्रोतों से आय शीर्ष के अधीन कर से प्रभारित होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 30** आय से कटौतियों से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 57 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा का खंड (i) धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश के सिवाय ऐसे लाभांशों को वसूल करने के प्रयोजन के लिए किसी युक्तियुक्त राशि की कटौती अनुज्ञात करता है। धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश के प्रतिनिर्देश को हटाने का प्रस्ताव है।

उक्त धारा में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी पूर्ववर्ती वर्ष में ब्याज व्यय के मद्दे कटौती से भिन्न लाभांश आय या धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि की यूनिटों के संबंध में आय, या धारा 10 के खंड (35) के स्पष्टीकरण में परिभाषित किसी विनिर्दिष्ट कंपनी की यूनिटों के संबंध में आय पर कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी और इस धारा के अधीन ऐसी कटौती उस वर्ष की कुल आय में सम्मिलित लाभांश आय, या ऐसी यूनिटों के संबंध में आय की बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 31** आय-कर अधिनियम की धारा 72कक को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो कुछ दशाओं में समामेलन की स्कीम में संचयित हानि और शेष अवक्षयण मोक के अग्रनीत किए जाने और मुजरा से संबंधित है।

उक्त धारा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 2 के खंड (1ख) के उपखंड (i) से उपखंड (iii) या धारा 72क में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(i) केंद्रीय सरकार द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 की उपधारा (7) के अधीन मंजूर की गई और प्रवर्तन में लाई गई किसी स्कीम के अधीन किसी एक या अधिक बैंककारी कंपनी का किसी अन्य बैंककारी संस्था के साथ समामेलन हुआ है ; या

(ii) केंद्रीय सरकार द्वारा, यथास्थिति, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 या बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 या दोनों के अधीन मंजूर की गई और प्रवर्तन में लाई गई किसी स्कीम के अधीन एक

या अधिक तत्स्थानी नए बैंक या बैंकों का किसी अन्य तत्स्थानी नए बैंक के साथ समामेलन हुआ है ; या

(iii) केंद्रीय सरकार द्वारा साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 16 के अधीन मंजूर की गई और प्रवर्तन में लाई गई किसी स्कीम के अधीन एक या अधिक सरकारी कंपनी या कंपनियों का किसी अन्य सरकारी कंपनी के साथ समामेलन हुआ है,

तब ऐसी बैंककारी कंपनी या कंपनियों या समामेलित तत्स्थानी नया बैंक या नए बैंकों या समामेलित सरकारी कंपनी या कंपनियों की संचयित हानि और शेष अवक्षयण को, उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसमें समामेलन की स्कीम को प्रवृत्त किया गया था, यथास्थिति, ऐसी बैंककारी संस्था या समामेलित तत्स्थानी नए बैंक या समामेलित सरकारी कंपनी का मोक या अवक्षयण समझा जाएगा और हानि तथा अवक्षयण के लिए मोक को अग्रनीत किए जाने और मुजरा के संबंध में अधिनियम के अन्य उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

उक्त धारा में, एक स्पष्टीकरण का उपबंध करने का और प्रस्ताव है जिससे "संचयित हानि", "बैंककारी कंपनी", "बैंककारी संस्था", "तत्स्थानी नया बैंक", "साधारण बीमा कारबार", "सरकारी कंपनी" और "शेष अवक्षयण" पदों को परिभाषित किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 32** आय-कर अधिनियम की धारा 80ङङक का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय गृह संपत्ति के लिए उधार पर ब्याज की बाबत कटौती से संबंधित है।

अन्य बातों के साथ, पूर्वोक्त धारा 80ङङक किसी आवासीय गृह संपत्ति के लिए किसी भी वित्तीय संस्था से लिए गए उधार पर ब्याज की बाबत एक लाख पचास हजार तक की कटौती के लिए उपबंध करती है, जो इस शर्त के अध्यधीन है कि उधार को 1 अप्रैल, 2019 को आरंभ होने वाली और 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान वित्तीय संस्था द्वारा मंजूर किया गया है। यह इस और शर्त के अध्यधीन है कि आवासीय गृह संपत्ति का स्टॉम्प शुल्क मूल्य पैंतालीस लाख रुपए से अधिक नहीं है और निर्धारिती के स्वामित्व में उधार की मंजूरी की तारीख को कोई आवासीय गृह संपत्ति नहीं है।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी आवासीय गृह संपत्ति के अर्जन के लिए किसी वित्तीय संस्था द्वारा मंजूर किए गए उधार पर संदत्त ब्याज की बाबत उक्त धारा के अधीन कटौती उपलब्ध होगी यदि उधार को उक्त धारा में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अध्यधीन 1 अप्रैल, 2019 से आरंभ होने वाले और 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान मंजूर किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 33** आय-कर अधिनियम की धारा 80छ का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय निधियों, पूर्त संस्थाओं, आदि को दान की बाबत कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (5) यह उपबंध करती है कि यह धारा उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (iv) में निर्दिष्ट किसी संस्था या निधि के दान को केवल तभी लागू होती है, जब उसकी स्थापना भारत में किसी पूर्व प्रयोजन के लिए की जाती है और यह कतिपय शर्तों को पूरा करती है।

उक्त उपधारा का खंड (vi) यह उपबंध करता है कि 31 मार्च, 1992 के पश्चात् किए गए संदानों के संबंध में एक शर्त यह है कि तत्समय संस्था या निधि को इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार आयुक्त द्वारा अनुमोदन किया जाए।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे नीचे दिए अनुसार अतिरिक्त शर्तों का उपबंध किया जा सके, अर्थात् :—

(क) संस्था या निधि ऐसे विवरण, ऐसी अवधि के लिए तैयार करती है, जो विहित की जाए और विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसे विवरण, ऐसे प्ररूप में परिदत्त करती है या परिदत्त किया जाना और ऐसे समय के भीतर ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, ऐसी रीति में सत्यापित करती है, कारित करती है और परंतु ये विहित प्राधिकारी को किसी त्रुटि का सुधार करने के लिए कोई सही किया हुआ विवरण भी परिदत्त कर सकेगा या इस उपधारा के अधीन प्रस्तुत विवरण में कोई वर्धन, लोप कर सकेगा या सूचना को ऐसे प्ररूप में अद्यतन कर सकेगा और ऐसी रीति में सत्यापित कर सकेगा, जो प्राधिकारी द्वारा नियमों द्वारा उपबंधित की जाए ; और

(ख) संस्था या निधि दानकर्ता को ऐसी रीति में दान की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिसमें ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी, दान की प्राप्ति की तारीख से ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।

उक्त उपधारा (5) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त उपधारा के खंड (vi) में निर्दिष्ट संस्था या निधि अनुमोदन अनुदत्त करने के लिए प्रधान आयुक्त या आयुक्त को विहित रीति में आवेदन करेगा,—

(क) जहां संस्था या निधि को खंड (vi) के अधीन (जैसा कि वह वित्त अधिनियम, 2020 द्वारा उसका संशोधन किए जाने के पूर्व था) इस परंतुक के प्रभावी होने की तारीख से तीन मास के भीतर, आवेदन करेगा ;

(ख) जहां संस्था या निधि का अनुमोदन किया जाता है और ऐसे अनुमोदन की अवधि अवसान होने को है, ऐसी अवधि के अवसान से कम से कम छह मास पूर्व, आवेदन करेगा ;

(ग) जहां संस्था या निधि का अनंतिम रूप से अनुमोदन किया गया है, अनंतिम अनुमोदन की अवधि के अवसान से कम से कम छह मास पूर्व या उसके कार्यकलाप प्रारंभ होने के छह मास के भीतर, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, आवेदन करेगा ;

(घ) किसी अन्य दशा में, उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्व वर्ष के प्रारंभ होने से कम से कम एक मास पूर्व, जिससे उक्त रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा की गई है, आवेदन करेगा।

उपधारा (5) में एक और परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त प्रस्तावित पहले परंतुक के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति पर लिखित में पारित आदेश की प्रति वहां भेजेगें जहां,—

(क) जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (i) के अधीन किया गया है, उसे पांच वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदन अनुदत्त करते हुए एक लिखित आदेश पारित करेगा ;

(ख) जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (ii) या खंड (iii) के अधीन किया जाता है,—

(I) उससे ऐसे दस्तावेजों या सूचना की मांग करेगा या ऐसी जांच करेगा, जैसा वह निम्नलिखित के संबंध में स्वयं का समाधान करने के लिए आवश्यक समझे,—

(अ) ऐसी संस्था या निधि के कार्यकलापों की वास्तविकता ; और

(आ) उपधारा (5) के खंड (i) से खंड (v) में अधिकथित सभी शर्तों का पूरा किया जाना ; और

(II) मद (अ) के अधीन कार्यकलापों के वास्तविकता के संबंध में और उपखंड (क) की मद (आ) के अधीन सभी शर्तों को पूरा किए जाने के संबंध में स्वयं का समाधान करने के पश्चात्,—

(अ) पांच वर्ष की अवधि के लिए अपना अनुमोदन अनुदत्त करते हुए एक लिखित आदेश पारित करेगा ;

(आ) यदि उसका समाधान नहीं होता है तो उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् आवेदन को रद्द करते हुए और अपने अनुमोदन का प्रत्यहरण करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा ;

(III) जहां आवेदन उक्त परंतुक के खंड (iv) के अधीन है, उसे निर्धारण वर्ष, जिससे रजिस्ट्रीकरण की ईप्सा की गई है, से तीन वर्ष की अवधि के लिए अनंतिम रूप से अनुमोदन अनुदत्त करते हुए लिखित आदेश पारित करेगा,

ऐसे आदेश की प्रति संस्था या निधि को भेजेगा।

उपधारा (5) में एक और परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रस्तावित पहले परंतुक के खंड (i), खंड (ii) के उपखंड (ख) और खंड (iii) के अधीन आदेश ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में क्रमशः तीन मास, छह मास और एक मास की अवधि, जिसकी गणना उस मास के अंत से की जाएगी, जिसमें आवेदन प्राप्त हुआ था, के अवसान से पूर्व पारित किया जाएगा।

उपधारा (5) में एक और परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रस्तावित दूसरे परंतुक के अधीन अनुदत्त अनुमोदन किसी संस्था या निधि को लागू होगा, जहां आवेदन,—

(क) निर्धारण वर्ष से, जिससे ऐसे संस्था या निधि को पूर्व में अनुमोदन अनुदत्त किया गया था, पहले परंतुक के खंड (i) के अधीन किया जाता है;

(ख) निर्धारण वर्षों, जिनके लिए ऐसी संस्था या निधि को अनंतिम रूप से अनुमोदित किया गया था, में से पहले निर्धारण वर्ष के लिए पहले परंतुक के खंड (iii) के अधीन किया जाता है ;

(ग) किसी अन्य दशा में, उस वित्तीय वर्ष से तुरंत पश्चात् निर्धारण वर्ष से, जिसमें ऐसा अनुमोदन किया जाता है।

एक नई धारा 5ङ अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आयुक्त के समक्ष लंबित सभी आवेदन, जिन पर उपधारा (5) के खंड (vi) के अधीन उस तारीख से पूर्व कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, जिसको यह उपधारा प्रभावी हुई है, को उस तारीख को उपधारा (5) के पहले परंतुक के खंड (iv) के अधीन किया गया आवेदन समझा जाएगा।

एक नया स्पष्टीकरण 2क अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह घोषित किया जा सके कि किसी निधि या संस्था, जिसको उपधारा (5) लागू होती है, को किए गए किसी दान के संबंध में कटौती के लिए निर्धारिती द्वारा किसी निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी में उसके दावे को उक्त दान के संबंध में संस्था या निधि द्वारा आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत सूचना के आधार पर, बोर्ड द्वारा समय-समय पर विरचित जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुसार सत्यापन के अधीन रहते हुए अनुज्ञात किया जाएगा।

ये संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का **खंड 34** आय-कर अधिनियम की धारा 80छछक का संशोधन करने के लिए है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्राम विकास के लिए कतिपय संदायों की बाबत कटौतियों से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2क) में यह उपबंध है कि इस धारा के अधीन दस हजार रुपए से अधिक किसी राशि की बाबत कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जब तक ऐसी राशि का संदाय नकद से भिन्न किसी ढंग से नहीं किया जाता है।

उक्त धारा में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह घोषित किया जा सके कि निर्धारिती द्वारा किसी निर्धारण वर्ष के लिए फाइल की गई आय की विवरणी में उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी धनराशि के संबंध में कटौती के लिए उसके दावे को, पाने वाले द्वारा आय-कर प्राधिकारी को या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को ऐसी धनराशि के संबंध में दी गई जानकारी के आधार पर, बोर्ड द्वारा समय-समय पर बनाई गई जोखिम प्रबंध रणनीति के अनुसार सत्यापन के अधीन रहते हुए, अनुज्ञात किया जाएगा।

यह संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 35** आय-कर अधिनियम की धारा 80झक का संशोधन करने के लिए है, जो अवसंरचना विकास आदि में लगे हुए औद्योगिक उपक्रमों या उद्यमों से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि जहां निर्धारिती की सकल कुल आय में कोई ऐसे लाभ या अभिलाभ सम्मिलित हैं जो उपधारा (4) में निर्दिष्ट किसी कारबार से (ऐसे कारबार को इसमें इसके पश्चात् पात्र कारबार कहा गया है) किसी उपक्रम या उद्यम द्वारा व्युत्पन्न हुए हैं, वहां निर्धारिती की कुल आय की संगणना करने में, ऐसे कारबार से व्युत्पन्न लाभ और अभिलाभ के सौ प्रतिशत के बराबर की रकम की कटौती दस क्रमवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए इस धारा के उपबंधों के अनुसार और उनके अधीन रहते हुए, अनुज्ञात की जाएगी।

उक्त धारा का उपधारा (7) में यह उपबंध है कि किसी उपक्रम से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों से उपधारा (1) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक जिस निर्धारण वर्ष के लिए कटौती का दावा किया गया हो उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए उस उपक्रम के लेखे धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे के स्पष्टीकरण में परिभाषित लेखापाल द्वारा संपरीक्षित नहीं किए गए हैं और निर्धारिती अपनी आय की विवरणी के साथ ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट विहित प्ररूप में नहीं देता है।

उपधारा (7) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी उपक्रम से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों से उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कटौती निर्धारिती को तभी अनुज्ञेय होगी, जब तक उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए, जिसके लिए कटौती का दावा किया गया है, सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए उपक्रम के लेखाओं की धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व (अर्थात् धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख से एक मास पूर्व) संपरीक्षा धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल द्वारा की जा चुकी हो और ऐसी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट उस तारीख तक प्रस्तुत कर दी गई हो।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 36** आय-कर अधिनियम की धारा 80झकग का संशोधन करने के लिए है, जो विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में विशेष उपबंध से संबंधित है।

धारा 80झकग के विद्यमान उपबंध अन्य बातों के साथ, पात्र स्टार्ट अप द्वारा पात्र कारबार से उद्भूत लाभ और अभिलाभ के शत-प्रतिशत के बराबर रकम की निर्धारिती के विकल्प पर सात वर्षों में से तीन लगातार वर्षों के लिए कटौती करने का और इसके कारबार का कुल आवर्त उस निर्धारण वर्ष से सुसंगत, जिसके लिए इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया गया है, से पूर्ववर्ती वर्ष में पच्चीस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, का उपबंध करते हैं।

उपरोक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त अधिनियम के अधीन पात्र स्टार्ट अप को कटौती, उस वर्ष के प्रारंभ से, जिसमें पात्र स्टार्ट अप निगमित किया जाता है, दस वर्ष में से तीन लगातार निर्धारण वर्षों के लिए उपलब्ध रहेगी तथा इसमें का कुल आवर्त उस निर्धारण वर्ष से, जिसके लिए इस धारा, के अधीन कटौती का दावा किया गया है, पात्र स्टार्ट अप के सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष में एक सौ करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 37** धारा 80झख का संशोधन करने के लिए है जो अवसंरचना विकास उपक्रमों से भिन्न कतिपय औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती के संबंध में है।

उपधारा (7क), उपधारा (7ख), उपधारा (11ख) और उपधारा (11ग) के पश्चातवर्ती संशोधन का प्रस्ताव है, जिससे उसमें उपबंधित विद्यमान वाक्यांश के स्थान पर क्रमशः "ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, धारा 44कख में निर्दिष्ट, विनिर्दिष्ट तारीख से पहले धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित लेखापाल द्वारा सम्यक्तः हस्ताक्षरित तथा सत्यापित लेखापरीक्षा की रिपोर्ट यह प्रमाणित करते हुए देता है" वाक्यांश रखे जा सकें।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 38** आय-कर अधिनियम की धारा 80झखक का संशोधन करने के लिए है, जो गृह निर्माण परियोजनाओं से लाभों और अभिलाभों की बाबत कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के उपबंधों में कतिपय शर्तों के अधीन वहनीय गृह निर्माण परियोजनाओं के विकास और निर्माण के कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों की शत-प्रतिशत कटौती का उपबंध है। इसके अतिरिक्त, उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (क) में यह उपबंध है कि गृह निर्माण परियोजनाओं को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 1 जून, 2016 के पश्चात्, किंतु 31 मार्च, 2020 को या उससे पहले अनुमोदित किया जाएगा।

उपधारा (2) के खंड (क) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे वहनीय गृह निर्माण परियोजनाओं के विकास और निर्माण के कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों की कटौती को ऐसी परियोजनाओं के विकास और निर्माण के कारबार से व्युत्पन्न लाभों और अभिलाभों की शत-प्रतिशत कटौती अनुज्ञात की जा सके, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा 1 जून, 2016 के पश्चात्, किंतु 31 मार्च, 2021 को या उससे पहले अनुमोदित की गई हैं।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का **खंड 39** आय-कर अधिनियम की धारा 80जजकक का संशोधन करने के लिए है, जो नए कर्मचारियों के नियोजन के संबंध में कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि जहां किसी निर्धारिती, जिसको धारा 44कख लागू होती है, की सकल कुल आय में, कारबार से व्युत्पन्न कोई लाभ और अभिलाभ सम्मिलित है, वहां उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए किसी पूर्ववर्ष में, तीन निर्धारण वर्षों के लिए, जिसके अंतर्गत वह निर्धारण वर्ष भी है जो उस पूर्ववर्ष से सुसंगत है जिसमें ऐसा नियोजन दिया गया है, ऐसे कारबार के दौरान उपगत अतिरिक्त कर्मचारी की लागत के तीस प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती अनुज्ञात की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (2) का खंड (ग) यह उपबंध करता है कि उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं होगी जब तक निर्धारिती आय की विवरणी के साथ धारा 288 के स्पष्टीकरण में यथापरिभाषित लेखापाल की रिपोर्ट उसमें ऐसी विशिष्टियां, जो विहित की जाएं, देते हुए प्रस्तुत नहीं कर देता है।

उक्त खंड (ग) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कटौती तब तक अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक निर्धारिती धारा 288 के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित किसी लेखापाल की रिपोर्ट को धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख (अर्थात् धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने की सम्यक् तारीख से एक मास पूर्व) से पूर्व रिपोर्ट में ऐसी विशिष्टियां देते हुए, जो विहित की जाएं, प्रस्तुत नहीं कर देता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 40** कतिपय अंतःनिगम लाभाशों से संबंधित एक नई धारा 80ङ अंतःस्थापित करने के लिए है।

उक्त नई धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि जहां किसी देशी कंपनी की सकल कुल आय में किसी पूर्ववर्ष में, किसी अन्य देशी कंपनी से लाभांशों के रूप में प्राप्त हुई कोई आय सम्मिलित है, वहां इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में और उसके अधीन रहते हुए, किसी अन्य देशी कंपनी से लाभांशों के रूप में प्राप्त उतनी आय की रकम के बराबर कर की कटौती की जाएगी, जो पहली उल्लिखित देशी कंपनी द्वारा नियत तारीख को या उससे पूर्व वितरित लाभांश की रकम से अधिक नहीं है।

उक्त नई धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि जहां किसी देशी कंपनी द्वारा वितरित लाभांश की रकम के संबंध में, किसी पूर्ववर्ष में एक उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात की गई है, वहां किसी अन्य पूर्ववर्ष में ऐसी रकम के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

"सम्यक् तारीख" पद को स्पष्ट करने का और प्रस्ताव है जिससे उससे धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख से एक मास पूर्व की तारीख अभिप्रेत है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 41** आय-कर अधिनियम की धारा 90 का संशोधन करने के लिए है, जो विदेशों या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से करार से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का खंड (ख) यह उपबंधित करता है कि केंद्रीय सरकार भारत से बाहर किसी देश की सरकार या भारत के बाहर विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र के साथ इस अधिनियम के अधीन और, यथास्थिति, उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन आय-कर के दोहरे कराधान का परिवर्जन करने के लिए करार कर सकेगी।

उक्त खंड के संशोधन का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केंद्रीय सरकार दोहरे कराधान का परिवर्जन करने के लिए कर अपवंचन या परिवर्जन के माध्यम से अकराधान या अवनत कराधान के लिए अवसरों का सृजन किए बिना (जिसके अंतर्गत किसी अन्य देश या राज्यक्षेत्र के निवासियों के अप्रत्यक्ष फायदे के लिए इस करार में उपबंधित अनुतोषों को प्राप्त करने के उद्देश्य से संधि-खरीदारी ठहरावों के माध्यम से, भी सम्मिलित है), उक्त करार करेगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 42** आय-कर अधिनियम की धारा 90क का संशोधन करने के लिए है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा दोहरी कराधान राहत के लिए विनिर्दिष्ट संगमों के बीच करारों का अंगीकृत किया जाना से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का खंड (ख) यह उपबंधित करता है कि भारत में विनिर्दिष्ट कोई संगम भारत के बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में किसी विनिर्दिष्ट संगम के साथ करार कर सकेगा और केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन और भारत के बाहर उसे विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि के अधीन आय के दोहरे कराधान के परिवर्जन के लिए ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो ऐसे करार को अंगीकृत और कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों।

उक्त खंड के संशोधन का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कर अपवंचन या परिवर्जन के माध्यम से अकराधान या अवनत कराधान के लिए अवसरों का सृजन किए बिना (जिसके अंतर्गत किसी अन्य देश या राज्यक्षेत्र के निवासियों के अप्रत्यक्ष फायदे के लिए इस करार में उपबंधित अनुतोषों को प्राप्त करने के उद्देश्य से संधि-खरीदारी ठहरावों के माध्यम से, भी सम्मिलित है), उक्त करार के अधीन दोहरे कराधान का परिवर्जन किया जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 43** सुरक्षित बंदरगाह नियम बनाने की बोर्ड की शक्ति से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 92गख का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) उपबंध करती है कि धारा 92ग या धारा 92गक के अधीन सन्निकट कीमत का अवधारण सुरक्षित बंदरगाह नियमों के अध्यधीन किया जाएगा।

उक्त उपधारा (1) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट आय का अवधारण भी सुरक्षित बंदरगाह नियमों के अध्यधीन किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 44** आय-कर अधिनियम की धारा 92गग का संशोधन करने के लिए है, जो अग्रिम मूल्यांकन करार से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बोर्ड, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित को अवधारित करते हुए, किसी व्यक्ति के साथ अग्रिम मूल्यांकन करार कर सकेगा,—

(क) उस व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में सन्निकट कीमत या वह रीति, जिसके द्वारा सन्निकट कीमत अवधारित की जानी है;

(ख) धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट आय या वह रीति विनिर्दिष्ट करते हुए, जिसमें उक्त आय को अवधारित किया जाना है, जो युक्तियुक्त रूप से उस व्यक्ति, जो अनिवासी है, द्वारा या उसकी ओर से भारत में किए जाने वाले प्रचालनों के कारण उद्‌भूत हुई है।

उक्त धारा की उपधारा (2) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट सन्निकट कीमत या उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट आय को अवधारित करने की रीति में, धारा 92ग की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पद्धतियां या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित ऐसी पद्धतियां, ऐसे समायोजनों या अंतरणों सहित, जिन्हें किया जाना आवश्यक या समीचीन हो, सम्मिलित हो सकेंगी।

उक्त धारा की उपधारा (3) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 92ग या धारा 92गक में या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित ऐसी पद्धतियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार की या उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट आय, जिसकी बाबत अग्रिम मूल्यांकन करार किया गया है, सन्निकट कीमत का अवधारण, इस प्रकार किए गए अग्रिम मूल्यांकन करार के अनुसार किया जाएगा।

उक्त धारा की उपधारा (9क) को प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार, ऐसी शर्तों, प्रक्रिया और रीति, जो विहित की जाए, के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट पूर्ववर्ती वर्षों के प्रथम वर्ष के पहले के चार पूर्ववर्षों से अनधिक किसी अवधि के दौरान निम्नलिखित के अवधारण के लिए उपबंध कर सकेगा,—

(क) सन्निकट कीमत या ऐसी रीति को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में सन्निकट कीमत को अवधारित किया जाएगा ;

(ख) धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (i) में निर्दिष्ट आय या ऐसी रीति को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसमें ऐसी आय का अवधारण किया जाना है, जो युक्तियुक्त रूप से उस व्यक्ति, जो अनिवासी है, द्वारा या उसकी ओर से भारत में किए जाने वाले प्रचालनों के कारण उदभूत हुई है,

और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार की सन्निकट कीमत या ऐसे व्यक्ति की आय का अवधारण उक्त करार के अनुसार किया जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का **खंड 45** आय-कर अधिनियम की धारा 92च का संशोधन करने के लिए है जो असन्निकट कीमत आदि की संगणना से सुसंगत कतिपय पदों की परिभाषा से संबंधित है।

उक्त धारा के खंड (iv) में निर्दिष्ट तारीख की परिभाषा का उपबंध है। इसमें यह उपबंधित है कि विनिर्दिष्ट तारीख का वही अर्थ है जो धारा 139 की उपधारा (1) के नीचे स्पष्टीकरण 2 में "निश्चित तारीख" का है।

उक्त धारा के खंड (iv) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि "विनिर्दिष्ट तारीख" से धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए आय की विवरणी देने की नियत तारीख से पहले एक मास अभिप्रेत है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 46** आय-कर अधिनियम की धारा 94ख का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय मामलों में ब्याज कटौती को सीमित करने से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करने के लिए है कि अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई भारतीय कंपनी या भारत में किसी विदेशी कंपनी का स्थायी स्थापन, जो उधार लेने वाला है, एक करोड़ रुपए से अधिक ब्याज के रूप में या वैसी ही प्रकृति का कोई व्यय उपगत करता है, जो "कारबार या वृत्ति से लाभ और अभिलाभ "शीर्ष के अधीन किसी गैर-निवासी, जो ऐसे उधार लेने वाले का सहयुक्त उपक्रम है, द्वारा जारी किसी उधार के संबंध में प्रभार्य आय की संगणना करने में कटौती योग्य है वहां ब्याज के शीर्ष के अधीन आय की संगणना में उस सीमा तक, जहां तक उपधारा (2) में यथाविनिर्दिष्ट हो, वह अधिक ब्याज से उदभूत होता है, कटौती नहीं की जाएगी।

उक्त उपधारा के पश्चात् एक नई उपधारा (1क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी उधार देने वाले, जो भारत में बैंककारी कारबार में लगा हुआ व्यक्ति है, के द्वारा जारी ऋण के संबंध में संदत्त ब्याज को लागू नहीं होगी, जो किसी अनिवासी का स्थायी स्थापन है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 और पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 47** आय-कर अधिनियम की धारा 115क का संशोधन करने के लिए है, जो विदेशी कंपनियों की दशा में लाभांश, स्वामिस्व और तकनीकी सेवाओं के लिए फीस पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे लाभांश के कराधान का उपबंध है, जिसके अंतर्गत धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश नहीं आता है। "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश" के प्रतिनिर्देश का लोप करने का प्रस्ताव है, जिससे किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या किसी विदेशी कंपनी की समस्त लाभांश आय पर कर लगाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा की उपधारा (1) किसी ऐसे अनिवासी की दशा में, जिसकी कुल आय में खंड (क) में यथाविनिर्दिष्ट लाभांश या ब्याज संबंधी संदाय या उक्त उपधारा के खंड (ख) में यथाविनिर्दिष्ट तकनीकी सेवाओं के लिए स्वामिस्व या फीस समाविष्ट हैं, कर के अवधारण के बारे में उपबंध करती है।

उक्त धारा की उपधारा (5) में यह उपबंध है कि किसी अनिवासी से आय-कर अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन उसकी विवरणी देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, यदि उक्त उपधारा के खंड (क) और खंड (ख) में की शर्तों का समाधान कर दिया गया है।

उक्त उपधारा के खंड (क) के अधीन शर्त में यह अपेक्षित है कि किसी अनिवासी की कुल आय में केवल उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) में यथानिर्दिष्ट लाभांश या ब्याज की प्रकृति की आय समाविष्ट होनी चाहिए।

उक्त उपधारा के खंड (क) का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि अनिवासी की कुल आय में केवल उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) में यथानिर्दिष्ट लाभांश या ब्याज के प्रकृति की आय या उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथानिर्दिष्ट स्वामिस्व या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस की प्रकृति की आय समाविष्ट होनी चाहिए।

उक्त उपधारा के खंड (ख) के अधीन शर्त में यह अपेक्षित है कि आय-कर अधिनियम के अध्याय 17 के भाग ख के उपबंधों के अनुसार कटौती योग्य कर की उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) में यथानिर्दिष्ट ऐसी आय में से स्रोत पर कटौती कर ली गई है।

उक्त उपधारा में यह उपबंध करने के लिए खंड (ख) का संशोधन करने का और प्रस्ताव है कि अध्याय 17 के उपबंधों के अधीन कटौती योग्य कर की उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट आय में से स्रोत पर ऐसी दर पर कटौती कर ली गई है, जो उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट दरों से कम नहीं है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का **खंड 48** आय-कर अधिनियम की धारा 115कग का संशोधन करने के लिए है, जो विदेशी करेंसी में क्रय किए गए बंधपत्रों या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों से अथवा उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे लाभांश के कराधान का उपबंध है, जिसके अंतर्गत धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश नहीं आता है। धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश के प्रतिनिर्देश का लोप करने का प्रस्ताव है, जिससे समस्त लाभांश आय का कराधान किसी अनिवासी पर किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 49** आय-कर अधिनियम की धारा 115कगक का संशोधन करने के लिए है, जो विदेशी मुद्रा में क्रय की गई सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों या उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे लाभांश के कराधान का उपबंध है, जिसके अंतर्गत धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश नहीं आता है। "धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश" के प्रतिनिर्देश का लोप करने का प्रस्ताव है, जिससे किसी अनिवासी की समस्त लाभांश आय पर कर लगाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 50** आय-कर अधिनियम की धारा 115कघ का संशोधन करने के लिए है, जो विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ताओं की प्रतिभूतियों से अथवा उनके अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से आय पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसे लाभांश के कराधान का उपबंध है, जिसके अंतर्गत धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश नहीं आता है। धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश के प्रतिनिर्देश का लोप करने का प्रस्ताव है, जिससे किसी विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता की समस्त लाभांश आय पर कर लगाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 51** आय-कर अधिनियम की धारा 115खकक का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय देशी कंपनियों की आय पर कर से संबंधित है ।

उक्त धारा की उपधारा (2) के उपखंड (i) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध करने हेतु इस शर्त का उपांतरण किया जा सके कि कंपनी की कुल आय की संगणना, धारा 80ञञकक या धारा 80ड के उपबंधों से भिन्न "ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियां" शीर्ष के अधीन अध्याय 6क के उपबंधों के अधीन बिना किसी कटौती के की जाएगी, की बजाय "धारा 80ञञकक के उपबंधों से भिन्न अध्याय 6क के किन्हीं उपबंधों के अधीन बिना किसी कटौती के की जाएगी ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 52** आय-कर अधिनियम की धारा 115खकख का संशोधन करने के लिए है जो नई विनिर्माणकारी देसी कंपनियों की आय पर कर से संबंधित है।

पूर्वोक्त धारा की उपधारा (2) के उक्त उपखंड (i) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध करने हेतु इस शर्त का उपांतरण किया जा सके कि कंपनी की कुल आय की संगणना, धारा 80ञञकक या धारा 80ड के उपबंधों से भिन्न "ग-कतिपय आय के संबंध में कटौतियां" शीर्ष के अधीन अध्याय 6क के किन्हीं उपबंधों के अधीन बिना किसी कटौती के की जाएगी, के बजाय "धारा 80ञञकक के उपबंधों से भिन्न अध्याय 6क के किन्हीं उपबंधों के अधीन बिना किसी कटौती के की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि किसी देशी कंपनी द्वारा संदेय आय-कर पन्द्रह प्रतिशत की दर पर होगा यदि उक्त धारा की उपधारा (2) की शर्तें पूरी कर दी जाती हैं।

उक्त धारा की उपधारा (2) में ऐसी शर्तों को विनिर्दिष्ट करती हैं, जिन्हें देशी कंपनी द्वारा पन्द्रह प्रतिशत की दर पर कर का पात्र होने हेतु पूरी करने की आवश्यकता होगी।

उक्त उपधारा (2) के खंड (ख) में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त उपधारा के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए "किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन" को विद्युत उत्पादन में सम्मिलित किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 53,** आय-कर अधिनियम में, व्यष्टियों और हिंदू अविभक्त कुटुंब की आय पर कर से संबंधित एक नई धारा 115खकग और कतिपय निवासी सहकारी सोसाइटियों की आय पर कर से संबंधित धारा और धारा 115खकघ अंतःस्थापित करने के लिए है।

प्रस्तावित नई धारा 115खकग की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किंतु इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए, किसी ऐसे व्यक्ति की, जो व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब है, कुल आय की बाबत संदेय आय-कर, ऐसे व्यक्ति के विकल्प पर, नीचे सारणी में दी गई दर पर संगणित किया जाएगा, यदि उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों का समाधान हो जाता है :

कुल आय	दर
2,50,000 रुपए तक	शून्य
2,50,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 7,50,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
7,50,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	15 प्रतिशत
10,00,001 रुपए से 12,50,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
12,50,001 रुपए से 15,00,000 रुपए तक	25 प्रतिशत
15,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

उक्त उपधारा के पहले परंतुक में यह उपबंध है कि जहां व्यक्ति, किसी पूर्ववर्ष में उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों को पूरा करने में असफल हो जाता

है, वहां उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष की बाबत विकल्प अविधिमान्य हो जाएगा और अधिनियम के अन्य उपबंध इस प्रकार लागू होंगे, मानो उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प का प्रयोग नहीं किया गया था

उक्त उपधारा के दूसरे परंतुक में यह उपबंध है कि जहां उपधारा (5) के खंड (i) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया जाता है, वहां उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों को समाधान में असफलता की दशा में, यह पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के लिए भी अविधिमान्य हो जाएगा और उन वर्षों के लिए अधिनियम के अन्य उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (2) में यह उपबंध है कि उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब की कुल आय की संगणना,—

(i) धारा 10 के खंड (5) या खंड (13क) के उपबंधों के अधीन या खंड (14) के अधीन विहित (उन से भिन्न, जो इस प्रयोजन के लिए विहित किए जाएं), या खंड (17) या खंड (32) या धारा 10कक या धारा 16 या धारा 24 के खंड (क) या धारा 24 के खंड (ख) इधारा 23 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट संपत्ति की बाबतट या धारा 25क की उपधारा (2) या धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) या धारा 32कघ या धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 35 की उपधारा (1) के खंड उपखंड (ii) या खंड (iiक) या उपखंड खंड (iii) या उपधारा (2कक) या धारा 35कघ या धारा 35गगग या धारा 57 के खंड (त्त्क) के अधीन या धारा 80गगघ की उपधारा (2) या धारा 80ञञकक के उपबंधों से भिन्न अध्याय 6क के किसी उपबंध के अधीन किसी छूट या कटौती के बिना की जाएगी ;

(ii)किसी हानि का,—

(क) जिसे किसी पूर्वतर निर्धारण वर्ष से अग्रनीत किया गया है या अवक्षयण का, यदि ऐसी हानि या अवक्षयण खंड (i) में निर्दिष्ट किसी कटौती के कारण हुआ माना गया है ;

(ख) जो "गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन हुई है, आय के किसी अन्य शीर्ष से,

मुजरा किए बिना, की जाएगी ;

(iii) धारा 32 के किसी उपबंध के अधीन, उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (iiक) के सिवाय, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अवधारित अवक्षयण, यदि कोई हो, का दावा करके की जाएगी ; और

(iv) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उपबंधित भत्तों या परिलब्धि, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, के लिए किसी छूट या कटौती के बिना की जाएगी।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (3) में यह उपबंध है कि उपधारा (2) के खंड (ii) में निर्दिष्ट हानि और अवक्षयण को पूर्ण प्रभाव दिया गया समझा जाएगा और ऐसी हानि या अवक्षयण के लिए किसी पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए किसी और कटौती को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

उक्त उपधारा (3) के परंतुक में यह उपबंध है कि जहां आस्ति के ऐसे ब्लॉक की बाबत किसी अवक्षयण मोक को, जिसे 1 अप्रैल, 2021 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के पहले पूर्ण प्रभाव नहीं दिया गया है, वहां तत्स्थानी समायोजन, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, 1 अप्रैल, 2020 को आस्तियों के ऐसे ब्लॉक के उपलिखित मूल्य पर किया जाएगा, यदि उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग 1 अप्रैल, 2021 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए किया गया है।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (4) में यह उपबंध है कि ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसकी धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कोई यूनिट है, जिसने उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, उपधारा (2)में अंतर्विष्ट शर्तें उस सीमा तक उपांतरित की जाएंगी, जहां तक ऐसी यूनिट को धारा 80ठक के अधीन कटौती, उक्त धारा में अंतर्विष्ट शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन रहते हुए उपलब्ध है।

प्रस्तावित धारा की उक्त उपधारा (4) के स्पष्टीकरण में यह उपबंध है कि इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "यूनिट" पद का वही अर्थ होगा, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यग) में उसका है।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (5) में यह उपबंध है कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात तभी लागू होगी, जब ऐसे व्यक्ति द्वारा,—

(i) जिसकी कारबार से आय है, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने हेतु विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले विकल्प का प्रयोग विहित रीति में कर दिया गया है और एक बार प्रयोग किए जाने पर ऐसा विकल्प पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों को लागू होगा ;

(ii) जिसकी कारबार से कोई आय नहीं है, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन किसी निर्धारण वर्ष के लिए प्रस्तुत की जाने वाली आय की विवरणी के साथ विकल्प का प्रयोग विहित रीति में कर दिया गया है :

प्रस्तावित धारा की उक्त उपधारा (5) के परंतुक में यह उपबंध है कि खंड (i) के अधीन विकल्प, यदि किसी पूर्ववर्ष के लिए एक बार प्रयोग कर लिया गया है, तो उस वर्ष से, जिसके लिए विकल्प का प्रयोग किया गया है, भिन्न किसी पूर्ववर्ष के लिए केवल एक बार वापस लिया जा सकेगा और उसके पश्चात्, वह व्यक्ति इस धारा के अधीन विकल्प का प्रयोग करने के लिए तब के सिवाय कभी पात्र नहीं होगा, जब उस व्यक्ति की कोई कारबार आय नहीं रह जाती है, उस दशा में खंड (ii) के अधीन विकल्प उपलब्ध होगा।

प्रस्तावित नई धारा 115खकघ की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किंतु इस अध्याय 12 के उपबंधों के अध्यधीन ऐसे किसी व्यक्ति की, जो सहकारी सोसाइटी है, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए कुल आय की बाबत संदेय आय-कर, ऐसे व्यक्ति के विकल्प पर, बाईस प्रतिशत की दर से संगणित किया जाएगा, यदि उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तें पूरी की जाती हैं।

उक्त उपधारा के परंतुक में यह उपबंध है कि जहां व्यक्ति किसी पूर्ववर्ष में उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तों के पूरा करने में असफल हो जाता है वहां विकल्प उस पूर्ववर्ष और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के सुसंगत निर्धारण वर्ष की बाबत अविधिमान्य हो जाएगा और अधिनियम के अन्य उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उस पूर्ववर्ष और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए विकल्प का प्रयोग नही किया गया था।

उक्त धारा की उपधारा (2) में यह उपबंध है कि उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए सहकारी सोसाइटी की कुल आय की संगणना,—

(i) धारा 80ञञकक के उपबंधों से भिन्न धारा 10कक या धारा 32 की उपधारा (1) के खंड (iiक) या धारा 32कघ या धारा 33कख या धारा 33कखक या धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) या खंड (iiक) या खंड (iii) या उपधारा (2कक) (केवल विनिर्दिष्ट व्यक्ति को संदत्त राशि की बाबत) या धारा 35कघ या धारा 35गगग या अध्याय 6क के किसी उपबंध के अधीन कोई कटौती किए बिना ;

(ii) किसी पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष से अग्रनीत किसी हानि या अवक्षयण का मुजरा किए बिना, यदि ऐसी हानि या अवक्षयण खंड (i) में निर्दिष्ट किसी कटौती के कारण हुआ माना गया है ; और

(iii) उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (iiक) के सिवाय धारा 32 के किसी उपबंध के अधीन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अवधारित अवक्षयण, यदि कोई हो, का दावा करके,

की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (3) में यह उपबंध है कि उपधारा (2) के खंड (ii) में निर्दिष्ट हानि और अवक्षयण को पूर्ण प्रभाव दिया गया समझा जाएगा और ऐसी हानि या अवक्षयण के लिए किसी पश्चात्वर्ती वर्ष के लिए किसी और कटौती को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

उक्त उपधारा के परंतुक में यह उपबंध है कि जहां आस्ति के ऐसे ब्लॉक की बाबत किसी अवक्षयण मोक को, जिसे 1 अप्रैल, 2021 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से पहले पूर्ण प्रभाव नहीं दिया गया है, वहां तत्स्थानी समायोजन, ऐसी रीति में जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, 1 अप्रैल, 2020 को आस्तियों के ऐसे ब्लॉक के अवलिखित मूल्य में किया जाएगा यदि उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग 1 अप्रैल, 2021 को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए किया गया है।

उक्त धारा की उपधारा (4) में यह उपबंध है कि ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में कोई यूनिट रखता है, जिसने उपधारा (5) के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है, उपधारा (2) में अंतर्विष्ट शर्तें उस सीमा तक उपांतरित की जाएंगी, जहां तक उक्त धारा के अधीन कटौती उक्त धारा में अंतर्विष्ट शर्तों को पूरा किए जाने के अधीन रहते हुए ऐसी यूनिट को उपलब्ध है।

उक्त उपधारा के स्पष्टीकरण में "यूनिट" पद को परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ वही होगा, जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (यग) में उसका है।

उक्त धारा की उपधारा (5) में यह उपबंध है कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात तभी लागू होगी जब व्यक्ति द्वारा विकल्प का प्रयोग 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए आय की विवरणी देने के लिए धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उससे पहले रीति, जो नियमों द्वारा उपबंधित की जाए, में कर लिया गया है और एक बार प्रयोग किया गया ऐसा विकल्प पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों को लागू होगा।

उक्त उपधारा के परंतुक में यह उपबंध है कि किसी पूर्ववर्ष में एक बार विकल्प का प्रयोग कर लिया गया है, तो उसे तत्पश्चात् उसी या किसी अन्य पूर्ववर्ष में वापस नहीं लिया जा सकता।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का **खंड 54** आय-कर अधिनियम की धारा 115खखघक का संशोधन करने के लिए है, जो देशी कंपनियों से प्राप्त कतिपय लाभांशों पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा में, भारत में निवासी विनिर्दिष्ट निर्धारिती को प्राप्त हुए दस लाख रुपए से अधिक के लाभांश पर दस प्रतिशत की दर से कराधान का उपबंध है।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे इस धारा को ऐसे लाभांश पर लागू होने तक निर्बंधित किया जा सके, जिसे 31 मार्च, 2020 को या उससे पूर्व किसी देशी कंपनी या कंपनियों द्वारा घोषित, वितरित या संदत्त किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

पूर्वोक्त धारा के स्पष्टीकरण के खंड (ख) का उपखंड (iii), उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए, " विनिर्दिष्ट निर्धारिती" का उपबंध करता है जिससे धारा 12क या धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास या संस्था से भिन्न व्यक्ति अभिप्रेत हो।

उक्त उपखंड में धारा 12कख के प्रतिनिर्देश करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए ''विनिर्दिष्ट निर्धारिती'' से 12कख के अधीन भी रजिस्ट्रीकृत न्यास या संस्था से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत होगा।

यह संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 55** आय-कर अधिनियम की धारा 115ग का संशोधन करने के लिए है, जो परिभाषाओं से संबंधित है।

उक्त धारा का खंड (ग), अध्याय 12क के प्रयोजनों के लिए "विनिधान आय" पद को परिभाषित करता है, जिसका अभिप्राय विदेशी मुद्रा आस्ति से धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांशों से भिन्न व्युत्पन्न कोई आय है।

धारा 115ण में निर्दिष्ट लाभांश के प्रतिनिर्देश का लोप करने के लिए है उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "विनिधान आय" को परिभाषित किया जा सके जिसका अभिप्राय विदेशी मुद्रा आस्ति से व्युत्पन्न कोई आय है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 56** आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख का संशोधन करने के लिए है जो कतिपय कंपनियों द्वारा कर के संदाय के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि जहां किसी ऐसे निर्धारिती की दशा में जो एक कंपनी है, को 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्व वर्ष की बाबत आय-कर अधिनियम के अधीन यथासंगणित कुल आय पर संदेय आय-कर उसके बही लाभ के साढ़े अठारह प्रतिशत से कम है वहां ऐसा बही लाभ निर्धारिती की कुल आय समझी जाएगी और निर्धारिती द्वारा संदेय कर साढ़े अठारह प्रतिशत की दर से आय-कर की रकम होगी।

उक्त धारा की उपधारा (4) में यह उपबंधित है कि ऐसी प्रत्येक कंपनी, जिसे यह धारा लागू होती है, धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित लेखाकार की विहित प्ररूप में एक रिपोर्ट, यह प्रमाणित करते हुए कि बही लाभ इस धारा के उपबंधों के अनुसार संगणित किया गया है, धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई आय की विवरणी के साथ या धारा 142 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन सूचना के उत्तर में दी गई आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगी।

उक्त उपधारा (4) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसी प्रत्येक कंपनी, जिसे यह धारा लागू होती है, धारा 288 की उपधारा (2) के नीचे स्पष्टीकरण में परिभाषित लेखाकार की विहित प्ररूप में एक रिपोर्ट, यह प्रमाणित करते हुए कि बही लाभ उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार संगणित किया गया है, धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पहले (अर्थात् धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई विवरणी की नियत तारीख से पूर्व एक मास) या धारा 142 की उपधारा (1) के खंड (i) के अधीन सूचना के उत्तर में दी गई आय की विवरणी के साथ प्रस्तुत करेगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 57** आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग का संशोधन करने के लिए है जो कंपनी से भिन्न कतिपय व्यक्तियों द्वारा कर का संदाय करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) उपबंध करती है कि जहां कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किसी पूर्ववर्ष के लिए संदेय नियमित आय-कर, उस पूर्ववर्ष के लिए संदेय अनुकल्पी न्यूनतम कर से कम है, वहां समायोजित कुल आय को उस पूर्ववर्ष के लिए उस व्यक्ति की कुल आय समझा जाएगा और वह ऐसी कुल आय पर साढ़े अठारह प्रतिशत की दर से आय-कर का संदाय करने का दायी होगा।

उक्त धारा की उपधारा (3) उपबंध करती है कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसको यह धारा लागू होती है, किसी लेखाकार से यह प्रमाणित किए जाने संबंधी कि समायोजित कुल आय और अनुकल्पी न्यूनतम कर की संगणना इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार की गई है, एक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, अभिप्राप्त करेगा और धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख को या उससे पूर्व ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

उक्त धारा की उपधारा (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जिसको यह धारा लागू होती है, धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पहले (अर्थात् धारा 139 की

उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की सम्यक् तारीख से एक मास पहले) किसी लेखापाल से यह प्रमाणित किए जाने संबंधी कि समायोजित कुल आय और अनुकल्पी न्यूनतम कर की संगणना इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार की गई है, एक रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, अभिप्राप्त करेगा और उस तारीख तक ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (5) पारिणामिक रूप से अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उसमें अंतर्विष्ट उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जिसने धारा 115खकग और धारा 115खकघ के अधीन विकल्प का प्रयोग किया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 58** आय-कर अधिनियम की धारा 115जघ का संशोधन करने के लिए है, जो अनुकल्पी न्यूनतम कर के लिए कर प्रत्यय से संबंधित है।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (7) अंतःस्थापित करने का पारिणामिक प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उसमें अंतर्विष्ट उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जिसने धारा 115खकग या धारा 115खकघ में निर्दिष्ट विकल्प का प्रयोग किया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 59** आय-कर अधिनियम की धारा 115ण का संशोधन करने के लिए है, जो देशी कंपनी के वितरित लाभों पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा, किसी देशी कंपनी द्वारा लाभांशों के रूप में (चाहे अंतरिम हो या अन्यथा), चाहे वे चालू लाभ से हों या संचित लाभ से हों, घोषित वितरित या संदत्त किसी रकम पर अतिरिक्त आय-कर के उद्‌ग्रहण का उपबंध करती है। 1 अप्रैल, 2003 के पश्चात् घोषित, वितरित या संदत्त लाभांश उक्त धारा के उपबंध के अधीन आता है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात्, किंतु 31 मार्च, 2020 को या उससे पहले घोषित, वितरित या संदत्त लाभांश उक्त धारा के अधीन आएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 60** आय-कर अधिनियम की धारा 115द का संशोधन करने के लिए है, जो यूनिट धारकों को वितरित आय पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ विनिर्दिष्ट कंपनी या किसी पारस्परिक निधि द्वारा अपने यूनिट धारकों को वितरित किसी आय पर अतिरिक्त आय-कर के उद्‌ग्रहण का उपबंध करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि केवल 31 मार्च, 2020 को या उससे पहले वितरित आय ही इस धारा के उपबंधों हैं के अधीन आएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 61** आय-कर अधिनियम की धारा 115नघ का संशोधन करने के लिए है, जो अनुवर्धित आय पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई न्यास या संस्था किसी पूर्ववर्ष में किसी ऐसे रूप में संपरिवर्तित हो गई है, जो धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रदान किए जाने के लिए पात्र नहीं है ; किसी ऐसे अस्तित्व, जो कोई न्यास या संस्था है, से भिन्न किसी अन्य अस्तित्व में विलय हो गई है जिसके उद्देश्य उसके समान हैं और वह धारा 12कक या धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत है ; या जो विघटन पर धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्था अथवा धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी निधि या संस्था या न्यास या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या किसी अस्पताल या अन्य चिकित्सीय संस्था को उस मास के, जिसमें विघटन होता है, अंत से बारह मास की अवधि के भीतर, सभी आस्तियां अंतरित करने में असफल रहती है, विनिर्दिष्ट तारीख को, अनुवर्धित आय पर अधिकतम मार्जिन की दर पर अतिरिक्त आय कर के संदाय का उपबंध करती है।

पूर्वोक्त धारा के अन्य उपबंध, उक्त अतिरिक्त आय-कर के संदाय के संबंध में प्रक्रियाओं के लिए उपबंध करते हैं।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि उक्त धारा में, जहां कहीं धारा 12कक का प्रतिनिर्देश है, वहां धारा 12कख का प्रतिनिर्देश किया जाए, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा 115नघ के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित धारा 12कख के अधीन रजिस्ट्रीकृत न्यास या संस्था को लागू होंगे।

यह संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 62** आय-कर अधिनियम की धारा 115पक का संशोधन करने के लिए है, जो यूनिट धारक और कारबार न्यास की आय पर कर से संबंधित है।

उक्त धारा कतिपय प्रकृति की आय को, कारबार न्यास से अपने यूनिट धारकों को देने के लिए समर्थ बनाती है। उक्त धारा की उपधारा (3) यह उपबंधित करती है कि यदि किसी पूर्ववर्ष में, किसी यूनिट धारक द्वारा कारबार न्यास से प्राप्त वितरित आय या उसका कोई भाग, धारा 10 के खंड (23चग) के उपखंड (क) में या खंड (23चगक) में यथानिर्दिष्ट प्रकृति का है, तो ऐसी वितरित आय या उसके भाग को ऐसे यूनिट धारक की आय समझा जाएगा और उस पर पूर्ववर्ष की आय के रूप में कर प्रभारित किया जाएगा।

उक्त उपधारा से धारा 10 के खंड (23चग) के उपखंड (क) के प्रतिनिर्देश का लोप करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 10 के खंड (23चग) या खंड (23चगक) में यथानिर्दिष्ट प्रकृति की वितरित आय को उस यूनिट धारक की आय के रूप में समझा जाएगा और पूर्ववर्ष की आय के रूप में कर से प्रभारित होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 63** आय-कर अधिनियम की धारा 115फब का संशोधन करने के लिए है जो लेखाओं का रखा जाना और लेखा परीक्षा से संबंधित है।

उक्त धारा किसी टनभार कर कंपनी द्वारा टनभार कर स्कीम के लिए पात्र होने हेतु पूरी की जाने वाली शर्तों का उपबंध करती है।

उक्त धारा का खंड (ii) यह उपबंध करता है कि इसकी एक शर्त यह है कि कंपनी उस पूर्ववर्ष की आय की विवरणी के साथ विहित प्ररूप में लेखापाल की ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित रिपोर्ट देगी।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कंपनी, विहित प्ररूप में, लेखापाल की रिपोर्ट ऐसे लेखापाल द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित और सत्यापित रिपोर्ट, धारा 44कख में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख से पहले (अर्थात् धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय की विवरणी फाइल करने की सम्यक् तारीख से एक मास पहले) देगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 64** नई धारा 119क अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे बोर्ड को, करदाता के चार्टर को अंगीकृत और घोषित करने के लिए और अन्य आय-कर प्राधिकारियों को ऐसे आदेश, अनुदेश, निदेश या मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने के लिए, जो वह ऐसे चार्टर के प्रशासन के लिए ठीक समझे, सशक्त बनाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 65** आय-कर अधिनियम की धारा 133क के संशोधन करने के लिए है जो सर्वेक्षण की शक्ति से संबंधित है।

उक्त धारा का परंतुक यह उपबंध करता है कि किसी संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से नीचे का आय-कर प्राधिकारी यथास्थिति, संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन कोई सर्वेक्षण नहीं करेगा।

उक्त परंतुक को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि उस दशा में जहां सूचना ऐसे प्राधिकारी से जो विहित किया जाए, प्राप्त की गई है वहां, यथास्थिति, संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त का अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना संयुक्त निदेशक या संयुक्त आयुक्त से नीचे की पंक्ति का कोई आय-कर प्राधिकारी, उक्त धारा के अधीन कोई सर्वेक्षण नहीं करेगा और किसी अन्य दशा में, निदेशक या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना, निदेशक या आयुक्त की श्रेणी से नीचे का कोई आय-कर प्राधिकारी यथास्थिति, उक्त धारा के अधीन कोई सर्वेक्षण नहीं करेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 66** आय-कर अधिनियम की धारा 139 का संशोधन करने के लिए है, जो आय की विवरण से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 का खंड (क) कतिपय व्यक्तियों, जिनके अंतर्गत विनिर्दिष्ट फर्म का कार्यरत भागीदार भी है, के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख निर्धारण वर्ष के 30 सितंबर का उपबंध करती है।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उपखंड (iii) "कार्यरत" शब्द का लोप किया जा सके और यह उपबंध किया जा सके कि आय की ऐसी विवरणी फाइल करने के लिए नियत तारीख निर्धारण वर्ष की 31 अक्तूबर होगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

विधेयक का **खंड 67** आय-कर अधिनियम की धारा 140 का संशोधन करने के लिए है, जो विवरणी किसके द्वारा सत्यापित हो से संबंधित है।

उक्त धारा में, अन्य बातों के साथ, इस बात के लिए उपबंध है कि उक्त अधिनियम की धारा 115बघ या धारा 139 के अधीन फाइल की जाने वाली विवरणी किसके द्वारा सत्यापित की जाएगी।

उक्त धारा के खंड (ग) और खंड (गघ) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कंपनी और सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, उक्त प्रयोजन के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करने के लिए बोर्ड को सशक्त बनाया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का **खंड 68** स्वतः निर्धारण से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 140क का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि जहां इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन पहले ही संदत्त किए गए कर की रकम, यदि कोई हो, स्रोत पर कटौती किया गया या संगृहीत कोई कर, या धारा 89 के अधीन दावा की गई कर की राहत या भारत से बाहर किसी देश में संदत्त कर के संबंध में धारा 90 या धारा 91 के अधीन दावा की गई कर की राहत या कर की कटौती, उस धारा में विनिर्दिष्ट भारत के बाहर किसी विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में संदत्त कर के संबंध में धारा 90क के अधीन दावा की गई कर की कोई राहत, और धारा 115जकक या धारा 115जघ के उपबंधों के अनुसार मुजरा किए जाने के लिए दावा किए गए किसी कर प्रत्यय, को हिसाब में लेने के पश्चात् धारा 115बघ या धारा 115बज या धारा 139 या धारा 142 या धारा 148 या धारा 153क, यथास्थिति, धारा 158खग के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित किसी विवरणी के आधार पर कोई कर संदेय है, वहां निर्धारिती, विवरणी देने में हुए किसी विलंब अथवा विवरणी देने से पूर्व अग्रिम कर के संदाय में किसी व्यतिक्रम या विलंब के लिए, इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन संदेय ब्याज और फीस के साथ ऐसे कर का संदाय करने का दायी होगा तथा विवरणी के साथ ऐसे कर, ब्याज और फीस के संदाय का सबूत होगा।

उक्त उपधारा में एक नया खंड (vi) अंतःस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 115बघ या धारा 115बज या धारा 139 अथवा धारा 142 या धारा 148 अथवा धारा 153क या, यथास्थिति, धारा 158खग के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित किसी विवरणी के आधार पर कोई कर संदेय है, वहां निर्धारिती, धारा 191 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन संदेय किसी कर या ब्याज को भी हिसाब में लेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 69** आय जो कर अधिनियम की धारा 143 का संशोधन करने के लिए है निर्धारण से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (3क) यह उपबंध करती है कि केन्द्रीय सरकार, धारा 143 की उपधारा (3) के अधीन निर्धारिती की कुल आय या हानि का निर्धारण करने के प्रयोजनों के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम बना सकेगी, जिससे उसमें निर्दिष्ट कतिपय साधनों के द्वारा बृहत्तर दक्षता पारदर्शिता और जवाबदेही को लाया जा सके।

पूर्वोल्लिखित अधिसूचित स्कीम के अधीन धारा 144 के अधीन निर्धारण करने के लिए उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे इसमें अधिनियम की धारा 144 के प्रतिनिर्देश को सम्मिलित किया जा सके।

उक्त धारा की उपधारा (3ख) यह उपबंध करती है कि केन्द्रीय सरकार, स्कीम को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि कुल आय या हानि के निर्धारण से संबंधित अधिनियम के उपबंधों में से कोई भी उपबंध लागू नहीं होगा या ऐसे अपवादों, उपांतरणों और अनुकूलनों सहित लागू होगा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं। उक्त उपधारा का परंतुक यह उपबंध करता है कि ऐसा कोई निदेश 31 मार्च, 2020 के पश्चात् जारी नहीं किया जाएगा।

उक्त परंतुक का संशोधन करने का यह और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केन्द्रीय सरकार, उक्त धारा की उपधारा (3ख) के अधीन कोई भी निदेश 31 मार्च, 2022 तक जारी कर सकेगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का **खंड 70** आय-कर अधिनियम की धारा 144ग का संशोधन करने के लिए है, जो विवाद समाधान पैनल को निर्देश से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि, निर्धारण अधिकारी से पात्र निर्धारिती को यदि वह 1 अक्तूबर, 2009 को या उसके पश्चात् आय या हानि विवरणी में ऐसा कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है, जो ऐसे निर्धारिती के हित के प्रतिकूल है, निर्धारण के प्रस्तावित आदेश का एक प्ररूप अग्रेषित करने की अपेक्षा करने का उपबंध करता है।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि पात्र निर्धारिती को, जहां निर्धारण अधिकारी ऐसा कोई परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है, जो ऐसे निर्धारिती के हित के प्रतिकूल है, वहां विवाद समाधान पैनल को उसका आक्षेप दाखिल करने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

उक्त धारा की उपधारा (15) का खंड (ख), उक्त धारा के प्रयोजन के लिए 'पात्र निर्धारिती' को परिभाषित करता है।

उक्त खंड के उपखंड को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव भी है, ताकि 'पात्र निर्धारिती' की परिभाषा के अधीन अनिवासी, जो कंपनी या विदेशी कंपनी नहीं है, को सम्मिलित किया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का **खंड 71** आय-कर अधिनियम की धारा 156 का संशोधन करने के लिए है, जो मांग की सूचना से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि जब कोई कर, ब्याज, शास्ति जुर्माना या कोई अन्य राशि इस अधिनियम के अधीन पारित किसी आदेश के परिणामस्वरूप संदेय है, तब निर्धारण अधिकारी इस प्रकार संदेय राशि को विनिर्दिष्ट करने वाले ऐसे प्ररूप में, जो नियमों द्वारा उपबंधित किया जाए, मांग की सूचना को निर्धारिती पर तामील करेगा।

उक्त धारा का परंतुक यह उपबंध करता है कि जहां कोई राशि धारा 143 की उपधारा (1) या धारा 200क की उपधारा (1) या धारा 206गख की उपधारा (1) के अधीन निर्धारिती या कटौतीकर्ता या संग्रहकर्ता द्वारा संदेय होने के लिए अवधारित की जाती है, वहां इन उपधाराओं के अधीन सूचना इस धारा के प्रयोजनों के लिए मांग की सूचना समझी जाएगी।

उक्त धारा में उपधारा (2) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध जा सके कि जहां 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले, किसी निर्धारण वर्ष के निर्धारिती की आय, जिसके अंतर्गत धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (vi) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की आय भी है और ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या उक्त खंड में यथानिर्दिष्ट श्रमसाध्य साधारण शेयर, ऐसे वर्तमान नियोजक, जो धारा 80झकग में निर्दिष्ट एक पात्र स्टार्ट-अप है, द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः आबंटित या अंतरित किए जाते हैं, तब मांग की सूचना में सम्मिलित ऐसी आय पर कर या ब्याज सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से; निर्धारिती द्वारा ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयर के विक्रय की तारीख से या निर्धारिती की उस तारीख से, जिसको वह उस नियोजक का कर्मचारी नहीं रह जाता है, जिसने उसे ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साध्य साधारण शेयर आबंटित किए थे या अंतरित किए थे, से अड़तालीस मास की समाप्ति के पश्चात्, इनमें जो भी पूर्वतर हो, चौदह दिन के भीतर निर्धारिती द्वारा संदेय होंगे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 72** आय-कर अधिनियम की धारा 191 का संशोधन करने के लिए है, जो प्रत्यक्ष संदाय से संबंधित है।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि ऐसी आय के मामले में, जिसकी बाबत संदाय के समय आय-कर की कटौती करने के लिए उपबंध नहीं किया गया है और किसी अन्य दशा में, जहां अध्याय 17 के उपबंधों के अनुसार आय-कर की कटौती नहीं की गई है, निर्धारिती द्वारा आय-कर प्रत्यक्ष रूप से संदेय होगा। उक्त धारा का स्पष्टीकरण यह उपबंध करता है कि निर्धारिती जब ऐसी आय या उसके भाग पर उक्त धारा के अधीन प्रत्यक्ष रूप से आय-कर का संदाय करने में असफल रहता है तब वह व्यक्ति, जिससे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार में किसी धनराशि की कटौती करने की अपेक्षा है, को व्यतिक्रमी निर्धारिती के रूप में समझा जाएगा।

उक्त धारा में उपधारा (2) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष में निर्धारिती की आय में, धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (vi) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की आय और उक्त खंड में वर्तमान नियोजक, जो धारा 80झकग में निर्दिष्ट पात्र स्टार्ट-अप है, द्वारा भी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साध्य साधारण शेयर जो उक्त खंड में सदा विनिर्दिष्ट है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आबंटित या अंतरित किए जाते हैं, सम्मिलित है, तो निर्धारिती द्वारा ऐसी आय पर आय-कर सुसंगत निर्धारण वर्ष की समाप्ति से अड़तालीस मास की समाप्ति के पश्चात्, निर्धारिती द्वारा इस प्रकार विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साध्य साधारण शेयर के विक्रय की तारीख से या उस तारीख से जब निर्धारिती, ऐसे नियोजन, जिससे ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रम साध्य साधारण शेयर आबंटित या अंतरित किया है, का कर्मचारी नहीं रह जाता है, चौदह दिन के भीतर संदेय होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 73** आय-कर अधिनियम की धारा 192 का संशोधन करने के लिए है, जो वेतन से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य किसी आय संदाय के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, संदाय के समय उस वित्तीय वर्ष, जिसमें उस वित्तीय वर्ष के लिए इस शीर्ष के अधीन निर्धारिती की प्राक्कलित आय पर कर का संदाय किया जाता है, में प्रवृत्त दरों के आधार पर संगणित आय-कर की औसत दर पर संदेय रकम पर आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त धारा की उपधारा (1क) यह उपबंध करती है कि उपधारा (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी परिलब्धि की प्रकृति की ऐसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, जिसका धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (vi) में निर्दिष्ट मौद्रिक संदाय के रूप में उपबंध नहीं किया गया है, उस समय जब उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन ऐसा कर अन्यथा कटौती योग्य था, अपने विकल्प पर, उससे कोई कटौती किए बिना ऐसी संपूर्ण आय या उसके भाग पर कर का संदाय कर सकेगा।

नई उपधारा (1ग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (1क) के अधीन कर की कटौती करने या उसका संदाय करने के प्रयोजन के लिए, ऐसा व्यक्ति, जो धारा 80झकग में निर्दिष्ट स्टार्टअप है, 1 अप्रैल, 2021 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्व वर्ष में धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (vi) में विनिर्दिष्ट प्रकृति की परिलब्धि के रूप में निर्धारिती को किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, सुसंगत निर्धारण वर्ष के अंत से या निर्धारिती द्वारा ऐसी विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण शेयर के विक्रय की तारीख से, या उस तारीख से, जिसको निर्धारिती उस व्यक्ति का कर्मचारी नहीं रह जाता है, इसमें जो भी पूर्वतम हो, अड़तालीस मास के अवसान के पश्चात् चौदह दिन के भीतर, उस वित्तीय वर्ष, जिसमें उक्त विनिर्दिष्ट प्रतिभूति या श्रमसाध्य साधारण पूंजी आबंटित या अंतरित की जाती है, में प्रवृत्त दरों के आधार पर ऐसी आय पर कर की, यथास्थिति, कटौती या उसका संदाय करेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 74** आय-कर अधिनियम की धारा 194 का संशोधन करने के लिए है, जो लाभांश से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करती है कि भारतीय कंपनी का या ऐसी कंपनी का प्रधान अधिकारी, जिसने भारत में लाभांशों की (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी है) घोषणा और संदाय के लिए विहित इंतजाम कर लिए हैं, कोई नकद संदाय करने के पूर्व या किसी लाभांश की बाबत कोई चेक काटने या अधिपत्र देने के पूर्व या धारा 2 के खण्ड (22) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) या उपखंड (ग) या उपखंड (घ) या उपखंड (ङ) के अर्थ में किसी लाभांश का कोई वितरण या संदाय शेयर धारक को, जो भारत में निवासी है, करने के पूर्व, ऐसे लाभांश की रकम में से प्रवृत्त दरों के अनुसार आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे किसी भी ढंग द्वारा किए गए संदाय को इस धारा की परिधि क्षेत्र के अंतर्गत लाया जा सके और कर की कटौती की दर को प्रवृत्त दरों के स्थान पर दस प्रतिशत की दर के लिए भी उपबंध किया जा सके।

उक्त धारा के पहले परंतुक का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे किसी ढंग के माध्यम से कंपनी के लाभांश के लिए और उसकी सीमा को दो हजार पांच सौ रुपए से बढ़ाकर पांच हजार रुपए करने के लिए उपबंध किया जा सके।

उक्त धारा के तीसरे परंतुक का पारिणामिक रूप से लोप करने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का **खंड 75** आय-कर अधिनियम की धारा 194क का संशोधन करने के लिए है, जो "प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न ब्याज" से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब नहीं है और जो प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय से भिन्न ब्याज के रूप में कोई आय किसी निवासी को संदत्त करने का

उत्तरदायी है, पाने वाले के खाते में ऐसी आय को नकद या चैक अथवा ड्राफ्ट द्वारा या किसी अन्य रीति द्वारा जमा करते समय या संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, प्रवृत्त दरों के अनुसार उस पर आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त उपधारा का परंतुक उपबंध करता है कि ऐसा कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमाओं से अधिक हो जाता है, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा।

उक्त परंतुक को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यष्टि या अविभक्त हिन्दू कुटुंब, जिसका उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कारबार की दशा में एक करोड़ रुपए से या वृत्ति की दशा में पचास लाख रुपए से अधिक हो जाता है, उक्त धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा।

उक्त धारा की उपधारा (3), उन परिस्थितियों का उपबंध करती है, जिनमें उपधारा (1) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

उपधारा (3) का खंड (i) यह उपबंध करता है कि उपधारा (1) वहां लागू नहीं होगी, जहां, यथास्थिति, ऐसी आय की रकम या ऐसी आय की रकमों का योग, जो उस वित्तीय वर्ष के दौरान उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा पाने वाले को, संदत्त या जमा किया जाता है या उसके खाते में संदत्त या जमा की जाने की संभाव्यता है, कतिपय सीमा से अधिक नहीं होता है।

उक्त खंड का उपखंड (ख) यह उपबंध करता है कि जहां संदायकर्ता, बैंककारी कारबार करने में लगी हुई सहकारी सोसाइटी है। सीमा चालीस हजार रुपए होगी यदि पाने वाला वरिष्ठ नागरिक है, तो यह सीमा पचास हजार रुपए है।

उपधारा (3) का खंड (v) यह उपबंध करता है कि उपधारा (1) ऐसी आय को, जो किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा (किसी सहकारी बैंक से भिन्न) उसके किसी सदस्य के खाते में जमा की जाती है या उसे संदत्त की जाती है या ऐसी आय को, जो किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा किसी अन्य सहकारी सोसाइटी के खाते में जमा की जाती है या उसे संदत्त की जाती है, लागू नहीं होगी।

उपधारा (3) का खंड (viiक) यह उपबंध करता है कि उपधारा (1) ऐसी आय को लागू नहीं होगी, जो किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक प्रत्यय सोसाइटी या किसी सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक में निक्षेपों की बाबत जमा की गई है या संदत्त की गई है; और बैंककारी कारबार में लगी उपखंड (क) में निर्दिष्ट सहकारी सोसाइटी, या बैंक से भिन्न सहकारी सोसाइटी में (1 जुलाई, 1995 को या उसके पश्चात् किए गए सावधिक निक्षेपों से भिन्न) निक्षेपों की बाबत जमा की गई है या संदत्त की गई है।

उपधारा (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध करने के लिए एक परंतुक अंतःस्थापित किया जा सके कि खंड (v) या खंड (viiक) में निर्दिष्ट सहकारी, सोसाइटी उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, आय-कर की कटौती के लिए दायी होगी, यदि,—

(क) उस वित्तीय वर्ष के ठीक पहले के वित्तीय वर्ष के दौरान, जिसमें उपधारा (1) में निर्दिष्ट ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, सहकारी सोसाइटी का कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त पचास करोड़ रुपए से अधिक है ; और

(ख) वित्तीय वर्ष के दौरान जमा या संदत्त ब्याज की रकम या ऐसे ब्याज की कुल संदत्त, जमा या संदाय के लिए संभाव्य ब्याज की रकम पाने वाले के वरिष्ठ नागरिक होने की दशा में पचास हजार रुपए तथा किसी अन्य दशा में चालीस हजार रुपए से अधिक है।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि स्पष्टीकरण, जो "वरिष्ठ नागरिक" पद के अर्थ लिए उपबंध करता है, उक्त उपधारा के खंड (i) के स्थान पर उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए होगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का **खंड 76** आय-कर अधिनियम की धारा 194ग का संशोधन करने के लिए है, जो ठेकेदारों को संदाय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में उपबंध है कि ठेकेदार और किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के बीच किसी संविदा के अनुसार कोई काम (जिसके अंतर्गत किसी काम को करने के लिए श्रम का प्रदाय भी है) करने के लिए किसी निवासी को (जिसे ठेकेदार कहा गया है) किसी राशि का संदाय करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, ऐसी राशि को ठेकेदार के खाते में जमा करने के समय या नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से उसका संदाय करने के समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, ऐसी रकम के, जहां संदाय या प्रत्यय किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब को किया जा रहा है, एक प्रतिशत, जहां किसी व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब से भिन्न किसी व्यक्ति को संदाय या प्रत्यय किया जा रहा है, वहां दो प्रतिशत के बराबर रकम की, उसमें समाविष्ट आय पर आय-कर के रूप में कटौती करेगा।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण में खंड (i) के उपखंड (ठ) के मद (आ) में "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" पद की परिभाषा का उपबंध है, जिससे ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय है, यदि ऐसा व्यक्ति उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसी राशि ठेकेदार के खाते में जमा या संदत्त की गई है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन लेखाओं की संपरीक्षा करने के लिए दायी है।

उक्त उपखंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "विनिर्दिष्ट व्यक्ति" पद को परिभाषित किया जा सके, जिससे ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों का संगम या व्यष्टियों का निकाय है, यदि ऐसा व्यक्ति उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसी राशि ठेकेदार के खाते में जमा या संदत्त की गई है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके द्वारा किए जाने वाले कारबार की दशा में एक करोड़ रुपए या वृत्ति की दशा में पचास लाख रुपए से अधिक कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या व्यापार आवर्त है।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण का खंड (iv) का उपखंड (ड) जो "काम" को इस प्रकार परिभाषित करता है कि इसमें किसी ग्राहक की अपेक्षा या विनिर्देश के अनुसार ऐसे ग्राहक से की गई कच्ची सामग्री का उपयोग करके उत्पाद का विनिर्माण या प्रदाय करना सम्मिलित है, किंतु ऐसे ग्राहक से भिन्न किसी व्यक्ति से क्रय की गई सामग्री का उपयोग करके ग्राहक की अपेक्षा या विनिर्देश के अनुसार उत्पाद का विनिर्माण या प्रदाय करना, इसके अंतर्गत नहीं है।

उक्त उपखंड को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे "कार्य" में किसी ग्राहक की अपेक्षा या विनिर्देश के अनुसार ऐसे ग्राहक या उसके साथी, जो ऐसे ग्राहक के संबंध में वैसे ही रखा गया व्यक्ति है, जैसे धारा 40क की उपधारा (2) के खंड (ख) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन निर्धारिती के संबंध में रखा गया व्यक्ति है, से क्रय किए गए माल का उपयोग करके उत्पाद का विनिर्माण या प्रदाय करने को सम्मिलित करने का उपबंध किया जा सके। दीर्घ पंक्ति में, "या ऐसे ग्राहक के सहबद्ध" शब्द अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का **खंड 77** आय-कर अधिनियम की धारा 194ज का संशोधन करने के लिए है, जो कमीशन या दलाली से संबंधित है।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब नहीं है, और जो किसी निवासी को कमीशन (जो धारा 194घ में निर्दिष्ट बीमा कमीशन नहीं है) या दलाली के रूप में किसी आय का, 1 जून, 2001 को या उसके पश्चात् संदाय करने का उत्तरदायी है, पाने वाले के खाते में ऐसी आय को जमा करते समय या ऐसी आय का नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर

हो, उस पर पांच प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त धारा का दूसरा परंतुक यह उपबंध करता है कि ऐसा कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमाओं से अधिक हो जाता है, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा।

उक्त परंतुक को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यष्टि या अविभक्त हिन्दू कुटुंब, जिसका उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कारबार की दशा में एक करोड़ रुपए से या वृत्ति की दशा में पचास लाख रुपए से अधिक हो जाता है, उक्त धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 78** आय-कर अधिनियम की धारा 194झ का संशोधन करने के लिए है, जो किराया से संबंधित है।

उक्त धारा यह उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब नहीं है, और जो किसी निवासी को किराए के रूप में किसी आय का संदाय करने का उत्तरदायी है, पाने वाले के खाते में ऐसी आय जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर किसी मशीनरी या संयंत्र या उपस्कर के उपयोग के लिए, दो प्रतिशत ; और किसी भूमि या भवन (जिसके अंतर्गत कारखाना भवन भी है) या भवन से संलग्न भूमि (जिसके अंतर्गत कारखाना भवन भी है) या फर्नीचर या फिटिंग के उपयोग के लिए, दस प्रतिशत, आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त धारा का दूसरा परंतुक यह उपबंध करता है कि ऐसा कोई व्यष्टि, हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ब्याज जमा या संदत्त किया गया है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमाओं से अधिक हो जाता है, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा।

उक्त परंतुक को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यष्टि या अविभक्त हिन्दू कुटुंब, जिसका उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें किराए के रूप में ऐसी आय जमा या संदत्त की जाती है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कारबार की दशा में एक करोड़ रुपए से या वृत्ति के दौरान पचास लाख रुपए से अधिक हो जाता है, उक्त धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 79,** धारा 194ञ का द्दसंशोधन करने के लिए है, जो वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब नहीं है, जो किसी निवासी को वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, या किसी कंपनी के किसी निदेशक को कोई पारिश्रमिक या फीस या कमीशन, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, उनसे भिन्न, जिन पर धारा 192 के अधीन कर कटौती योग्य है ; या स्वामिस्व, या धारा 28 के खंड (vक) में निर्दिष्ट कोई राशि, के रूप में किसी राशि का संदाय करने का उत्तरदायी है, पाने वाले के खाते में ऐसी राशि जमा करते समय, या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, ऐसी राशि के दस प्रतिशत के बराबर रकम की, उसमें समाविष्ट राशि पर आय-कर के रूप में, कटौती करेगा।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कोई व्यक्ति, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब नहीं है और जो किसी निवासी को वृत्तिक सेवाओं के लिए फीस या तकनीकी सेवाओं के लिए फीस या किसी कंपनी के किसी निदेशक को कोई पारिश्रमिक या फीस या कमीशन, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, उनसे भिन्न, जिनण पर धारा 192 के अधीन कर कटौती योग्य है, या धारा 28 के खंड (vक) में निर्दिष्ट कोई राशि के रूप में किसी राशि का संदाय करने का उत्तरदायी है, पाने वाले के खाते में ऐसी राशि जमा करते समय,तकनीकी सेवाओं के (जो वृत्तिक सेवाएं नहीं हैं) फीस की दशा में ऐसी राशि के दो प्रतिशत तथा किसी अन्य दशा में, ऐसी राशि के दस प्रतिशत की, के बराबर रकम आय-कर के रूप में कटौती करेगा।

उक्त उपधारा का दूसरा परंतुक यह उपबंध करता है कि कोई व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त, उन वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमाओं से अधिक हो जाता है, इस धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा।

उक्त परंतुक को संशोधित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब, जिसका उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या वृत्ति से कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें ऐसा ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, वित्तीय वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कारबार की दशा में एक करोड़ रुपए से या वृत्ति की दशा में पचास लाख रुपए से अधिक हो जाता है, उक्त धारा के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का **खंड 80** एक नई धारा 194ट अंतःस्थापित करने के लिए है, जो यूनिटों की बाबत आय से संबंधित है।

उक्त धारा अन्य बातों के साथ-साथ, यह उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति, जो किसी निवासी को,—

(i) धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट परस्पर निधि की यूनिटों ; या

(ii) विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक से यूनिटों ;

(iii) विनिर्दिष्ट कंपनी से यूनिटों,

के संबंध में किसी आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, पानेवाले के खाते में ऐसी आय जमा करते समय, किसी ढंग् द्वारा उसका संदाय करते समय, इनमें जो भी पूर्वतर हो, उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।

यह उपबंध करने के लिए और प्रस्तावित है कि उक्त धारा के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां, यथास्थिति, ऐसी आय की रकम या ऐसी आय की कुल रकम, जो पाने वाले के खाते में या पाने वाले को संदत्त करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान जमा की गई है या उसको संदत्त की गई हैं या जमा की जानी या संदत्त की जानी संभाव्य है, पांच हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।

यह "प्रशासक", "विनिर्दिष्ट कंपनी" और "विनिर्दिष्ट उपक्रम" पद को परिभाषित करने के लिए भी प्रस्तावित है और यह स्पष्ट करने के लिए है कि जहां उक्त धारा में निर्दिष्ट कोई आय, किसी खाते में जमा की जाती है, जहां वह "उचंत खाते" के नाम से या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, जमा की जाती है वहां ऐसा जमा,पाने वाले के खाते में ऐसी आय का जमा किया जाना समझा जाएगा और इस धारा के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 81** आय-कर अधिनियम की धारा 194ठखक का संशोधन करने के लिए है, जो किसी कारबार न्यास के यूनिटों से कतिपय आय से संबंधित है।

उक्त धारा, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अपेक्षा करती है कि कोई कारबार न्यास, धारा 115पक में निर्दिष्ट आय, जो धारा 10 के खंड (23चग) के

उपखंड (क) या खंड (23चगक) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय है, के किसी निवासी को संदाय पर दस प्रतिशत की दर पर और किसी अनिवासी (जो कंपनी नही है) या विदेशी कंपनी को क्रमशः पांच प्रतिशत की दर पर आय के वितरण पर कर की कटौती करे।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे उक्त धारा से धारा 10 के खंड (23चग) के उपखंड (क) के प्रतिनिर्देश का लोप किया जा सके। इस प्रकार, कर की कटौती करने का दायित्व, धारा 115पक में निर्दिष्ट आय, जो धारा 10 के खंड (23चग) के या खंड (23चगक) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय है, के किसी निवासी को और किसी अनिवासी (जो कंपनी नहीं है) या विदेशी कंपनी को संदाय पर लागू होगा।

उक्त धारा की उपधारा (2) का भी संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 10 के खंड (23चग) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की दशा में आय के पांच प्रतिशत की दर और उक्त या खंड के उपखंड (ख) में निर्दिष्ट प्रकृति की आय की दशा में आय के दस प्रतिशत की दर पर कर की कटौती की जाएगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का **खंड 82** आय-कर अधिनियम की धारा 194ठग का संशोधन करने के लिए है, जो भारतीय कंपनी से ब्याज के रूप में आय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि भारत से बाहर किसी स्रोत से विदेशी मुद्रा में उधार ली गई धनराशियों के संबंध में, किसी अनिवासी को किसी विनिर्दिष्ट कंपनी या किसी कारबार न्यास द्वारा संदेय, उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी ब्याज पर पांच प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (1) में एक परंतुक यह उपबंध करने के लिए अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है कि उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (iख) में निर्दिष्ट ब्याज पर चार प्रतिशत विधारित कर की कटौती की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (2) वह ब्याज विनिर्दिष्ट करती है, जो केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जुलाई, 2020 के पूर्व किसी समय किसी ऋण करार के अधीन, 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 अक्तूबर, 2014 के पूर्व किसी समय दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों के निर्गमन के माध्यम से, 1 अक्तूबर, 2014 को या उसके पश्चात्, किन्तु 1 जुलाई, 2020 के पूर्व किसी समय किसी दीर्घकालिक बंधपत्र, जिसके अंतर्गत दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्र भी हैं, के निर्गमन के माध्यम से या 1 जुलाई, 2020 के पूर्व रुपए में अंकित बंधपत के निर्गमन द्वारा लिए गए उधारों पर पांच प्रतिशत विधारित कर के लिए पात्र है।

उक्त उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे 1 जुलाई, 2020 से 1 जुलाई, 2023 तक किसी ऋण करार के अधीन, दीर्घकालिक बंधपत्र, जिसके अंतर्गत अवसंरचना बंधपत्र भी हैं, के निर्गमन और रुपए में अंकित बंधपत्रों के निर्गमन के अधीन लिए गए उधारों के विरुद्ध ब्याज संदायों पर पांच प्रतिशत विधारित कर की अवधि का विस्तार किया जा सके।

भारत से बाहर किसी स्रोत से 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात्, परन्तु 1 जुलाई, 2023 के पूर्व किसी दीर्घकालिक बंधपत्र या रुपए में अंकित बंधपत्र, जो केवल किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र में स्थित मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है, के निर्गमन द्वारा विदेशी मुद्रा में उधार ली गई धनराशियों की बाबत, अनिवासी को देय ब्याज पर चार प्रतिशत की दर से विधारित कर का विस्तार करने के लिए उक्त धारा की उपधारा (2) के नए खंड (iख) को अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से लागू होंगे।

विधेयक का **खंड 83** आय-कर अधिनियम की धारा 194ठघ का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय बंधपत्रों और सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज के रूप में आय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) यह विनिर्दिष्ट करती है कि किसी भारतीय कंपनी के रुपए में अंकित बंधपत्र या किसी सरकारी प्रतिभूति में किए गए विनिधानों की बाबत 1 जुलाई, 2013 का या उसके पश्चात् किंतु 1 जुलाई, 2020 से पूर्व संदेय ब्याज पांच प्रतिशत के निम्नतर विधारण कर के लिए पात्र होगा।

उक्त उपधारा को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विधारण कर की पांच प्रतिशत की रियायती दर,—

(i) किसी भारतीय कंपनी या सरकारी प्रतिभूति के रुपए में अंकित बंधपत्र में किए गए विनिधानों की बाबत 1 जुलाई, 2013 को या उसके पश्चात् किंतु 1 जुलाई, 2023 से पहले ;

(ii) नगरपालिका ऋण प्रतिभूति में किए गए विनिधानों की बाबत 1 अप्रैल, 2020 को या उसके पश्चात् किंतु 1 जुलाई, 2023 से पहले,

संदेय ब्याज उपलब्ध होगी।

यह और उपबंध करने का प्रस्ताव है कि भारतीय कंपनी के रुपए में अंकित बंधपत्र की बाबत ब्याज की दर उस दर से अधिक नहीं होगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित की जाए।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण में एक नया खंड (खक) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिससे "नगरपालिका ऋण प्रतिभूति" पद को परिभाषित किया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का **खंड 84** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 194ण अंतःस्थापित करने के लिए है,जो ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा ई-वाणिज्य सहभागियों को कतिपय राशियों के संदाय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि इस अध्याय के भाग ख के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां किसी ई-वाणिज्य सहभागी के मालों का विक्रय या द्वारा सेवाओं की पूर्ति को किसी ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा अपने डिजिटल या इलैक्ट्रानिक सुविधा या प्लेटफार्म (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) के माध्यम से सुकर बनाया जाता है, तो ऐसा ई-वाणिज्यिक प्रचालक किसी ई-वाणिज्य सहभागी के खाते में विक्रय या सेवाओं या दोनों की रकम को जमा करते समय या किसी अन्य ढंग से ऐसे सहभागी को उसके संदाय के समय, जो भी पहले हो, ऐसे विक्रय या सेवाओं या दोनों की कुल रकम के एक प्रतिशत की दर पर आय-कर की कटौती करेगा। खंड यह और स्पष्ट करता है कि इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा सुकर बनाए गए मालों के विक्रय या सेवाओं की पूर्ति या दोनों के लिए सीधे किसी ई-वाणिज्य सहभागी को माल के क्रेता या सेवा के प्राप्तिकर्ता द्वारा किया गया कोई संदाय, ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा ई-वाणिज्य सहभागी को जमा या संदत्त की गई रकम समझी जाएगी और इस उपधारा के अधीन आय-कर की कटौती के प्रयोजन के लिए ऐसे विक्रय या सेवाओं की कुल रकम में सम्मिलित की जाएगी।

उक्त धारा की उपधारा (2) उपबंध करती है कि उपधारा (1) के अधीन कोई कटौती ऐसे किसी ई-वाणिज्य सहभागी के खाते में, जो व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब है, पूर्ववर्ष के दौरान जमा या संदत्त की गई अथवा जमा या संदत्त किए जाने के लिए संभाव्य किसी राशि से नहीं की जाएगी, जहां पिछले वर्ष के दौरान ऐसे विक्रय या सेवाओं या दोनों की कुल रकम दस लाख रुपए से अधिक नहीं है तथा ऐसे ई-वाणिज्य सहभागी ने ई-वाणिज्य प्रचालक को स्थायी लेखा संख्यांक या आधार संख्यांक प्रस्तुत कर दिया है।

उक्त धारा की उपधारा (3) उपबंध करती है कि इस अध्याय के भाग ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई संव्यवहार जिसके संबंध में ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा उपधारा (1) के अधीन कर की कटौती कर ली गई है, या जो उपधारा (2) के अधीन कटौती के लिए दायी नहीं है, इस अध्याय के भाग ख के किसी अन्य उपबंध के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का दायी नहीं होगा। यह और प्रस्ताव है कि उक्त उपधारा का उपबंध किसी ई-वाणिज्य प्रचालक द्वारा विज्ञापन देने के लिए या ऐसे किन्हीं अन्य सेवाओं की पूर्ति के लिए, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट माल या सेवाओं के विक्रय से संबंधित नहीं है, प्राप्त या प्राप्य किसी रकम या कुल रकमों के लिए उक्त उपधारा के लागू

होने को अपवर्जित करने का भी प्रस्ताव है।

उक्त धारा "इलैक्ट्रानिक वाणिज्य", "ई-वाणिज्य प्रचालक", "ई-वाणिज्य सहभागी" और "सेवा" पदों की परिभाषाओं के लिए भी उपबंध करती है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 85** आय-कर अधिनियम की धारा 195 का संशोधन करने के लिए है, जो अन्य राशियों से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक में यह उपबंध है कि धारा 115ण में निर्दिष्ट किसी लाभांश की बाबत इस धारा के अधीन कोई कटौती नहीं की जाएगी।

इस परंतुक का पारिणामिक रूप से लोप करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 86** आय-कर अधिनियम की धारा 196क का संशोधन करने के लिए है, जो अनिवासियों की बाबत आय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) उपबंध करती है कि धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि की बाबत कोई आय किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं है, या किसी विदेशी कंपनी को संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, पाने वाले के खाते में ऐसी आय जमा करते समय, या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर बीस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जो उक्त उपधारा में निर्दिष्ट "भारतीय यूनिट ट्रस्ट" शब्दों के स्थान पर, ''धारा 10 के खंड (35) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट कंपनी ; और आय को जमा करने योग्य या किसी अन्य ढंग से संदाय के लिए''शब्द प्रति स्थापित करने के लिए है।

इस उपधारा का परंतुक उपबंध करता है कि इस धारा के अधीन कोई कटौती किसी ऐसी आय से नहीं की जाएगी, जो 1 अप्रैल, 2003 को या उसके पश्चात् जमा या संदत्त की गई है।

उक्त उपधारा के परंतुक को लोप करने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का **खंड 87** आय-कर अधिनियम की धारा 196ग का संशोधन करने के लिए है, जो भारतीय कंपनी के विदेशी करेंसी बंधपत्रों या शेयरों के आय से संबंधित है।

उक्त धारा में यह उपबंध है कि जहां धारा 115कग में निर्दिष्ट बंधपत्रों या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों की बाबत ब्याज या लाभांशों के रूप में अथवा ऐसे बंधपत्रों या सार्वत्रिक निक्षेपागार रसीदों के अंतरण से उद्भूत दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में कोई आय अनिवासी को संदेय है, वहां ऐसा संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति पाने वाले के खाते में, ऐसी आय को जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चैक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे किसी ढंग से उसकी आय या संदाय के जमा को समर्थ बनाया जा सके।

उक्त धारा के परंतुक का लोप करने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का **खंड 88** आय-कर अधिनियम की धारा 196घ का संशोधन करने के लिए है, जो प्रतिभूतियों से विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ताओं की आय से संबंधित है।

उक्त धारा में, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध है कि जहां धारा 115कघ की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट ऐसी प्रतिभूतियों की बाबत कोई आय, जो धारा 194ठघ में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है किसी विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता को संदेय है वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, पाने वाले के खाते में ऐसी आय को जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर बीस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।

उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे किसी अन्य ढंग से आय या संदाय के जमा को समर्थ बनाया जा सके।

उक्त उपधारा के परंतुक का लोप करने का और प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का **खंड 89** आय-कर अधिनियम की धारा 197 का संशोधन करने के लिए है, जो निम्नतर दर पर कटौती के लिए प्रमाणपत्र से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का यह उपबंध करने के लिए परिणामिक रूप से संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे ऐसी धनराशियां, जिन पर, धारा 194ण के अधीन कर की कटौती किया जाना अपेक्षित है, निम्नतर दर पर कटौती के लिए प्रमाणपत्र की पात्र होंगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 90** आय-कर अधिनियम की धारा 203कक का संशोधन करने के लिए है, जो कटौती किए गए कर आदि का विवरण दिए जाने से संबंधित है।

उक्त धारा का लोप किए जाने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 91** आय-कर अधिनियम की धारा 204 का संशोधन करने के लिए है, जो "संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति" के अर्थ से संबंधित है।

उक्त धारा में एक नया खंड अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो भारत में निवासी नहीं है, वह व्यक्ति स्वयं या ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति या भारत में ऐसे व्यक्ति का कोई अभिकर्ता, जिसके अंतर्गत धारा 163 के अधीन अभिकर्ता के रूप में माना गया कोई व्यक्ति भी है, को इस धारा के अधीन "संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति" पद की परिभाषा के अर्थांतर्गत सम्मिलित किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 92** आय कर अधिनियम की धारा 206कक का संशोधन करने के लिए है जो स्थायी लेखा संख्यांक देने की अपेक्षा से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां धारा 194ण के अधीन कर की कटौती किए जाने की अपेक्षा है, वहां खंड (iii) के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे, मानो "बीस प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "पांच प्रतिशत" शब्द रखे गए हों।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 93** आय-कर अधिनियम की धारा 206ग का संशोधन करने के लिए है, जो एल्कोहाली लिकर, वनोत्पाद, स्क्रैप, आदि में व्यापार के कारबार से लाभ और अभिलाभ से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) यह उपबंध करती है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो विक्रेता है, क्रेता के लेखे में से क्रेता द्वारा संदेय रकम को विकलित करते समय या ऐसी रकम उक्त क्रेता से नकद रूप में या चैक या ड्राफ्ट लेकर या किसी अन्य ढंग से प्राप्त करते समय, इनमें से भी पूर्वतर हो, विनिर्दिष्ट प्रकृति के किसी माल के क्रेता से, ऐसी रकम के उतने प्रतिशत के बराबर राशि आय-कर के रूप में संगृहीत करेगा।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण का खंड (ग) यह उपबंध करता है कि "विक्रेता" से केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकारी या निगम या केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई

प्राधिकरण या कोई कंपनी या फर्म या सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत ऐसा व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब भी है, जिसका कुल विक्रय, उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या व्यवसाय से सकल प्राप्तियां या आवर्त उस वित्तीय वर्ष से, जिसमें उपधारा (1) की सारणी में विनिर्दिष्ट प्रकृति के माल का विक्रय किया जाता है, ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान धारा 44कख के खंड (क) या खंड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट धनीय सीमा से अधिक है।

उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब, जिसका कुल विक्रय, सकल प्राप्तियां या आवर्त उसके द्वारा किए जा रहे कारबार या व्यवसाय से, कारबार की दशा में एक करोड़ रुपए या वृत्ति की दशा में पचास लाख रुपए से अधिक उस वित्तीय वर्ष के दौरान है, जिसके ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के ऐसा ब्याज जमा या संदत्त किया जाता है, उक्त धारा के अधीन आय-कर के अधीन आय-कर की कटौती के लिए दायी होगा।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (1छ) अंतःस्थापित करने का और प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रत्येक व्यक्ति जो कोई ऐसा प्राधिकृत व्यौहारी है, जो किसी वित्तीय वर्ष में किसी ऐसे क्रेता से, जो भारत के बाहर ऐसी रकम प्रेषित करने वाला व्यक्ति है, भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत प्रेषण स्कीम के अधीन भारत के बाहर प्रेषण के लिए सात लाख रुपए या उससे अधिक रकम या रकमों का योग प्राप्त करता है ; या जो विदेश भ्रमण कार्यक्रम पैकेज का ऐसा विक्रेता है, जो ऐसे क्रेता से, जो ऐसा पैकेज क्रय करने वाला व्यक्ति है, कोई रकम प्राप्त करता है, किसी भी ढंग से क्रेता के लेखे में क्रेता द्वारा संदेय रकम विकलित करते समय या उक्त क्रेता से ऐसी रकम प्राप्त करते समय, इनसे जो भी पूर्वतर है, क्रेता से आय-कर के रूप में ऐसी रकम के पांच प्रतिशत के बराबर रकम संगृहीत करेगा। उक्त उपधारा के उपबंध तब लागू नहीं होंगे, यदि क्रेता इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का उत्तरदायी है और उसने ऐसी रकम की कटौती कर ली है। यह और उपबंध किया गया है कि इस धारा के उपबंध तब लागू नहीं होंगे, यदि क्रेता, केंद्रीय सरकार, कोई राज्य सरकार, कोई राज दूतावास, कोई उच्चायोग, कोई दूतावास आयोग, कौंसल कार्यालय, किसी विदेशी राज्य का व्यापार प्रतिनिधित्व, धारा 10 के खंड (20) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित कोई स्थानीय प्राधिकारी या ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उस अधिसूचना द्वारा अधिसूचित कोई अन्य व्यक्ति है।

उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए "प्राधिकृत व्यौहारी" और "विदेशी टूर पैकेज" पद को परिभाषित करने का प्रस्ताव भी है।

यह उपबंध करने के लिए उपधारा (1ज) अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो विक्रेता है, जो किसी पूर्ववर्ष में, उपधारा (1), उपधारा (1च) या उपधारा (1छ) में आने वाले माल से भिन्न, किसी ऐसे माल के, जिसका मूल्य या ऐसे मूल्य का योग पचास लाख रुपए से अधिक के मूल्य के या कुल मूल्य के विक्रय के प्रतिफल के रूप में कोई रकम प्राप्त करता है, ऐसी रकम की प्राप्ति के समय, क्रेता से आय-कर के रूप में पचास लाख रुपए से अधिक के विक्रय प्रतिफल की 0.1 प्रतिशत के बराबर राशि संगृहीत करेगा । इसके अतिरिक्त, इस उपधारा के उपबंध तब लागू नहीं होंगे, यदि क्रेता अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए दायी है और उसने ऐसी रकम की कटौती कर ली है ।

"विक्रेता" और "विक्रेता" पदों को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है।

उक्त धारा की उपधारा (2) का और संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के अधीन संग्रहण द्वारा कर वसूल करने की शक्ति वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी।

उक्त धारा की उपधारा (3) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के अधीन किसी रकम का संग्रहण करने वाला कोई भी व्यक्ति इस प्रकार संगृहीत रकम को विहित समय के भीतर केंद्रीय सरकार के खाते में या बोर्ड द्वारा यथानिर्दिष्ट संदाय करेगा।

उक्त धारा की उपधारा (6क) के पहले परंतुक का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसा कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) और उपधारा (1ग) के उपबंधों के अनुसार कर का संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी है, किसी क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार से प्राप्त रकम पर या क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार के खाते से विकलित रकम पर संपूर्ण कर या उसके किसी भाग का संग्रहण करने में असफल रहता है, ऐसे कर की बाबत व्यतिक्रमी निर्धारिती नहीं समझा जाएगा, यदि उस क्रेता या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार ने धारा 139 के अधीन अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत कर दी है और आय की उस विवरणी में आय की संगणना करने के लिए ऐसी रकम को हिसाब में लिया है और उस व्यक्ति ने आय की उस विवरणी में उसके द्वारा घोषित की गई आय पर देय कर का संदाय कर दिया है और वह व्यक्ति किसी लेखपाल से इस आशय का एक प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में, जो नियमों द्वारा विहित किया जाए, प्रस्तुत कर देता है।

"विक्रेता" पद को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है और उक्त धारा की उपयोज्यता केवल उपधारा (1) और उपधारा (1च) तक निर्बंधित करने के लिए है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का **खंड 94** आय-कर अधिनियम की नई धारा 234छ अंतःस्थापित करने के लिए है, जो विवरण या प्रमाणपत्र से संबंधित व्यतिक्रम के लिए फीस से संबंधित है।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि अधिनियम के उपबंधों के प्रति इस प्रभाव के बिना अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या कंपनी, धारा 35 की उपधारा (1क) के खंड (i) के अधीन विहित समय के भीतर कोई विवरण परिदत्त करने या कराए जाने में असफल रहती/रहता है या खंड (ii) के अधीन विहित प्रमाणपत्र देने में असफल रहती/ रहता है ; या संस्था या निधि द्वारा, यदि वह उपधारा (5) के खंड (viii) के अधीन विहित समय के भीतर विवरण परिदत्त करने या कराए जाने में असफल रहती है या धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (ix) के अधीन विहित प्रमाणपत्र देने में असफल रहती है, तो वह फीस के रूप में ऐसे प्रत्येक दिन में लिए, जिसके दौरान ऐसी असफलता जारी रहती है, दो सौ रुपए की राशि का संदाय करने का/की दायी होगा/होगी।

प्रस्तावित धारा की उपधारा (2) में यह उपबंध है कि उक्त फीस की रकम, उस रकम से अधिक नहीं होगी, जिसकी बाबत उसमें निर्दिष्ट असफलता हुई है और वह उपधारा (1) में उल्लिखित विवरण के परिदत्त किए जाने या कराए जाने से पहले संदत्त की जाएगी।

यह संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 95** आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 250 का संशोधन करने के लिए है, जो अपील में प्रक्रिया संबंधित है।

उक्त धारा में उपधारा (6ख), उपधारा (6ग) और उपधारा (6घ) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे, अन्य बातों के साथ, धारा 250 के अधीन अपील के निपटान के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम का उपबंध किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 96** आय-कर अधिनियम की धारा 253 का संशोधन करने के लिए है, जो अपील अधिकरण को अपील से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में किसी निर्धारिती द्वारा, अपील अधिकरण को, ऐसे कतिपय आदेशों के विरुद्ध, जिनसे वह व्यथित है, अपील करने के बारे में उपबंधित है। उक्त धारा के खंड (ग) में यह उपबंधित है कि कोई ऐसा आदेश धारा 12कक के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा पारित आदेश होगा।

उक्त खंड में धारा 12कख के प्रतिनिर्देश करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंधित किया जा सके कि निर्धारिती, यदि व्यथित व्यक्ति है तो वह धारा 12कख के अधीन प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा।

प्रस्तावित संशोधन आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 12कख के अंतःस्थापन का पारिणामिक संशोधन है जिसमें किसी न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण की

प्रक्रिया का उपबंध किया जा सके।

ये संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का **खंड 97** आय-कर अधिनियम की धारा 254 का संशोधन करने के लिए है, जो अपील अधिकरण के आदेशों से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2क) के पहले परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जो यह उपबंध करते हैं कि अपील अधिकरण, निर्धारिती द्वारा उक्त परंतुक के अधीन रोक का आदेश पास नहीं किया जाएगा, जब तक कि निर्धारिती इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर, ब्याज, फीस, शास्ति या कोई अन्य संदेय राशि को कम से कम बीस प्रतिशत जमा कर दिया हो या इसके संबंध में समान रकम की प्रतिभूति दे दी हो।

उक्त उपधारा के दूसरे परंतुक को प्रतिस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह प्रस्ताव किया जा सके कि, अपील प्राधिकरण द्वारा रोक का विस्तार प्रदान नहीं किया जायेगा, जहां ऐसी अपील रोक के आदेश में यथा विनिर्दिष्ट रोक की उक्त अवधि के भीतर निपटाई नहीं जाती है जब निर्धारिती ने इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदेय कर, ब्याज, फीस, शास्ति की रकम या किसी अन्य राशि का कम से कम बीस प्रतिशत जमा कर दिया हो या इसके संबंध में समान रकम की प्रतिभूति दे दी हो।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का **खंड 98** आय-कर अधिनियम की धारा 271ककघ अंतःस्थापित करने के लिए है, जो लेखा बहियों में मिथ्या या लोप की गई प्रविष्टियों के लिए शास्ति से संबंधित है।

एक नई धारा 271ककघ का अंतःस्थापन करने का प्रस्ताव है, जिसके अधीन किसी व्यक्ति पर शास्ति उद्ग्रहित की जाएगी, जिससे लेखा बहियां रखने की अपेक्षा है, यदि यह पाया जाता है कि लेखा बहियों में कोई मिथ्या प्रविष्टि है या किसी ऐसी प्रविष्टि का लोप किया गया है, जो उसकी कुल आय की संगणना करने के लिए सुसंगत है। ऐसा व्यक्ति, शास्ति के माध्यम से मिथ्या और लोप की गई प्रविष्टियों के समग्र रकम के समतुल्य राशि का संदाय करने के लिए दायी होगा। शास्ति, किसी अन्य व्यक्ति पर भी अधिरोपित की जाएगी, जो लेखा बहियां रखने की अपेक्षा किए जाने वाले व्यक्ति से कोई मिथ्या प्रविष्टि करवाता है या लोप करवाता है या लेखा बहियों में मिथ्या प्रविष्टि का किया जाना या लोप किया जाना कारित करवाता है। मिथ्या प्रविष्टियों में कूटरचित या मिथ्याकृत दस्तावेजों का उपयोग या उपयोग किए जाने का आशय सम्मिलित है, जैसे कोई मिथ्या बीजक या साधारणतया मिथ्या दस्तावेजी साक्ष्य ; या व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वास्तविक पूर्ति किए बिना माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति या प्राप्ति के संबंध में या ऐसे माल की प्राप्ति के लिए जारी बीजक ; या माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति या प्राप्ति के संबंध में किसी व्यक्ति, जो विद्यमान नहीं है, से प्राप्त बीजक।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 99** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 271ट अंतःस्थापित करने के लिए है, जो विवरण, आदि दिए जाने में असफलता के लिए शास्ति से संबंधित है।

प्रस्तावित धारा में यह उपबंध है कि अधिनियम के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि शास्ति के रूप में ऐसी राशि, जो दस हजार रुपए से कम की नहीं होगी, किन्तु जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी, धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) या खंड (iii) में निर्दिष्ट अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था या खंड (iiक) में निर्दिष्ट कंपनी द्वारा संदत्त की जाएगी, यदि वह उपधारा (1क) के खंड (i) के अधीन विहित समय के भीतर कोई विवरण परिदत्त करने या कराए जाने में असफल रहती/रहता है या खंड (ii) के अधीन विहित प्रमाणपत्र देने में असफल रहती/रहता है ; या संस्था या निधि द्वारा, यदि वह धारा 80छ की उपधारा (5) के खंड (viii) के अधीन विहित समय के भीतर विवरण परिदत्त करने या कराए जाने में असफल रहती है या उपधारा (5) के खंड (ix) के अधीन विहित प्रमाणपत्र देने में असफल रहती है।

यह संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 100** आय-कर अधिनियम की धारा 274 का संशोधन करने के लिए है, जो अधिनियम के अध्याय 21 के अधीन शास्ति अधिरोपित किए जाने की प्रक्रिया से संबंधित है।

उक्त धारा में उपधारा (2क), उपधारा (2ख) और उपधारा (2ग) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे अन्य बातों के साथ अधिक दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही देने के लिए अधिनियम के अध्याय 21 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्कीम का उपबंध किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 101** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 285खख अंतःस्थापित करने के लिए है, जो वार्षिक सूचना विवरण से संबंधित है, जो यह उपबंध करता है कि विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति एक वार्षिक सूचना विवरणी ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी सूचना के साथ, जो आय-कर प्राधिकारी के कब्जे में हो, जो विहित की जाए, निर्धारिती के रजिस्ट्रीकृत लेखा में अपलोड करेगा।

यह संशोधन 1 जून, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 102** आय-कर अधिनियम की धारा 288 का संशोधन करने के लिए है, जो प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा हाजिरी से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) में, अन्य बातों के साथ-साथ, "प्राधिकृत प्रतिनिधि" की परिभाषा का उपबंध है, जो उक्त अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में किसी आय-कर प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष हाजिर होने के लिए हकदार या अपेक्षित होगा।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो बोर्ड द्वारा नियमों द्वारा विहित किया जाए, प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में हाजिर होने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 103** आय-कर अधिनियम की धारा 295 का संशोधन करने के लिए है, जो नियम बनाने की शक्ति से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में यह उपबंधित है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए नियम, भारत के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगा।

उक्त धारा की उपधारा (2) में ऐसे विषय प्रगणित हैं, जिनके लिए उपधारा (1) के अधीन नियमों का उपबंध किया जा सकेगा।

उक्त उपधारा (2) के खंड (ख) में वह विषय उपबंधित है, जिसके लिए बोर्ड द्वारा नियमों का उपबंध किया जा सकेगा, वह रीति, जिसमें और प्रक्रिया, जिसके द्वारा कतिपय दशाओं में आय परिकलित की जाएगी।

उक्त खंड (ख) का, उसमें उपखंड (iiक) अंतःस्थापित करके, संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों में, ऐसी रीति, जिसमें और ऐसी प्रक्रिया, जिसके द्वारा किसी अनिवासी द्वारा भारत में की जा रही संक्रियाओं की दशा में आय परिकलित की जाएगी, का उपबंध किया जा सकेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

उक्त खंड (ख) का, उसमें उपखंड (iiख) अंतःस्थापित करके, संशोधन करने का और प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों में, ऐसी रीति, जिसमें और ऐसी प्रक्रिया, जिसके द्वारा किसी अनिवासी के संव्यवहार या क्रियाकलापों की दशा में आय परिकलित की जाएगी, का उपबंध किया जा सकेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2022 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2022-2023 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 104** आय-कर अधिनियम की पहली अनुसूची के नियम 5 का संशोधन करने के लिए है, जो अन्य बीमा कारबार के लाभों और अभिलाभों की संगणना से संबंधित है।

उक्त नियम में यह उपबंध है कि जीवन बीमा से भिन्न बीमा के किसी कारबार के लाभों और अभिलाभों को बीमा अधिनियम, 1938 या उसके अधीन बनाए गए नियम या बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 या उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबंधों के अनुसार तैयार लाभ और हानि लेखे में यथा प्रकट कर और विनियोगों से पहले लाभ के रूप में इस शर्त के अध्यधीन लिया जाएगा कि लाभ और हानि लेखे से विकलित कोई व्यय, जो धारा 30 से धारा 43ख के उपबंधों के अधीन अनुज्ञेय नहीं है, वापस जोड़ दिया जाएगा ; विनिधान की वसूली पर कोई भी अभिलाभ या हानि, यथास्थिति, जोड़ी या घटा दी जाएगी, यदि उसे लाभ और हानि लेखे में जमा या विकलित नहीं किया गया है ; लाभ और हानि लेखे से विकलित विनिधान के मूल्य में कमी के किसी निवेश को वापस जोड़ दिया जाएगा।

उक्त नियम में, एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 43ख के अधीन निर्धारिती द्वारा संदेय ऐसी किसी भी राशि को, जिसे उक्त नियम के खंड (क) के अनुसार वापस जोड़ दिया गया है, उस पूर्ववर्ष में, जिसमें ऐसी राशि वास्तव में संदत्त की गई है, आय की संगणना में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2020-2021 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

सीमाशुल्क

विधेयक का **खंड 105** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (च) का संशोधन करने के लिए है, जिससे सोना या चांदी के साथ किसी अन्य माल को सम्मिलित किए जाने के लिए केंद्रीय सरकार को ऐसे मालों के अनियंत्रित आयात या निर्यात के कारण अर्थव्यवस्था को होने वाली किसी क्षति के निवारण के लिए ऐसे मालों के आयात या निर्यात को या तो पूर्ण रूप से या सशर्त प्रतिषिद्ध करने के लिए समर्थ बनाया जा सके।

विधेयक का **खंड 106** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28 के स्पष्टीकरण 4 को प्रतिस्थापित करने के लिए यह उपबंध करने के लिए है कि अपील अधिकरण या किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी ऐसे मामलों में, जहां अनुद्ग्रहण, कम उद्ग्रहण, असंदाय, कम संदाय या भूल से प्रतिदाय के लिए सूचना, 29 मार्च, 2018 के पहले, जो वित्त अधिनियम, 2018 थी के प्रारंभ की तारीख जारी की गई है, वहां ऐसी सूचना धारा 28 के उपबंधों द्वारा वैसे ही शासित होती रहेगी जैसे वह उस तारीख से ठीक पहले विद्यमान थी। यह संशोधन वित्त अधिनियम, 2018 के प्रारंभ की तारीख 29 मार्च, 2018 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

विधेयक का खंड **107** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28ककक का संशोधन करने के लिए है जिससे विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अतिरिक्त, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन लिखतों के उपयोग के विरुद्ध या केन्द्रीय सरकार की किसी स्कीम के अधीन किसी व्यक्ति से शुल्क की वसूली का उपबंध किया जा सके। यह धारा 51ख के अधीन जारी शुल्क प्रत्यय को सम्मिलित करने के लिए, "लिखत" पद की परिधि का विस्तार करने के लिए भी है।

विधेयक का **खंड 108** सीमाशुल्क अधिनियम में एक नया अध्याय 5कक और नई धारा 28घक अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे व्यापार करार के अधीन उद्भव नियमों के प्रशासन और भारत सरकार और विदेशी या संघ राज्यक्षेत्र या आर्थिक संघ की सरकार के बीच किए गए व्यापार करार के अधीन आयातित माल पर शुल्क की अधिमानी दर के दावे के संबंध में प्रक्रिया अधिकथित करने का उपबंध किया जा सके।

विधेयक का **खंड 109** सीमाशुल्क अधिनियम के अध्याय 7क के शीर्ष को "और इलैक्ट्रानिक शुल्क जमा खाता" शब्द अंतःस्थापित करने हेतु संशोधन करने के लिए है।

विधेयक का **खंड 110** सीमाशुल्क अधिनियम में एक नई धारा 51ख अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे सीमाशुल्क स्वचालित प्रणाली में इलैक्ट्रानिक शुल्क प्रत्यय खाता के सृजन और इसके उपयोजन की रीति का उपबंध किया जा सके।

विधेयक का **खंड 111** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 111 में एक नया खंड (थ) अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे अध्याय 5कक के उपबंधों के उल्लंघन में अनुचित रूप से आयातित माल का अधिहरण का उपबंध किया जा सके।

विधेयक का **खंड 112** धारा 156 की उपधारा (2) में एक नया खंड (झ) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे केंद्रीय सरकार को अध्याय 5कक के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए प्ररूप, समय सीमा, रीति, परिस्थितियां, शर्तें, निर्बंधन और अन्य विषयों का उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके।

विधेयक का **खंड 113** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 157 का संशोधन करने के लिए है जिससे बोर्ड को इलैक्ट्रानिक शुल्क खाते को बनाए रखने, उस खाते से संदाय करने, किसी व्यक्ति के खाते से किसी अन्य व्यक्ति के खाते में जमा शुल्क के अंतरण की रीति, उससे संबंधित शर्तों, निर्बंधनों और समयसीमा के लिए विनियम बनाने हेतु सशक्त किया जा सके।

सीमाशुल्क टैरिफ

विधेयक का **खंड 114** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 8ख को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिससे केंद्रीय सरकार को ऐसे रक्षोपायों, जिनके अंतर्गत घरेलू उद्योग को होने वाली गंभीर क्षति से निवारित करने के लिए किसी वस्तु के आयातों की बढ़ी हुई मात्रा को नियंत्रित करने के लिए टैरिफ दर कोटा भी है, को लागू किए जाने के लिए सशक्त किया जा सके।

विधेयक का **खंड 115** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का संशोधन करने के लिए है, जिससे—

(क) कतिपय टैरिफ मदों के संबंध में टैरिफ दरों को दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से पुनरीक्षित किया जा सके ;

(ख) नए टैरिफ अनुक्रमों का तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से सृजन किया जा सके।

केंद्रीय माल और सेवा कर

विधेयक का **खंड 116** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (114) का संशोधन करने के लिए है, जिससे "संघ राज्यक्षेत्र" की परिभाषा को जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 और 'दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलयन) अधिनियम, 2019 के अनुरूप किया जा सके।

विधेयक का **खंड 117** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (2) के खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) का संशोधन करने के लिए है, जिससे उक्त अधिनियम की उपधारा (1) और उपधारा (2क) के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प लेने के लिए पात्रता की शर्तों को सुमेलित किया जा सके।

विधेयक का **खंड 118** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (4) का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि इनपुट कर प्रत्यय का लाभ लेने के प्रयोजनों के लिए अंतर्निहित बीजक के जारी किए जाने की तारीख से नामे नोट के जारी किए जाने की तारीख को असंबद्ध किया जा सके।

विधेयक का **खंड 119** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) के खंड (ग) का संशोधन करने के लिए है, जिससे धारा 25 की उपधारा (3) के अधीन स्वैच्छया अभिप्राप्त रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण का उपबंध किया जा सके।

विधेयक का **खंड 120** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) में परंतुक को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जिससे अधिकारिता

वाले कर प्राधिकारियों को रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के आवेदन के लिए उपबंधित अवधि को विस्तारित करने हेतु सशक्त किया जा सके।

विधेयक का **खंड 121** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 31 का संशोधन करने के लिए है, जिससे सरकार को, उन सेवाओं या प्रदायों के प्रवर्गों, जिनके संबंध में कर बीजक जारी किए जाएंगे तथा उनके जारी किए जाने के समय और रीति से संबंधित नियम बनाने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

विधेयक का **खंड 122** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 51 का संशोधन करने के लिए है, जिससे सरकार को ऐसा प्रारूप और ऐसी रीति, जिसमें स्रोत पर कर कटौती का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त किया जा सके।

विधेयक का **खंड 123** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 109 की उपधारा (6) का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र में लागू अपील अधिकरण और उसकी न्यायपीठों के लिए उपबंध किया जा सके।

विधेयक का **खंड 124** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 122 में एक नई उपधारा (1क) अंतःस्थापित करने के लिए है, जिससे कतिपय संव्यवहारों के फायदाग्राही को, जिसकी प्रेरणा पर ऐसे संव्यवहार संचालित किए जाते हैं, शास्ति के लिए दायी बनाया जा सके।

विधेयक का **खंड 125** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 132 का संशोधन करने के लिए है, जिससे धारा 69 की उपधारा (1) के अधीन इनपुट कर प्रत्यय को बीजक या बीजक के बिना कपटपूर्ण उपभोग लेने के अपराध को संज्ञेय और अजमानतीय बनाया जा सके और ऐसे किसी व्यक्ति को, जो कतिपय संव्यवहारों के फायदे को प्रतिधारित करता है और जिसकी प्रेरणा पर ऐसे संव्यवहार संचालित किए जाते हैं, दंड के लिए दायी बनाया जा सके।

विधेयक का **खंड 126** इनपुट कर प्रत्यय के लिए संक्रमणकालीन ठहरावों से संबंधित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 140 का संशोधन करने के लिए है, जिससे विद्यमान विधि के अधीन कतिपय उपभोग न किए गए प्रत्यय के विरुद्ध इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करने के लिए समय-सीमा और रीति विहित की जा सके। यह संशोधन 1 जुलाई, 2017 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 127** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 168 का संशोधन करने के लिए है, जिससे अधिकारिता वाले आयुक्तों को, धारा 66 की उपधारा (5) और धारा 143 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन भी शक्तियों का प्रयोग करने हेतु समर्थ बनाने के लिए उपबंध किया जा सके।

विधेयक का **खंड 128** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 172 का संशोधन करने के लिए है, जिससे कि उक्त अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से कठिनाइयों को दूर करने के लिए समयसीमा को तीन वर्ष से विस्तारित कर पांच वर्ष किया जा सके।

विधेयक का **खंड 129** केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 4 का संशोधन करने के लिए है, जिससे "चाहे वह प्रतिफल के लिए है या नहीं" शब्दों का लोप किया जा सके और उक्त पैरा की प्रविष्टि (क) और प्रविष्टि (ख) के अर्थ को स्पष्ट किया जा सके। यह संशोधन 1 जुलाई, 2017 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 130,** 1 जुलाई, 2017 से 30 सितंबर, 2019 (दोनों दिन सम्मिलित) तक की अवधि के दौरान मत्स्य आहार के प्रदाय पर केंद्रीय कर से भूतलक्षी रूप से छूट प्रदान करने के लिए है।

यह, 1 जुलाई, 2017 से 31 दिसंबर, 2018 (दोनों दिन सम्मिलित) तक की अवधि के दौरान (शीर्ष 8483 के अंतर्गत आने वाले) घिर्नी, पहिए और अन्य पुर्जो तथा जिन्हें शीर्ष 8432, 8433 और 8436 की कृषि मशीनरी के पुर्जो के रूप में प्रयोग किया गया है, के प्रदाय पर छह प्रतिशत की घटी दर से केंद्रीय कर का भूतलक्षी रूप से उद्ग्रहण के लिए और उपबंध करने के लिए है।

यह भी उपबंध करने के लिए है कि उस कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा जिसे पहले ही संगृहीत किया गया है।

विधेयक का **खंड 131,** भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 708(अ), तारीख 30 सितंबर, 2017, 1 जुलाई, 2017 से भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए है।

एकीकृत माल और सेवा कर

विधेयक का **खंड 132,** एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 25 का संशोधन करने के लिए है जिससे उक्त अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से उसके अधीन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपबंधित समय-सीमा को तीन वर्ष से विस्तारित कर पांच वर्ष किया जा सके।

विधेयक का **खंड 133,** 1 जुलाई, 2017 से 30 सितंबर, 2019 (दोनों दिन सम्मिलित) तक की अवधि के दौरान मत्स्य आहार के प्रदाय पर एकीकृत कर से भूतलक्षी रूप से छूट प्रदान करने के लिए है।

इसमें 1 जुलाई, 2017 से 31 दिसंबर, 2018 (दोनों दिन सम्मिलित) तक की अवधि के दौरान (शीर्ष 8483 के अंतर्गत आने वाली) घिर्नी, पहिए और अन्य पुर्जें तथा जिन्हें शीर्ष 8432, 8433 और 8436 की कृषि मशीनरी के पुर्जों के रूप में प्रयोग किया गया है, के प्रदाय पर बारह प्रतिशत की घटी दर से एकीकृत कर का भूतलक्षी रूप से उद्ग्रहण का और उपबंध करने के लिए है।

यह और भी उपबंध करने के लिए है कि उस कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा जिसे पहले ही संगृहीत किया गया है।

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर

विधेयक का **खंड 134** संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 1 का संशोधन करने के लिए है, जिससे दादरा और नागर हवेली, संघ राज्यक्षेत्र और दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र की प्रास्थिति में परिवर्तन को प्रभावी किया जा सके और उक्त अधिनियम को लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र को लागू किया जा सके।

विधेयक का **खंड 135** संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है, जिससे जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 और दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव (संघ राज्यक्षेत्रों का विलय) अधिनियम, 2019 के अनुरूप "संघ राज्यक्षेत्र" की परिभाषा का संरेखण किया जा सके।

विधेयक का **खंड 136** संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 26 का संशोधन करने के लिए है, जिससे उक्त अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से उसके अधीन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपबंधित समय सीमा को तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष किया जा सके।

विधेयक का **खंड 137,** 1 जुलाई, 2017 से 30 सितंबर, 2019 (दोनों दिन सम्मिलित हैं) तक की अवधि के दौरान मत्स्य आहार के प्रदाय पर संघ राज्यक्षेत्र कर से भूतलक्षी रूप से छूट प्रदान करने के लिए है।

यह, 1 जुलाई, 2017 से 31 दिसंबर, 2018 (दोनों दिन सम्मिलित हैं) तक की अवधि के दौरान (शीर्ष 8483 के अंतर्गत आने वाले) घिर्नी, पहिए और अन्य पुर्जों तथा जिन्हें शीर्ष 8432, 8433 और 8436 की कृषि मशीनरी के पुर्जों के रूप में प्रयोग किया गया है, के प्रदाय पर छह प्रतिशत की घटी दर से संघ राज्यक्षेत्र कर का भूतलक्षी रूप से उद्ग्रहण के लिए और उपबंध करने के लिए है।

यह और भी उपबंध करने के लिए है कि उस कर का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा जिसे पहले ही संगृहीत किया गया है।

माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर)

विधेयक का **खंड 138** माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम की धारा 14 का संशोधन करने के लिए है, जिससे उक्त अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से उसके अधीन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपबंधित समय सीमा को तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष किया जा सके।

स्वास्थ्य उपकर

विधेयक का **खंड 139** चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी माल पर सीमाशुल्क के रूप में पांच प्रतिशत की दर पर स्वास्थ्य उपकर का उद्ग्रहण का उपबंध करने के लिए है।

प्रकीर्ण

विधेयक के **खंड 140** से **खंड 142** भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 के कतिपय उपबंधों का संशोधन करने के लिए है जिससे—

(क) उक्त अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (2) में, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अधीन स्थापित किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थापित स्टॉक एक्सचेंज और निक्षेपागारों में संव्यवहार की लिखतों के संबंध में कोई स्टांप शुल्क से छूट का उपबंध करने के लिए एक परंतुक अंतःस्थापित किया जा सके।

(ख) उक्त अधिनियम में एक नई धारा 73ख, केंद्रीय सरकार को इस अधिनियम के अध्याय 2 के भाग कक के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए भूतलक्षी रूप से निदेश जारी करने और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक को अनुदेश, परिपत्र और मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने हेतु प्राधिकृत करने के लिए सशक्त करने हेतु अंतःस्थापित की जा सके।

विधेयक का **खंड 143** बेनामी संपत्ति संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 की धारा 9 का संशोधन करने के लिए है, जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की अर्हताओं से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) में कोई व्यक्ति, न्याय निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए तभी अर्हित होगा, जब वह भारतीय राजस्व सेवा का सदस्य रहा हो और वह उस सेवा में आय-कर आयुक्त या उसके समतुल्य पद धारण कर चुका हो या भारतीय विधिक सेवा का सदस्य रहा हो और वह या उस सेवा में संयुक्त सचिव या समतुल्य पद धारण कर चुका हो।

उक्त उपधारा में खंड (ख) को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति, जो जिला न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के लिए अर्हित है, उक्त अधिनियम के अधीन न्यायनिर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए भी पात्र होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होगा।

विधेयक का **खंड 144** निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 की धारा 8 का संशोधन करने के लिए है, जो अन्य सेवा शर्तों से संबंधित है।

धारा 8 में, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को, ऐसे किरायामुक्त आवास, वाहन सुविधाओं, सत्कार भत्ते, चिकित्सा सुविधाओं के मूल्य पर और अन्य सेवा शर्तों के संबंध में आय-कर से छूट देने का उपबंध है, जैसा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 के अध्याय 4 और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के लिए लागू हैं।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को, ऐसे किरायामुक्त आवास, वाहन सुविधाओं, सत्कार भत्ते, चिकित्सा सुविधाओं के मूल्य पर और अन्य सेवा शर्तों के संबंध में, आय-कर से दी गई छूट को, जैसी वे उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के लिए लागू हैं, समाप्त किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2021 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2021-2022 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

विधेयक का **खंड 145** वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची को पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से प्रतिस्थापित करने के लिए है।

विधेयक का **खंड 146** वित्त अधिनियम, 2013 की धारा 116 का संशोधन करने के लिए है, जो परिभाषाओं से संबंधित है।

उक्त धारा के खंड (7) में "कराधेय वस्तु संव्यवहारों" को परिभाषित किया गया है। उक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे "माल के विकल्प का विक्रय" और कीमतों या वस्तु व्युत्पन्नियों की कीमतों में सूचकों पर आधारित वस्तु व्युत्पन्नियों के विक्रय" को उक्त परिभाषा की परिधि में लाया जा सके।

इसमें उक्त धारा के खंड (8) का संशोधन करने का और प्रस्ताव है जिससे "अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952" पदों के स्थान पर, "प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956" को प्रतिस्थापित किया जा सके और उसमें "जारी अधिसूचना" शब्दों को अंतःस्थापित किया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

विधेयक का **खंड 147** उक्त अधिनियम की धारा 117 का संशोधन करने के लिए है जो वस्तु संव्यवहार कर के प्रभार से संबंधित है।

उक्त धारा की सारणी को एक नई सारणी से प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है।

विधेयक का **खंड 148** उक्त अधिनियम की धारा 118 का पारिणामिक संशोधन करने के लिए है, जो कराधेय वस्तु संव्यवहार के मूल्य से संबंधित है।

विधेयक का **खंड 149** उक्त अधिनियम की धारा 119, धारा 120 और धारा 132क का संशोधन करने के लिए है जिससे "मान्यताप्राप्त संगम" शब्दों के स्थान पर "मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज" शब्द से प्रतिस्थापित किया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी होंगे।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक के उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ, उसमें यथाविनिर्दिष्ट विभिन्न प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार को अधिसूचना जारी करने के लिए और बोर्ड को नियम बनाने के लिए सशक्त करते हैं।

विधेयक का **खंड 5** आय-कर अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करने के लिए है, जो भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत होने के लिए समझी गई आय से संबंधित है। उक्त धारा का प्रस्तावित नया स्पष्टीकरण 2क बोर्ड को, नियमों द्वारा, किन्हीं माल, सेवाओं या संपत्ति के संबंध में संव्यवहार से "कुल संदाय" की रकम का उपबंध करने के लिए सशक्त बनाता है, जो भारत में प्रोद्भूत या उद्भूत हुआ समझा जाएगा।

विधेयक का **खंड 7** आय-कर अधिनियम की धारा 10 का संशोधन करने के लिए है, जो आय, जो कुल आय के अंतर्गत नहीं आती है, से संबंधित है।

उक्त धारा का खंड (23ग) का प्रस्तावित संशोधन बोर्ड को नियमों द्वारा ऐसे प्ररूप और रीति का उपबंध करने के लिए सशक्त करता है जिसमें दूसरे परन्तुक के खंड (i), खंड (ii) के उपखंड (ख) और खंड (iii) के अधीन आदेश पारित किया जाना है।

उक्त धारा का प्रस्तावित नया खंड (23चङ), केंद्रीय सरकार को, "ऐसा अन्य कारबार", अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, जिससे किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति की उसके द्वारा भारत में किए गए विनिधान से जहां कतिपय शर्तों में, ऋण या इक्विटी के प्ररूप में उद्भूत लाभांश, हित या दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों की प्रकृति की किसी आय के संबंध में छूट का उपबंध करता है।

विधेयक का **खंड 12** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 12कख अतःस्थापित करने के लिए है, जो नए रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया से संबंधित है। प्रस्तावित नई धारा 12कख की उपधारा (3) बोर्ड को नियमों द्वारा ऐसे प्ररूप और रीति का उपबंध करने के लिए सशक्त करती है जिसमें उक्त उपधारा के अधीन आदेश पारित किया जाएगा।

विधेयक का **खंड 13** आय-कर अधिनियम की धारा 17 का संशोधन करने के लिए है, जो "वेतन" "परिलब्धि" और "वेतन के बदले में लाभ" से संबंधित है। उक्त धारा का प्रस्तावित संशोधन बोर्ड को नियमों द्वारा ब्याज, लाभांश या वैसी ही प्रकृति की किसी अन्य रकम के रूप में आय की संगणना की रीति का प्रबंधन करने के लिए सशक्त करता है।

विधेयक का **खंड 17** आय-कर अधिनियम की धारा 35 का संशोधन करने के लिए है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (1) का प्रस्तावित नया पांचवां परंतुक, अनुसंधान संगम, विश्वविद्यालय,महाविद्यालय या कंपनी द्वारा विहित प्राधिकारी को सूचना देने के प्ररूप और रीति को नियमों द्वारा विहित करने के लिए बोर्ड को सशक्त करता है।

प्रस्तावित नई उपधारा (1क) बोर्ड को विवरण तैयार करने, ऐसे विवरण की समय अवधि, सत्यापन का प्ररूप और रीति, ऐसी विवरणियों की विशिष्टियां और उन्हें प्रस्तुत करने के समय का उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए बोर्ड को सशक्त करती है। बोर्ड को सशक्त करने का यह और प्रस्ताव कि वह उसके संशोधन विवरण के सत्यापन का प्ररूप तथा रीति के लिए नियम बनाए। उक्त उपधारा के अधीन दाता को दिए जाने वाले प्रमाणपत्र की रीति, विशिष्टियों तथा समय के संबंध में नियम बनाने के लिए बोर्ड को सशक्त करने का भी प्रस्ताव है।

विधेयक का **खंड 21** कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ से आय के सुसंगत कतिपय पदों की परिभाषा से आय-कर अधिनियमन की धारा 43 का संशोधन करने के लिए है।

उक्त धारा के स्पष्टीकरण 2 का प्रस्तावित संशोधन किसी "मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज" द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों को नियमों द्वारा उपबंध करने के लिए बोर्ड को सशक्त करता है। यह केन्द्रीय सरकार को उसे अधिसूचित करने के लिए भी सशक्त करता है।

विधेयक का **खंड 33** आय-कर अधिनियम की धारा 80छ का संशोधन करने के लिए है, जो कतिपय निधियों, पूर्त संस्थाओं, आदि को दान की बाबत कटौती से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (5) का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे बोर्ड को, उक्त विवरण में दी गई सूचना में किसी त्रुटि का सुधार करने के लिए विवरण, समयावधि, सत्यापन का प्ररूप और रीति, विशिष्टियां और संशोधित विवरण के परिदान का समय, नियमों द्वारा उपबंध करने के लिए सशक्त कर सके। यह दान के प्रमाणपत्र के लिए रीति, विशिष्टियां और समय के संबंध में नियम बनाने के लिए बोर्ड को सशक्त करने के लिए भी प्रस्तावित है।

बोर्ड को, विहित प्ररूप और रीति में नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए और प्रस्ताव है, जिसमें प्रस्तावित पहले परंतुक के खंड (i), खंड (ii) का उपखंड (ख) और खंड (iii) के अधीन आदेश पारित किया जाएगा।

विधेयक का **खंड 37** आय-कर अधिनियम की धारा 80झख का संशोधन करने के लिए है, जो अवसंरचना विकास उपक्रमों से भिन्न कतिपय औद्योगिक उपक्रमों से लाभ और अभिलाभ की बाबत कटौती के संबंध में है।

उक्त धारा की उपधारा (7क), उपधारा (7ख), उपधारा (11ख) और उपधारा (11ग) में प्रस्तावित संशोधन, लेखापरीक्षा की रिपोर्ट का प्ररूप और उसकी विशिष्टियां, नियमों द्वारा उपबंध करने के लिए बोर्ड को सशक्त करते हैं।

विधेयक का **खंड 44** आय-कर अधिनियम की धारा 92गग का संशोधन करने के लिए है, जो अग्रिम मूल्यांकन करार से संबंधित है।

उक्त धारा की प्रस्तावित नई उपधारा (9क) उक्त धारा की उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार करने के लिए, शर्तें, प्रक्रिया और रीति विहित करने हेतु नियम बनाने के लिए, बोर्ड को सशक्त करती है।

विधेयक का **खंड 53,**— (i) व्यष्टि और हिंदू अविभक्त कुटुम्ब के आय पर कर से संबंधित एक नई धारा 115खकग का अंतःस्थापन करने के लिए है। उक्त धारा की उपधारा (2) का खंड (iii), नियमों द्वारा उपबंधित ऐसी रीति में निर्धारित, उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (iiक) के सिवाय, धारा 32 के किसी उपबंध के अधीन, अवक्षयण के दावा द्वारा, यदि कोई हो, व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब के आय संगणित रूप में उपबंधित है। (ii) कतिपय रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटियों के आय से संबंधित आय-कर अधिनियम की नई धारा 115खकघ के अंतःस्थापन से है।

उक्त धारा की उपधारा (3) का परंतुक बोर्ड को, आस्तियों के ब्लॉक के अवलिखित मूल्य के तत्स्थानी समायोजन को करने की रीति का नियमों द्वारा उपबंध करने के लिए सशक्त करता है।

प्रस्तावित नई धारा की उपधारा (5) बोर्ड को, उक्त धारा के अधीन व्यक्ति द्वारा विकल्प का प्रयोग करने की रीति के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का **खंड 57** आय-कर अधिनियम की धारा 115जग का संशोधन करने के लिए है, जो कंपनी से भिन्न कतिपय व्यक्तियों द्वारा कर का संदाय करने के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (3) का प्रस्तावित संशोधन नियमों द्वारा ऐसे प्ररूप का उपबंध करने हेतु बोर्ड को सशक्त करने के लिए है, जिसमें लेखापाल से रिपोर्ट प्राप्त की जाएगी।

विधेयक का **खंड 65** आय-कर अधिनियम की धारा 133क का संशोधन करने के लिए है, जो सर्वेक्षण की शक्ति से संबंधित है।

उक्त धारा के परंतुक का प्रस्तावित प्रतिस्थापन, बोर्ड को उक्त धारा के अधीन सूचना प्राप्त करने के लिए नियमों द्वारा "ऐसा प्राधिकारी" विहित करने हेतु सशक्त करता है।

उक्त धारा में प्रस्तावित नई उपधारा (1छ), केंद्रीय सरकार को, "किसी अन्य व्यक्ति" को उक्त उपधारा के प्रवर्तन से छूट देने के लिए अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है।

विधेयक का **खंड 67** आय-कर अधिनियम की धारा 140 का संशोधन करने के लिए है, जो विवरणी किसके द्वारा सत्यापित हो, से संबंधित है।

प्रस्तावित संशोधन बोर्ड को, इस प्रयोजन के लिए नियमों द्वारा कम्पनी और सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में "किसी अन्य व्यक्ति" को विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त करता है।

विधेयक का **खंड 74** कतिपय बचतपत्रों और सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज द्वारा आय से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 194 का संशोधन करने के लिए है। उक्त धारा की उपधारा (2) का प्रस्तावित संशोधन, केन्द्रीय सरकार को किसी भारतीय कंपनी के रुपए में अंकित मूल्य के बंधपत्र के संबंध में "ब्याज की दर" अधिसूचित करने हेतु सशक्त करने के लिए है।

विधेयक का **खंड 93** एल्कोहाली लिकर, वनोत्पाद स्क्रैप, आदि में व्यापार के कारबार से लाभ और अभिलाभ से संबंधित आय-कर अधिनियम की धारा 206ग का संशोधन करने के लिए है।

प्रस्तावित संशोधन केन्द्रीय सरकार को उक्त धारा में अतःस्थापित नई उपधारा (1छ) के उपबंधों को लागू करने से छूट देने के लिए "कोई अन्य व्यक्ति" को अधिसूचित करने हेतु सशक्त करने के लिए है।

विधेयक का **खंड 95** आय-कर अधिनियम की धारा 250 का संशोधन करने के लिए है, जो अपील में प्रक्रिया से संबंधित है।

उक्त धारा की प्रस्तावित नई उपधारा (6ख), बोर्ड को, धारा 250 के अधीन अपील के निपटान के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम बनाने के लिए सशक्त करती है और उपधारा (6ग) के अधीन केन्द्रीय सरकार को स्कीम को प्रभावी करने हेतु अधिसूचना जारी करने और आयुक्त (अपील) द्वारा अपील का निपटारा करने की अधिकारिता और प्रक्रिया से संबंधित निदेश जारी करने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का **खंड 100** आय-कर अधिनियम की धारा 274 का संशोधन करने के लिए है, जो प्रक्रिया से संबंधित है।

उक्त धारा की प्रस्तावित नई उपधारा (2क), बोर्ड को, अधिनियम के अध्याय 21 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, स्कीम बनाने के लिए और स्कीम को प्रभावी करने के लिए उपधारा (2ख) के अधीन अधिसूचना जारी करने हेतु केन्द्रीय सरकार को सशक्त करने हेतु और आय-कर प्राधिकारियों द्वारा शास्ति अधिरोपित करने के लिए अधिकारिता और प्रक्रिया से संबंधित निदेश देने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का **खंड 101** आय-कर अधिनियम में एक नई धारा 285खख अंतःस्थापित करने के लिए है, जो वार्षिक सूचना विवरण से संबंधित है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विहित आय-कर प्राधिकारी एक वार्षिक सूचना विवरणी, ऐसे प्ररूप और रीति में, ऐसे समय के भीतर और ऐसी सूचना के साथ, जो विहित की जाए, अपलोड करेगा।

विधेयक का **खंड 102** आय-कर अधिनियम की धारा 288 का संशोधन करने के लिए है, जो प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा हाजिरी से संबंधित है।

उक्त धारा की उपधारा (2) में, अन्य बातों के साथ-साथ, "प्राधिकृत प्रतिनिधि" की परिभाषा का उपबंध है, जो उक्त अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के संबंध में किसी आय-कर प्राधिकारी या अपील अधिकरण के समक्ष हाजिर होने के लिए हकदार या अपेक्षित होगा।

उक्त उपधारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जो बोर्ड को, नियमों द्वारा, "ऐसे किसी अन्य व्यक्ति" का, जो प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भी हाजिर हो सकेगा, उपबंध करने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का **खंड 112** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 156 का संशोधन करने के लिए है, जिससे उसमें केन्द्रीय सरकार को अध्याय 5कक के उपबंधों का कार्यान्वित करने के लिए प्ररूप, समयसीमा, रीति, परिस्थितियां, शर्तें, निर्बंधन और ऐसे अन्य विषयों के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए है, जिससे उसमें एक नया खंड (i) अंतःस्थापित किया जा सके।

विधेयक का **खंड 113** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 157 का संशोधन करने के लिए है, जिससे उसमें बोर्ड को, इलैक्ट्रानिक शुल्क जमा खाते का अनुरक्षण करने, ऐसे खाते से संदाय करने, जमा शुल्क का एक व्यक्ति के खाते से अन्य व्यक्ति के खाते में अंतरण की रीति और उससे संबंधित शर्तों, निर्बंधनों और समयसीमा का उपबंध करने के लिए विनियम बनाने हेतु सशक्त करने के लिए एक नया खंड अंतःस्थापित किया जा सके।

विधेयक का **खंड 114** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के खंड 8ख को प्रतिस्थापित करने के लिए है। उक्त धारा की उपधारा (10) केन्द्रीय सरकार को ऐसी रीति, जिसमें सुरक्षापायों के लिए दायी वस्तुओं की पहचान की जा सके, वह रीति, जिसमें पहचान की गई वस्तु के संबंध में गंभीर क्षति के कारणों या गंभीर क्षति की आशंका के कारणों का अवधारण किया जा सकेगा, सुरक्षा शुल्क के निर्धारण और संग्रहण की रीति, वह रीति, जिसमें पहचान की गई वस्तु पर टैरिफ दर कोटा प्रदाय करने वाले देशों के बीच आबंटित किया जा सकेगा, सुरक्षापायों और किसी अन्य सुरक्षापाय के रूप में टैरिफ दर कोटा कार्यान्वयन करने की रीति और उसके लागू करने की रीति का उपबंध करने हेतु सशक्त करने के लिए है।

विधेयक का **खंड 121** केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 31 का संशोधन करने के लिए है। उक्त धारा की उपधारा (2) सरकार को कर बीजक जारी करने के समय और रीति का उपबंध करने के लिए नियम बनाने हेतु सशक्त करती है।

विधेयक का **खंड 122** केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 51 का संशोधन करने के लिए है। उक्त धारा की उपधारा (3) सरकार को उस प्ररूप और रीति का, जिसमें स्रोत पर कर कटौती का प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए सशक्त करती है।

विधेयक का **खंड 126** भूतलक्षी रूप से, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 140 का संशोधन करने के लिए है, जो विद्यमान विधि के अधीन कतिपय लाभ न लिए गए प्रत्यय के विरुद्ध इनपुट कर प्रत्यय का लाभ लेने के लिए समय सीमा और रीति का उपबंध करने हेतु नियम बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करती है।

2. वे विषय, जिनके संबंध में विधेयक के उपबंधों के अनुसरण में नियम बनाए जा सकेंगे या अधिसूचनाएं या आदेश जारी किए जा सकेंगे, प्रक्रिया और ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए स्वयं विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है।

3. अतः, विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है।

लोक सभा

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए केंद्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए
विधेयक

[**श्रीमती निर्मला सीतारामन,**
वित्त मंत्री]